द्वितीय माला, खण्ड २४—अंक २१
१५ दिसम्बर, १९५८ (सोमवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha
(Sixth Session)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
8-5-91
Fumigated
On 15-11-93
Parliament Library

(खण्ड २४ में अंक २१ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

)4 (Ai) LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड २४--अंक २१ से २६--१५ दिसम्बर से २० दिसम्बर, १९५८)

पृष्ठ

अंक २१--सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से ९३६, ९३८, ९३९, ९४०, ९४२ से ९४७ और ९५० . . . . २३२१–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३७, ९४१, ९४८, ९४९ और ९५१ से ९६२ . २३४३–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६३ से १५३३, १५३५ से १५४१, १५४३ से १५८० और १५८३ से १५८५ . . २३६०–२४०४

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २४०४

याचिका समिति . . २४०५

कार्यवाही सारांश

याचिका समिति . . . २४०५

पांचवां प्रतिवेदन

राज्य सभा से सन्देश . . . २४०५

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक २४०५

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के बारे में याचिका . . २४०५

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक . २४०६

मत विभाजन के आंकड़ों की शुद्धि

समितियों के लिये चुनाव . . २४०६-०७

प्राक्कलन समिति २४०६

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड २४०६-०७

जीवन बीमा निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक--वापस लिया गया २४०८

विधेयक पुरःस्थापित . . २४०८-१०

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९५८ . २४०८

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९५८ . . २४०९

	पृष्ठ
(३) अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ . .	२४०९-१०
(४) उड़ीसा बाट तथा माप (दिल्ली निरसन) विधेयक, १९५८ .	२४१०
वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें .	२४११-४९
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक	२४४९-५४
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . .	२४५४
प्रवर समिति का प्रतिवेदन	
कार्य मंत्रणा समिति . .	२४५४
तैंतीसवां प्रतिवेदन	
दैनिक संक्षेपिका . . .	२४५५-६२
अंक २२—मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९९३ से ९९७, १०३१, ९९८ से १००२ और १००४ से १००८ .	२४६३-८७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १००३, १००७ से १०५९ और ५५० . .	२४८७-२५०९
अतारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १६६२, १६६६ से १६६९, १६७१ से १६७७, १६७९ से १६८० .	२५०९-८७
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . .	२५४८-४९
गन्ना उत्पादकों द्वारा हड़ताल	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	२५४९-५०
लोक लेखा समिति	२५५०
ग्यारहवां प्रतिवेदन	
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के बारे में याचिका . .	२५५१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	२५५१-५२
फोलीडोल का यातायात	
देश में तेल की खोज में प्रगति के बारे में वक्तव्य . . .	२५५२-५४
विनियोग (संख्या ५) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२५५४
कार्य मंत्रणा समिति	२५५४
तैंतीसवां प्रतिवेदन	
सत्र की अवधि का बढ़ाया जाना	२५५५
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक—पारित . . .	२५५५
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक—पारित . . .	२५५६

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक २५५६–९९
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५५६–९४
खण्ड २ से ५ और ६ . . . . २५९९–२६०२
फिल्म उद्योग के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . . २६०३–१०
दैनिक संक्षेपिका . . . . . .

अंक २३—बुधवार, १७ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०६० से १०७४ . . . . २६११–३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०७५ से ११०४, ११०६, ११०७, ११०७क और ११०८ से ११३६ . . . . . २६३३–६०
अतारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १७४२, १७४४ से १९४६, १९४८ से १९६१, १९६३ से १९८६, १९८८ से १९९५, १९९५क, १९९५ख, १९९५ग, १९९५घ, १९९५ङ, १९९५च और १९९५छ . . २६६१—२७९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र २७९२–९३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २७९३
तैंतीसवां प्रतिवेदन
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २७९३
हवाई अड्डों का विकास
दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . २७९४
दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . २७९४
विशेषाधिकार समिति २७९४–९५
छठा प्रतिवेदन
विनियोग (संख्या ५) विधेयक २७९६
विचार करने का प्रस्ताव २७९६
खण्ड २, ३ अनुसूची और खण्ड १ . . . . २७९६
पारित करने का प्रस्ताव २७९६
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक २७९६–२८१५
खण्ड ६ से १४, १६ से ३५, १५, ३६ से ५७ . . . २७९६–२८१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २८१४–१५
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक . . . २८१५–२५
विचार करने का प्रस्ताव
सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी कम्पनियों में नौकरी करने के बारे में चर्चा २८२५–४३

तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . २८४३–४६
दैनिक संक्षेपिका २८४७–६२

अंक २४––गुरुवार, १८ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––
तारांकित प्रश्न संख्या ११३८, ११३९, ११४३ से ११४७ और ११४९ २८६३–८२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . २८८२-८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर––
तारांकित प्रश्न संख्या ११३७, ११४१, ११४२, ११४८, ११५० से ११६८, ११६८क, ११६८ख, ११६९ से ११७६, ११७६क, ११७७, ११७७क, ११७८ से ११८०, ११८०क और ११८१ . . . २८८४–२९००
अतारांकित प्रश्न संख्या १९९६ से २०१४, २०१६ से २१३१, २१३१क, २१३१ख, २१३१ग और २१३१घ २९००–५७
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . २९५७–६०
संसद् भवन के बाहर प्रदर्शन
सभा पटल पर रखे गये प २९६०-६१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २९६१
तीसवीं से चौतीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश
याचिका समिति २९६१
तेईसवीं बैठक का कायवाही सारांश
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति २९६१
ग्यारहवां प्रतिवेदन
तारांकित प्रश्न संख्या १४०३ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि २९६१-६२
शस्त्र विधेयक––पुरःस्थापित . . २९६२
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक २९६३–७३
विचार करने का प्रस्ताव २९६३–७१
खण्ड २ और १ . . २९७१
पारित करने का प्रस्ताव . २९७१–७३
चलचित्र (संशोधन) विधेयक . २९७३–८२
विचार करने का प्रस्ताव
गन्ने की अधिक कीमत निर्धारित करने के बारे में प्रस्ताव . . २९८२–३००७
कुलटी की भट्टियों के बन्द हो जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३००७–१२
दैनिक संक्षेपिका . . ३०१३–२१

पृष्ठ

अंक २५--शक्रवार, १६ दिसम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११८२, ११८३-क, ११८४ से ११८७, ११६० से ११६३ और ११६५ से ११६८ ३०२३--४४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ ३०४५--५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११८३, ११८३-क, ११८८, ११६४, ११६६ से १२०६, १२०८ से १२२१ और १२२३ से १२४६ ३०५०--७३

अतारांकित प्रश्न सख्या २१३२ से २२०१ और २२०३ से २२१८ ३०७३—३११३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३११३

जानकारी का प्रश्न ३११३-१४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३११४—१६

राज्य सभा से संदेश ३११६

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ३११६

चौथा प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति ३११६

बत्तीसवां प्रतिवेदन

सदस्य द्वारा क्षमा याचना ३११७

चलचित्र (संशो न) विधेयक ३११७—३१

विचार करने का प्रस्ताव ३११७—२५

खण्ड २ से ६ और १ ३१२५--३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ३१३१

तैंतीसवां प्रतिवेदन

देश में भूमि सुधार की प्रगति का अनुमान लगाने के लिये एक समिति के बारे में संकल्प ३१३१—५१

देश के सभी लोक सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प ३१५२

आन्ध्र में चीनी के सहकारी कारखानों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३१५२--६०

दैनिक संक्षेपिका ३१६१--६६

अंक २६--शनिवार, २० दिसम्बर, १६५८

सभा पटल पर रखे गये प ३१७१-७२

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति ३१७२

दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ३१७३

दसवीं व ग्यारहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

	पृष्ठ
राज्य-सभा से संदेश .	३१७३
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक . .	३१७३
राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३१७४
आसाम रेलवे ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा कर्मचारियों का अस्थायी रूप से हटाया जाना	
अनुपस्थिति की अनुमति . .	३१७४
तारांकित प्रश्न संख्या ५६३ के उत्तर की शुद्धि	३१७५
अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक	३१७५—७९
विचार करने का प्रस्ताव . . .	३१७५—७८
खण्ड २ और १ .	३१७९
पारित करने का प्रस्ताव . .	३१७९
विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक	३१७९—८४
विचार करने का प्रस्ताव .	३१७९—८४
खण्ड १ और २ .	३१८४
पारित करने का प्रस्ताव .	३१८४
लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक . . .	३१८४—९६
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये राज्य सभा से सहमत होने का प्रस्ताव	
लोक तिमि त्व (संशो न) वि यक .	३१९६—३२३०
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रू में विचार करने का प्रस्ताव . .	३१९६—३२१५
खण्ड २ से १४, १६ और १८ से २३, २८-क और २८-ख, १५, १७, २९, ३० से ३७ और १	३२१५—३०
संशो त रूप में पारित करने का प्रस्ताव	३२३०
उड़ीसा बांट तथा माप (दिल्ली निरसन) विधेयक .	३२३१
विचार करने का प्रस्ताव	३२३१
खण्ड २, ३ और १	३२३१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	३२३१
आन्ध्र में चावल की वसूली के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३२३१—३८
दैनिक संक्षेपिका . .	३२३९—४१
छटे सत्र का कार्यवाही सारांश	३२४१—४४

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सीमा शुल्क प्रक्रिया तथा संगठन समिति की रिपोर्ट

†*६३४. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या वित्त मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ के उत्तर के सम्बन्ध में निम्न बातों का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सीमा शुल्क प्रक्रिया तथा संगठन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) उक्त समिति ने क्या अन्तरिम सिफ़ारिशें की हैं; और

(घ) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** (क) हां श्रीमान् ।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट हाल में ही दी है । सरकार यथाशीघ्र उस पर विचार करना समाप्त करके समिति की सिफ़ारिशों पर अपना निर्णय कर लेगी । तत्पश्चात् रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) तथा (घ) जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १]**

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या समिति को कठिन सीमा शुल्क प्रक्रिया के कारण उन वस्तुओं के निर्यात करने के बारे में भी शिकायतें मिली थीं जिनके निर्यात के लिए सरकार प्रोत्साहन देती है ? क्या समिति ने इस मामले पर विचार किया था तथा इस सम्बन्ध में सिफ़ारिशें की थीं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : पूर्णरिपोर्ट में सभी विद्यमान समस्याओं का उल्लेख है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : विवरण में उल्लेख है कि केन्द्र में सीमा शुल्क परामर्शदात्री परिषद् की स्थापना की सिफ़ारिश की गई है तथा मंत्री का उत्तर रहता है कि यह विचाराधीन है । परिषद् कब तक स्थापित होगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत** : यह सब विचाराधीन है ।

†**श्री तंगामणि** : पिछले सत्र में भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि अन्तरिम सिफ़ारिशें की जा चुकी हैं और इनमें से एक सीमा शुल्क परामर्शदात्री परिषद् की स्थापना की थी । परिषद् कब तक स्थापित होगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हम सारे मामले शीघ्र निबटाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ?

†**श्री च० द० पाण्डे** : क्या सरकार को विदित है कि विदेशों के दर्शकों व यात्रियों तथा वाणिज्यिक भारतीय दर्शकों को यहां सीमा शुल्क क्रिया योरोपीय देशों की अपेक्षा अधिक कठिन प्रतीत हुई है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशिष्ट उदाहरण हो तो हम उसकी जांच कर सकते हैं । सामान्यतया इन सब मामलों पर विचार किया गया है ।

†**श्री दासप्पा** : क्या उपहार आदि अन्य वस्तुयें जो विदेशों से अनेकों संस्थाओं को आती हैं; और विदेशों में स्थित कार्यालयों का फर्नीचर व अन्य वस्तुयें जो कार्यालय के भारत में आने पर आता है, सीमा शुल्क से छोड़ दिये जाते हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी** उपभोग्य वस्तुओं[1] को सीमा-शुल्क से छूट दे दी जाती है परन्तु अन-उपभोग्य वस्तुओं को नहीं ।

†**श्री दासप्पा** : कम्बल जैसे उपहार और अन्य वस्तुयें जो भारत में अनेकों संस्थाओं के लिए आती हैं, उन पर सीमा शुल्क क्यों लगता है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : सामान्य नीति यह है कि दूध जैसी उपभोग्य वस्तुओं आदि पर सीमा शुल्क नहीं लगता, परन्तु फर्नीचर, मशीनें और ऐसी ही वस्तुओं पर साधारण सीमा शुल्क देनी पड़ती है ।

परिनियम विधि पुनरीक्षण पर विधि आयोग की रिपोर्ट

\+

†*९३५. **श्री वी० चं० शर्मा** :
श्री राम कृष्ण :
श्री संगण्णा :
श्री ईश्वर अय्यर :
श्री हेम बरुआ :

क्या **विधि** मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निम्न परिनियमों पर विधि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है :

(१) विशिष्ट सहायता अधिनियम, १८७८;

(२) भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Consumable articles.

(३) परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१;

(४) आयकर अधिनियम, १९२२ ; और

(ख) क्या रिपोर्टों की कापियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ?

†विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) विधि आयोग की नवीं रिपोर्ट (विशिष्ट सहायता अधिनियम, १८७८ पर) २४ नवम्बर १९५८ को सभा-पटल पर रखी गई थी । शेष तीन रिपोर्टें यथाशीघ्र सभा-पटल पर रखी जायेंगी ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इन रिपोर्टों पर कब कार्यवाही की जायेगी ? रिपोर्टों में की सिफारिशों की कार्यान्विति की क्या प्रक्रिया है ?

†श्री हजारनवीस : ये रिपोर्टें राज्य सरकारों को भेजकर उन के टिप्पण प्राप्त किये जाते हैं । वे संभवतः विधेयकों के आधार होंगे जो संसद् में रखे जायेंगे ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्योंकि परक्राम्य संलेख अधिनियम और आयकर अधिनियम बहुत अविलम्ब प्रकार के हैं, क्या मंत्रालय सिफ़ारिशों को शीघ्र कार्यान्वित किये जाने के लिये कुछ करेगी ?

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : इन दोनों मामलों के बारे में यह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों ही घोर चिन्तित हैं । अब आयकर अधिनियम सम्बन्धी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है । उस पर किसी कार्यवाही के लिये उस समिति की रिपोर्ट यदि वह रिपोर्ट दे तो, की प्रतीक्षा करनी होगी जिस के सभापति मेरे माननीय मित्र श्री त्यागी हैं । क्योंकि वह उन मामलों की जांच कर रहे हैं जिन का आयकर अधिनियम में संशोधनों से घनिष्ट सम्बन्ध है ।

†श्री संगण्णा : क्या इन विषयों का और अध्ययन करने के लिये विधि आयोग का पुनर्गठन किया गया है ? यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†श्री अ० कु० सेन : मेरा विचार है कि यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । परन्तु यदि आप अनुमति दें तो मैं इस का उत्तर दूंगा ।

विधि आयोग से दो विशिष्ट मामलों पर विचार करने को कहा गया था । प्रथम, इस देश में न्यायिक सुधार का प्रश्न, और द्वितीय, परिनियम संशोधन का प्रश्न । कार्य का प्रथम भाग समाप्त हो गया है और आयोग अपनी रिपोर्ट दे चुका है जो सरकार के विचाराधीन है । विधि आयोग के कार्यों का दूसरा भाग, गन्ना, परिनियम संशोधन, प्रायः स्थायी प्रकृति का है । इस कार्य के लिये आयोग का पुनर्गठन हुआ है । वास्तविक पुनर्गठन कार्यान्वित हो रहा है ।

†श्री ईश्वर अय्यर : परिनियम संशोधन के काम स्थायी प्रकार के होने की दृष्टि से, क्या विधि आयोग का पुनर्गठन पूर्ण-काल अधिकारियों के आधार पर होगा ?

†श्री अ० कु० सेन : हमारा विचार है कि इस में अधिकतर पूर्ण-काल सदस्य हों । परन्तु हम अंश-काल के आधार पर भी सदस्य—यदि सम्भव हो तो विशेष योग्यता वाले वकील—वकीलों का मत जानने के लिये रखना चाहते हैं ।

†श्री हेम बरुआ : क्या विधि आयोग सरकार के प्रस्ताव से असहमत है कि उच्च न्यायालयों का वित्त तथा राजस्व सम्बंधी विधि की शीघ्र कार्यान्विति के लिये सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधि-

---

†मूल अंग्रेजी में

करणों को लेख जारी करने का संवैधानिक अधिकार सीमित कर दिया जाये ; और यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†श्री अ० कु० सेन : माननीय सदस्य अनेक बातों का अनुमान कर रहे हैं । विधि आयोग की रिपोर्ट अभी तक विचाराधीन है । अभी कोई निर्णय करना जैसाकि माननीय मंत्री ने किया है, ठीक नहीं है । रिपोर्ट निस्सन्देह छपते ही सभा-पटल पर रखी जायेगी । कुछ सिफ़ारिशें विशेषकर आयकर के बारे में हैं और वे भी सरकार के विचाराधीन हैं । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस प्रश्न पर रिपोर्ट के सदन में रखे जाने और हमारे उस पर चर्चा करने तक, चर्चा न करें ।

†श्री त्यागी : क्या विधि न्यायालयों की प्रक्रिया सरल बनाने के उपायों का सुझाव देना भी इस आयोग के निर्देश पदों में है, क्योंकि मुझ से एक दिन कहा गया था कि आजकल भी लगभग, १,८२,९४७ मामले अनिश्चित पड़े हैं ?

†श्री अ० कु० सेन : न्यायिक सुधार की मुख्य रिपोर्ट का सम्बन्ध न्यायालया में कार्य के शीघ्र निबटाने के उपायों की सिफारिश करने से है । यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और यह निस्सन्देह ही सदन में रखी जायेगी ।

†श्री दी० चं० शर्मा : कौन कौन मंत्रालय भूमि अधिग्रहण अधिनियम तथा परक्राम्य संलेख अधिनियम पर विचार कर रहे हैं एवं क्या उन्हें कोई निदेश दिया गया है कि वे इस काय में शीघ्रता करें क्योंकि ये अधिनियम पुराने हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने यही प्रश्न पूछा था ।

संघ राज्य-क्षेत्रों के सचिवालयों की प्रशासन व्यवस्था का पुनर्गठन

+

†*९३६. श्री नवल प्रभाकर :
श्री राम कृष्ण :
सरदार इक़बाल सिंह :
श्री भक्त दर्शन :

क्या गृह-कार्य मंत्री १९ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य-क्षेत्रों के सचिवालयों की प्रशासन व्यवस्था के पुनर्गठन में और क्या प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : दिल्ली प्रशासन के सचिवालय के पुनर्गठन की योजना १ दिसम्बर, १९५८ से लागू कर दी गई है । हिमाचल प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था के पुनर्गठन के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं । मनीपुर तथा त्रिपुरा के मामले भी शीघ्र प्रारम्भ किये जायेंगे ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली के अतिरिक्त और जो दूसरी यूनियन टेरीटरीज हैं, उन में यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

†श्री दातार : दिल्ली पुनर्गठन के कार्यवहन को देखने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र पुनर्गठन करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली में जो पुनर्गठन किया गया है, उस में सेक्रेटेरियों में क्या कुछ कमी की गई है और आर्थिक दृष्टि से उस से कितनी बचत की आशा की जा सकती है ?

†**श्री दातार :** पुनर्गठित प्रशासन में ७ विभागीय सचिवों में से केवल ३ रखे गये हैं तथा ४ अधिक घोषित कर दिये गये हैं ।

श्री भक्तदर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो विभिन्न संघ क्षेत्र हैं, यूनियन टैरीटैरीज़ हैं, उन सब के लिये एक ही प्रकार का कैडेर बनाने के बारे में भी कोई कदम उठाया जा रहा है ?

†**श्री दातार :** जी नहीं । निश्चित है कि कुछ अन्तर होगा । परन्तु सामान्य योजना बनाई जा रही है और दिल्ली में किये गये प्रयोग पर ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो सेक्रेटरीज़ हैं उन का स्टाफ पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है और उन से खर्चे भी ज्यादा बढ़ गये हैं ?

†**श्री दातार :** जी नहीं । कर्मचारियों को कम करने का उद्देश्य है ।

श्री नवल प्रभाकर : सेक्रेटरीज़ तो कम हो गये हैं लेकिन स्टाफ का तो खर्च बढ़ गया है ।

श्री पद्म देव : क्या यह सत्य नहीं है कि जो प्रशासकीय योजना बनी है वह पहले से अधिक खर्चीली है ?

†**श्री दातार :** समस्त प्रश्न पर विचार होगा । समस्त प्रशासन में परिवर्तन करके इसे अधिक कुशल बनाने का उदेश्य है तथा साथ साथ इसका ध्यान भी रखना है की वित्त सीमा तक मितव्ययता की जा सकती है ।

†**श्री आसर :** क्या यह सच है कि सरकार ने अधिक वेतन पर दिल्ली प्रशासन को परामर्श देने के लिये जो परामर्शदाता नियुक्त किये हैं दिल्ली नगरपालिका निगम बनाने के पश्चात् इन परामर्शदाताओं के पास कोई महत्वपूर्ण काम नहीं रह गया है । यदि हां, तो क्या सरकार अब इन दोनों की सेवाओं को समाप्त करने पर विचार कर रही है?

†**श्री दातार :** मैं ने अभी यही तो बताया । इन तीन महीनों में हम इस प्रयोग के परिणाम देखेंगे ।

नया बिलासपुर नगर

९३८. **श्री पद्म देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के नये नगर के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) ८०० मकान बनाने का जो विचार है उन में से कितने मकान बन रहे हैं; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) ये मकान, भाखड़ा डैम बनने के कारण डिस्प्लेस हुए लोग बनायेंगे जिन्हें रियायती दरों पर जमीनें दी गई हैं।

(ग) नये नगर को जल्द से जल्द बनाने के लिये पूरी कोशिश की जा रही है।

श्री पद्म देव : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन लोगों के लिये कम्पेंसेशन कम मिला है और खर्च ज्यादा आयेगा, उन के बसाने के लिये सरकार के पास क्या योजना है ?

†**श्री दातार :** इस बांध के लिये ली गई भूमि के लिये प्रतिकर देने में सहायता देने का विचार है। वर्तमान उपनगर से २।। मील की दूरी पर एक नया उपनगर बसाने का विचार है उस में मकान बनाने के लिये भूमि रियायती दरों पर दी जा रही है।

श्री पद्म देव : जो लोग इस वक्त बिलासपुर में किराये के मकानों में रह कर अपनी आजीविका का कार्य कर रहे हैं, उस शहर के उजड़ जाने के पश्चात् उन के बसाने के लिये सरकार के पास क्या योजना है ?

†**श्री दातार :** सरकार दो तीन अवस्थाओं में काम कर रही है। पहली अवस्था पर कार्य यथा-शीघ्र प्रारम्भ हो जायेगा। जो भूमि दी गई है, जनता को उन पर मकान बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन को मकान बनाने की सामग्री रियायती मूल्य पर दी जा रही है।

श्री पद्म देव : उस शहर के उजड़ जाने से जो विधवा, अनाथ और बूढ़े रह जायेंगे और मकान बनाने के योग्य न होंगे, उन के लिये सरकार क्या कर रही है ?

†**श्री दातार :** यह प्रश्न समस्या के बारे में है। लगभग १२७०परिवार हैं जिन का पुनर्वास करना है तथा सरकार उन के लिये व्यवस्था कर रही है।

श्री रा० क० वर्मा : जैसा कि श्रीमान् ने मकानों को जल्द से जल्द बनवाने के लिये फरमाया, तो क्या जल्द से जल्द की कोई परिभाषा मिनिट अथवा घंटों में है ?

†**श्री दातार :** उन के वर्तमान मकानों के लिये जाने से पहले ऐसा कर दिया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो नया बिलासपुर नगर स्थापित किया जा रहा है उस में कुल कितने खर्चे का अनुमान है ? केन्द्रीय सरकार उस में कितना हिस्सा बटा रही है और क्या पंजाब सरकार से भी उसका कुछ हिस्सा लिया जा रहा है ?

†**श्री दातार :** इस समय के कुल प्राक्कलन लगभग ९२·६४ लाख रुपये हैं।

श्री नवल प्रभाकर : श्रीमान् . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप दिल्ली के बारे में पूछिये।

कानपुर के आयुध कारखाने में इस्पात की बर्बादी[1]

†*९३९. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखाने कानपुर में इस्पात की बर्बादी की जांच करने वाली समिति/बोर्ड ने जांच समाप्त कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो जांच में उन को क्या पता लगा;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Wastage.

(ग) कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) कौन व्यक्ति जिम्मेदार थे ?

†प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेहसिंहराव गायकवाड़) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). प्रतिवेदन सरकार को अभी नहीं मिला है इसलिये जानकारी बताना सम्भव नहीं है ।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या यह सच है कि जिस सुपरिन्टेन्डैंट के काल में इस्पात की यह बर्बादी हुई थी उस का तबादला धातु तथा इस्पात कारखाना इछापुर को कर दिया गया है। जांच समाप्त होने से पहले उसका तबादला क्यों किया गया ।

†श्री फतेहसिंहराव गायकवाड़ : इस के लिये अलग से पूर्व सूचना चाहिये ।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या आयुध महानिदेशक द्वारा नियुक्त अथवा प्रतिरक्षा मंत्रालय के मुख्य कार्यालय द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी इस की जांच कर रहा है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : जांच बोर्ड में मुरादनगर के आयुध कारखाना अधीक्षक, श्री डी० आर० मलिक, आयुध के उपसहायक महानिदेशक, श्री एम० प्रसाद, तथा प्रतिरक्षा लेखा निदेशक के एक प्रतिनिधि थे ।

†श्री स० म० बनर्जी : इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा ?

†श्री रघुरामैया : प्रतिवेदन पर आयुध कारखानों के महानिदेशक जांच कर रहे हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि शीघ्रातिशीघ्र वह हमें मिल जाये ।

†श्री हेम बरुआ: क्या यह सच है कि जैसा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन १९५५–५६ के पृष्ठ १४ पर बताया गया है, इस्पात की बर्बादी आयुध कारखानों तथा महानिदेशक के बीच समन्वयन होने के कारण हुई है ?

†श्री रघुरामैया : यह प्रश्न एक स्थान पर किसी गड़बड़ी के बारे में है क्या मेरे मित्र समन्वय के सम्बन्ध में सामान्य प्रश्न उठा रहे हैं। मुझे इस की कोई सूचना नहीं है। (अन्तर्बाधा)

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । उन्हें इस के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

विज्ञान मन्दिर

†*९४०. श्री श्री नारायण दास : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री २८ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थापित किये गये विज्ञान मन्दिरों के लाभ तथा कार्यसंचालन का पुनरीक्षण किया गया है तथा जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हुए ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

स्थापित किये गये विज्ञान मन्दिरों के कार्य संचालन तथा पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप उनके कार्य में निम्नलिखित परिवर्तन कर दिया गया है ताकि वे देहाती क्षेत्रों में वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक ज्ञान के प्रसार के लिये अधिक कुशलता से योग दे सकें :—

(१) ये विज्ञान मन्दिर प्रतिदिन के जीवन की विभिन्न समस्याओं में निहित वैज्ञानिक सिद्धान्तों से ग्राम व्यक्तियों को अवगत कराने तथा उनको इनके सम्बन्ध में बताने के उद्देश्य से शिक्षा संस्था के रूप में काम करेंगे ।

(२) विज्ञान मन्दिरों तथा सामुदायिक विकास खण्डों के कार्य संचालन में अधिक समन्वय करेंगे ।

जनता को भारतीय जीवन के सांस्कृतिक पहलू को और अधिक विस्तार से समझाने तथा उन्हें कला, शिल्प और संगीत के सम्बध में जानकारी देने के लिये इन विज्ञान मन्दिरों में सांस्कृतिक विभाग की व्यवस्था करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या इन विज्ञान मन्दिरों के कार्य संचालन का पुनरीक्षण किसी विशेष समिति द्वारा किया गया था अथवा मंत्रालय द्वारा ?

†डा० म० मो० दास : स्वयं मंत्रालय ने पुनरीक्षण किया था ।

†श्री श्रीनारायण दास : विवरण से यह पता लगता है कि पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप विज्ञान मदिर में सांस्कृतिक विभाग की व्यवस्था करने का विचार है । मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव किस प्रकार का है ?

†डा० म० मो० दास : यह एक वैज्ञानिक संगठन है जिसमें सांस्कृतिक विभाग शामिल कर देने का विचार है । प्रत्येक विज्ञान मन्दिर में दो कर्मचारी और होंगे जो ग्रामवासियों के लिये सांस्कृतिक प्रदर्शनों का आयोजन करेंगे ।

†अध्यक्ष महोदय : यह सांस्कृतिक प्रदर्शन किस तरह के होंगे वह यह जानना चाहते हैं ?

†डा० म० मो० दास : लोक नृत्य, गान, संगीत आदि ।

†श्री श्रीनारायण दास : क्योंकि इन का सम्बंध वैज्ञानिक मामलों से है इसलिये क्या सरकार ने इस पर विचार कर लिया था कि इन विज्ञान मंदिरों में सांस्कृतिक विभाग खोल देने से इन की कठिनाई बढ़ जायेगी ?

†डा० म० मो० दास : इस प्रकार की कठिनाइयां हमारे विचार से नहीं आयेंगी ।

†श्री वासुदेवन नायर : इन के कार्य संचालन में क्या स्थानीय जनता के प्रतिनिधि तथा पंचायत शामिल हैं ?

†डा० म० मो० दास : हम राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । तथा हम यथासंभव स्थानीय प्रतिनिधियों, जैसे अध्यापक आदि, की सहायता लेना चाहते हैं । उनकी सहायता से विज्ञान क्लबों का संगठन किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : समस्त देश में कुल कितने विज्ञान मंदिर हैं। तथा प्रत्येक मंदिर का औसत व्यय क्या है ?

†डा० म० मो० दास : समस्त देश में इस समय १९ विज्ञान मंदिर हैं। पुनरीक्षित योजनाओं का औसत पूंजी व्यय लगभग २०,००० रुपये तथा आवर्त्तक व्यय लगभग १५,००० रुपये अथवा १६,००० रुपये है।

†श्री स० चं० सामन्त : प्रारम्भ में उन का एक विभाग भूमि गवेषणा कार्य करता था। क्या उस में अब तक कोई परिवर्तन किया गया है ?

†डा० म० मो० दास : विभाग भूमि गवेषणा विभाग नहीं था। यह भूमि जांच पद्धति थी। वह यह काम करते रहेंगे।

†श्रीमती इला पालचौधरी : विवरण के अनुसार इन मदिरों में से सांस्कृतिक विभाग होगें क्या यह उस स्थान के प्रसिद्ध महापुरुषों के बारे में भी वहां पर बतायेंगे जिससे जनता भारत के महापुरुषों को जान सके।

†डा० म० मो० दास : मैं महिला सदस्य को बताना चाहता हूं कि विज्ञान मंदिर में सांस्कृतिक विभाग खोलने की योजना को वित्त मंत्रालय का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिये यह ब्यौरे नहीं बताये गये हैं।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : विज्ञान मन्दिरों के कार्यों का सामुदायिक विकास योजना से कितना समन्वय किया गया है ?

†डा० म० मो० दास : हाल में ही हमने सामुदायिक विकास के प्रभारी मंत्री से इस सम्बन्ध में बातचीत आरम्भ की है तथा हमें आशा है कि दोनों संगठनों में और अधिक समन्वय होगा।

†श्री श्रीनारायण दास : पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप क्या इस बात का पता लगाया गया है कि उन्होंने प्रभावोत्पादक रूप में काम किया है। इस का लाभ कितने लोगों ने उठाया है ?

†डा० म० मो० दास : यह बताना बड़ा कठिन है कि इसका लाभ कितने व्यक्तियों ने उठाया है। कुछ में स्थानीय लोगों ने बड़ी रुचि दिखाई है तथा कुछ में उनके ठीक स्थान पर स्थापित न होने के कारण प्रभावोत्पादक रूप में काम नहीं हो सका है ?

उच्चतर शिक्षा की ग्राम्य संस्थायें

†*९४२. { **श्री रा० चं० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतर शिक्षा की ग्राम्य संस्थाओं के कार्यों के स्तर का निर्धारण करने के लिये एक निर्धारण समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस ने अपना काम समाप्त कर लिया है; और

---

*मूल अंग्रेजी में।

(ग) क्या उसने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और सरकार ने उसकी जांच कर ली है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं।

(ग) लोक भारती, सानोसारा तथा उच्चतर अध्ययन की ग्राम संस्था, (बिरौली बिहार) के सम्बन्ध में निर्धारण समिति ने सरकार को प्रतिवेदन दे दिया है ।

†श्री रा० चं० माझी : क्या सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : सिफारिशों को स्वीकार करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । निर्धारण समिति ने कुछ बातें बताई थीं जिनको सम्बंधित संस्थाओं को भेज दिया गया है । कुछ कमियां बताई गई थीं तथा कुछ सुझाव दिए गए थे । संस्थाओं से इन सुझावों के लागू करने के लिए कहा गया है ।

†श्री सुबोध हंसदा : वे कमियां क्या हैं तथा सरकार उनको किस प्रकार दूर करने का विचार कर रही है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : वे कितनी ही ह । यदि माननीय सदस्य को उनमें रुचि है तो मैं उनका विवरण सभा पटल पर रख दूंगा । आठ बिरौली (बिहार) उच्चतर अध्ययन की ग्राम संस्था के सम्बन्ध में हैं तथा छः अन्य संस्था के सम्बन्ध में हैं ।

†श्री हेम बरुआ : सरकार इन ग्राम्य संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा-अर्थात्— विश्वविद्यालय शिक्षा—में किस प्रकार समन्वय करने का विचार कर रही है ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां । मामला विचाराधीन है । अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने इनकी जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है । यह इन संस्थाओं में जायेगी और इसकी जांच करेगी कि सामान्य विश्वविद्यालय शिक्षा का इससे किस प्रकार समन्वय किया जा सकता है ।

†श्री कोडियान : उच्चतर शिक्षा की ग्राम्य संस्था के काम का देहाती क्षेत्रों में सामुदायिक विकास से समन्वय करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं नहीं जानता इस प्रश्न से यह प्रश्न किस प्रकार उत्पन्न होता है ।

†अध्यक्ष महोदय : दोनों ग्राम्य से सम्बन्धित है ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भूतकाल में सभी प्रकार के प्रयत्न किए गए हैं तथा अब भी किए जा रहे हैं कि सामुदायिक विकास मंत्रालय से निकट का सम्बन्ध बना रहे । हमें आशा है कि इन संस्थाओं में शिक्षित व्यक्ति देहाती क्षेत्रों के लिए अच्छे कार्यकर्ता सिद्ध होंगे ।

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि सामुदायिक विकास कार्य के लिए कर्मचारी क्या इन ग्राम्य संस्थाओं में शिक्षित किए जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं ने यही तो बताया । सामुदायिक विकास कर्मचारियों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं हैं । परन्तु मैं जानता हूं कि इन ग्राम्य संस्थाओं में शिक्षित युवक सामुदायिक परियोजना कार्यों के लिए उपयुक्त होंगे ।

†श्री पाणिग्रही : इस समय देश में कितने ग्राम्य उच्चतर शिक्षा संस्थायें हैं तथा क्या प्रत्येक राज्य में एक एक संस्था स्थापित कराने का विचार है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : सब से पहले तीन संस्थायें आरम्भ की गईं थीं तथा हमें आशा है कि निधि उपलब्ध होने पर हम दो और प्रारम्भ कर दें । इस योजना का विस्तार करने का हमारा विचार है ।

†श्री राजा महेन्द्र प्रताप : इनमें प्रशिक्षित विद्यार्थी अच्छे किसान बनकर गांवों में रहेंगे अथवा नगरीय क्षेत्रों में आकर सरकारी पदों के लिए पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तथा ग्राम्य उच्चतर शिक्षा समिति के प्रतिवेदन पढ़ने की कृपा करें ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि संभव हो तो माननीय मंत्री को कुछ शब्दों में माननीय सदस्य को बताना चाहिए ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : क्योंकि वह ग्राम्य संस्थाओं के उद्देश्य पूछ रहे थे इसलिए मैंने उसे प्रतिवेदन देखने को कहा ।

†अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या इन संस्थाओं में शिक्षित लोग भी अन्य लोगों की भांति देश में सरकारी पदों को पाने का प्रयत्न करेंगे और इस प्रकार देश में शिक्षित बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि करेंगे या उन्हें गांवों में रह कर क्षेत्रों में सुधार करने का प्रलोभन दिया जायेगा?

†डा० का० ला० श्रीमाली: इन ग्राम्य संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन ग्राम्य संस्थाओं के विद्यार्थियों को गांवों में वापस जाना चाहिए और वहां पर जनता की सेवा करनी चाहिए। इसीलिए यह संस्थायें देहात में आरम्भ की गईं थीं । हमें आशा है कि इनमें शिक्षण प्राप्त बहुत से लोग वापस गांवों में जाकर वहीं रहेंगे ।

उड़ीसा में विज्ञान मन्दिर

†*९४३. श्री पाणिग्रही : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में उड़ीसा में कोई मिशन मन्दिर स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

†श्री पाणिग्रही : उड़ीसा में कितने विज्ञान मंदिर विद्यमान हैं तथा क्या आगामी वर्षों में कुछ और विज्ञान मंदिर स्थापित करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० म० मो० दास** : उड़ीसा में इस समय केवल एक विज्ञान मंदिर है। उड़ीसा सरकार ने कुछ महीने पहले ऐसा प्रस्ताव भेजा था कि उड़ीसा में चार विज्ञान मंदिर होने चाहिए। हमने इस प्रश्न पर विचार आरम्भ कर दिया है तथा उस राज्य में हम दो और विज्ञान मन्दिर स्थापित करने जा रहे हैं।

†**श्री पाणिग्रही** : वर्तमान विज्ञान मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर है।

†**डा० म० मो० दास** : यह उड़ीसा के गंजम जिले में हिजली कर में है। संभवतया आन्ध्र से बालासोर जिले के भद्रक में तथा ढेंकानाल जिले के अंगुल में स्थापित होंगे।

†**श्री आसर** : बम्बई में इस समय कितने विज्ञान मन्दिर हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उडीसा एक छोर पर तथा बम्बई दूसरे छोर पर है।

†**श्री संगण्णा** : राज्यों में विज्ञान मंदिर प्रारंभ करने के लिए किन बातों पर विचार किया जाता है।

†**डा० म० मो० दास** : सब से महत्वपूर्ण उपयुक्त निवास स्थान की उपलब्धता है। जो राज्य सरकार अथवा गैर-सरकारी व्यक्ति देता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वन में कोई क्षमता दे दें तो क्या वहां पर विज्ञान मंदिर खोल दिया जायेगा। यह कहना कि भवन मिलने पर विज्ञान मंदिर की स्थापना हो जायेगी अजीब सी बात है।

†**डा० म० मो० दास** : मुख्यत : ये ग्राम्य क्षेत्रों के लिए हैं। यदि गांवों में कोई उपयुक्त स्थान मिलेगा तो हम वहां विशाल मंदिर खोलने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

†**श्री नागी रेड्डी** : विज्ञान मंदिरों पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है तथा आगामी वर्षों का आवर्तक व्यय क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से इसका उत्तर दिया जा चुका है।

†**श्री नागी रेड्डी** : उन्होंने उत्तर दिया है कि भवन मिलने पर पूंजी व्यय नहीं होता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितना धन व्यय किया गया तथा प्रतिवर्ष कितना धन व्यय किया जायेगा।

†**डा० म० मो० दास** : यह सोचना गलत है भवन मिल जाने पर व्यय नहीं होता है। वैज्ञानिक भी तो आते हैं।

†**श्री नागी रेड्डी** : कितना धन व्यय हुआ, यह नहीं बताया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पहले बताया जा चुका है कि सामान्यत : २०,००० रुपये व्यय होते हैं तथा आवश्यक व्यय कभी-कभी अधिक हो जाता है। इतने अधिक प्रश्न हैं परन्तु दस, बारह प्रश्नों से अधिक नहीं पूछे जाते हैं। जो भी पहले नजर में पड़ जाता है उसको ही पूछ लिया जाता है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सभी प्रश्नों को पढ़ लिया करें तथा जिनको वह महत्वपूर्ण समझें उनको मुझे दे दें। अन्यथा हम कुछ प्रश्नों पर ही समय बरबाद कर देते हैं जब कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : जो प्रश्न आपके पास हैं उनकी पूर्वसूचना आपको मिल जायेगी

†अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

छावनी अधिनियम १९२४ में संशोधन

+

†९४४. { श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३४ के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) फौजी फार्मों व छावनियों के निदेशालय द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करके छावनी अधिनियम, १९२४ में संशोधन करने वाले व्यापक विधेयक को अंतिम रूप देने में इस बीच क्या प्रगति हुई है, और

(ख) यह संशोधनकारी विधेयक सभा के समक्ष कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) डायरेक्टर मिलिट्री लेण्डस और केण्टोमेंटस के, केण्टोमेंटस एक्ट १९२४ की कई धाराओं में संशोधन किए जाने के सुझाव की, अभी मंत्रालय में जांच हो रही है, और सुझावों की बड़ी संख्या और उनसे सम्बन्ध रखने वाली कई समस्याओं के कारण इस जांच को पूरा करने में कुछ समय लगेगा ।

(ख) भाग (क) के ऊपर के उत्तर को सामने रखते हुए, और इस बात का भी ध्यान रखते हुए, कि संबद्ध मंत्रालयों से मशविरा करना जरूरी होगा, बिल को सभा में पेश करने में अभी कुछ समय और लग ही जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : इस प्रश्न के विषय में पिछले चार वर्षों से मंत्रालय की ओर से यह कहा जा रहा है कि इस पर विचार किया जा रहा है, यह अंडर कंसिड्रेशन है । मैं जानना चाहता हूं कि यह अंडर कंसिड्रेशन है, एक्टिव कंसिड्रेशन है या कौन सी स्टेज कंसिड्रेशन की है ?

†सरदार मजीठिया : गत चार अथवा पांच वर्षों से इस पर विचार नहीं किया जा रहा है । मैंने बताया कि गत अगस्त से यह विचाराधीन है । मैंने बताया कि ७० छावनियां हैं जिनके बारे में जांच की जा रही है कि एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया जिसने छः महीने जांच की तथा विस्तार से प्रस्ताव दिये । इन पर विधि, वित्त, स्वास्थ्य आदि मंत्रालयों से परामर्श लेना है । इसलिये विस्तृत प्रस्ताव बनाने में कुछ समय लगेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जिन धाराओं का संशोधन किया जा रहा है, उनमें से कौन कौन सी मुख्य धारायें हैं, इस अधिनियम की, इस एक्ट की जिन पर कि विचार किया जा रहा है

†सरदार मजीठिया : इस अधिनियम का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता निम्न प्रकार से है । (१) देश के गठन में परिवर्तन हो जाने के कारण अधिनियम की कुछ धाराओं में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो जाने पर परिवर्तन करना तथा अधिनियम के प्रति दिन के कार्यसंचालन में कठिनाइयों को दूर करना (२) छावनी प्रशासन को लोकतंत्रीय पद्धति के अनुसार चलाना जैसे

†मूल अंग्रेजी में

सदस्यता में समानता करना, छावनी बोर्ड के कुछ अधिकार असैनिक क्षेत्र समितियों को देना, (३) प्राक्कलन समिति के ४६ वें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को लागू करना तथा (४) सब से महत्वपूर्ण, छावनी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये सरकार को अधिकार देना ।

श्री नवल प्रभाकर : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों को उनकी जानकारी के लिये यह बिल भेज दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि कितने मंत्रालयों को यह एमेंडिंग बिल भेजा गया है और उनमें से कितनों ने अपनी सहमति प्रकट की है ?

†**सरदार मजीठिया** : मैंने यह नहीं कहा कि विधेयक अन्य मंत्रालयों को भेजा गया है । मैंने कहा कि अन्य मंत्रालयों से परामर्श लिया जाता है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि जब इस संशोधन करने वाले विधेयक को अन्तिम रूप दिया जायेगा, उसके बाद उसको संसद में लाने से पहले क्या देश भर में जो छावनी बोर्ड हैं तथा उनके जो सदस्य हैं, उन सब से भी परामर्श किया जायेगा ।

†**सरदार मजीठिया** : यह एक सुझाव है जिस पर विचार किया जायेगा ।

रूरकेला में क्रय संगठन

†*९४५. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला के क्रय संगठन द्वारा की गई वार्षिक खरीददारी छः करोड़ रुपये से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो खरीददारी के काम करने वाले संगठन का ब्योरा क्या है, और

(ग) संभरण तथा निबटान के महानिदेशक अथवा सरकार द्वारा इन खरीददारियों पर क्या कोई नियंत्रण लगाये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) जी हां ।

(ख) क्रय संगठन में १० क्रय पदाधिकारी, ३ विभागाधिकारी तथा ७२ अन्य कर्मचारी हैं ।

(ग) अधिकारों के प्रत्यायोजनों तथा नियंत्रणों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४३, अनुबन्ध संख्या ३]**

†**श्री मुरारका** : रूरकेला संयंत्र के लिये अन्य किन स्थानों पर यह क्रय संगठन है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : रूरकेला संयंत्र के लिये मुख्य कार्यालय रूरकेला में है । कुछ कर्मचारी कलकत्ते में भी हैं ।

†**श्री मुरारका** : क्या रूरकेला संयंत्र के लिये दिल्ली के मुख्य कार्यालय में भी कुछ खरीददारी हुई है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : सामान्य प्रबन्धक को २५ लाख रुपये की खरीददारी करने का अधिकार है । इसलिये रूरकेला के लिये २५ लाख रुपये की खरीददारी की जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवर्ष सारे संयंत्र के लिये अथवा संयंत्र के कुछ भाग के लिये ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : विशेष मद के लिये ।

†**श्री मुरारका** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रूरकेला संयंत्र के लिये हिन्दुस्तान इस्पात (प्राइवेट) लिमिटेड के मुख्य कार्यालय जो दिल्ली में हैं, से कुछ खरीददारी की गई है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जैसा मैंने बताया, अधिक खरीददारी रूरकेला में होती है । यदि २५ लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं की खरीददारी करनी होती है तो सरकार तथा निदेशक बोर्ड की स्वीकृति लेनी होती है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : सभासचिव ने बताया कि अधिकारों का विभाजन है । निश्चित सीमा से अधिक की खरीददारी के लिये सरकार की स्वीकृति लेनी जरूरी होती है ।

†**श्री रंगा** : क्या मुख्य कार्यालय से कोई समिति संबद्ध है जिसका कर्त्तव्य है कि खरीददारी के इन प्रस्तावों की जांच करे कि यह खरीददारी किस प्रकार की जाती है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : खरीददारी के समय वित्तीय परामर्शदाता तथा लेखा पदाधिकारी वहां होता है । रूरकेला संयंत्र अथवा हिन्दुस्तान इस्पात (प्राइवेट) लिमिटेड का निदेशक बोर्ड इस की देखभाल करता है ।

†**श्री रंगा** : क्या खरीददारी तभी की जाती है जब तीनों पदाधिकारियों की एक राय हो ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मतभेद होने पर मामला मुख्य कार्यालय को भेज दिया जाता है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : ६ करोड़ रुपये की वार्षिक खरीददारी में से कितने प्रतिशत की खरीददारी स्थानीय रूप से की जाती है अथवा क्या सभासचिव द्वारा बताई गई समिति विदेशों में भी खरीददारी करती है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : विदेशों में खरीददारी के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

†**श्री तिरुमल राव** : सभा सचिव ने बताया कि सामान्य प्रबन्धक २५ लाख पये की खरीददारी कर सकता है । क्या इस में भारत में तथा विदेश में होने वाली दोनों प्रकार की खरीददारी शामिल हैं ? यदि हां, तो इन का कितना अनुपात है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : सभा पटल पर रखे गये विवरण से मामला स्पष्ट हो जाता है । विभिन्न पदाधिकारियों को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिये गये हैं । सामान्य प्रबन्धक को २५ लाख पये की खरीददारी करने का अधिकार है चाहे वह विदेश में हो अथवा देश में हो । इस से अधिक के लिये महाप्रबन्धक को उच्च प्राधिकारियों को लिखना होगा ।

†**श्री दासप्पा** : क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा वाली खर्च की प्रत्येक मद का उच्च अधिकारियों से निर्देश किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : जिन विषयों में विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त होती है, निदेशक बोर्ड उस का सरकार को निर्देश करता है ।

†**श्री दासप्पा** : क्या यह खरीददारी विभाग के लिये स्वीकृत बजट की रकम के भीतर ही होती है अथवा क्या उन्हें बजट की सीमा से बाहर जाने की भी अनुमति है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : निदेशक बोर्ड प्रत्येक विषय का अन्तिम निर्णय करता है । वही बजट तैयार करते हैं और कोई कार्य सीमातिरेक नहीं होता है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : विवरण में कहा गया है कि वित्तीय परामर्शदाता खरीदनेवाले अधिकारियों की प्रत्येक खरीद का नियंत्रण करते हैं । क्या भिलाई और रूरकेला में वित्तीय परामर्शदाताओं के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो क्या उन की जांच की गई है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जहां तक हमें याद है वित्तीय परामर्शदाताओं के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : जहां तक भिलाई का सम्बन्ध है, मैं ने लिखितरूप में शिकायत की थी और माननीय मंत्री ने वचन दिया था कि इस मामले की जांच की जायेगी । क्या इस की जांच की गई है और इस का क्या परिणाम हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य रूरकेला से अब भिलाई की चर्चा पर आ गये हैं ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : यह प्रश्न हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड से संबंधित है ।

†**अध्यक्ष महोदय**: पूर्ण रूप से नहीं किन्तु यह रूरकेला से सम्बन्धित है । माननीय सदस्य कृपया प्रश्न तक ही सीमित रहें ।

†**श्री मुरारका**: क्या खरीद करने वाले इस संगठन ने भारत सरकार के निर्णय के लिये खरीदी गई किसी मद का निर्देश कभी किया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: मुझे याद नहीं कि कभी इस प्रकार का अवसर उत्पन्न हुआ है । आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के खण्ड १९ में यह बताया गया है कि ४० लाख रुपये से अधिक पूंजीगत व्यय का कोई भी कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार को निर्देश किया जाना चाहिये ।

†**श्री पाणिग्रही** : १९५६-५७ और १९५७-५८ में कितनी रकम की वस्तुएं खरीदी गई थी और उन में विदेशी मुद्रा का कितना तत्व सम्मिलित है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य विदेशी मुद्रा के बारे में क्यों इतने चिंतित हैं ? हम एक विषय को छोड़ कर दूसरे विषय की ओर जा रहे हैं ।

†**श्री पाणिग्रही** : कितने मूल्य की वस्तुयें खरीदी गई हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह रूरकेला में रुचि रखते हैं तो विदेशी मुद्रा उपलब्ध करना होगा । क्या माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछ कर विदेशी मुद्रा में वृद्धि कर रहे हैं ? वह विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में पूरी कोशिश कर रहे हैं ।

---

†भूल अंग्रेजी में

†**राजा महेन्द्र प्रताप:** इन प्रश्नों से यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार की खरीद के बारे में सदस्यों को सन्देह है । उचित तो यह होगा कि लोक सभा के पांच सदस्यों की एक समिति बना दी जाय जो सदैव इस खरीदारी का परीक्षण करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य का सुझाव स्वीकार कर लिया जाये तो फिर मंत्री निद्रालीन हो जायेंगे और एक सदस्य दूसरे सदस्य का उत्तर देगा । सदस्य नमें अन्तर्ग्रस्त हो जायेंगे और कोई भी नहीं बचेगा । अगला प्रश्न ।

दिल्ली में जल संभरण

\+

†*९४६. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री पाणिग्रही :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में जल संकट के बारे में वैयक्तिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिये नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री विभूति मिश्र : दिल्ली में पानी के संकट का इतना बड़ा काण्ड हो गया और सरकार न अब तक यह पता नहीं लगाया कि किस की वजह से ऐसा हुआ । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस दिशा में सरकार का कुछ ध्यान है या नहीं ।

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि सकी जांच के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी और उसने अनुभव किया कि अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाना सम्भव नहीं हो सका है। वर्तमान अधिकारी की नियुक्ति इसलिये की गई है कि वह कर्त्तव्य का परित्याग करने वाले अधिकारियों का पता लगाये ।

श्री विभूति मिश्र : अभी आपने जो जवाब दिया मेरा प्रश्न भी उसी तरह का है । आपने कहा कि इस तरह की कमेटी बिठाई गई है । मैं समझता हूं कि मेरे प्रश्न में और उस के जवाब में कोई फर्क नहीं है । इसलिये सरकार को इसका जवाब देना चाहिये कि सके बारे में क्या किया गया है ।

†**श्री दातार :** मैंने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि वैयक्तिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिये एक अधिकारी नियुक्त किया गया है । सम्पूर्ण विषय की जांच करने के लिये नियुक्त समिति ने इस आशय का उल्लेख किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र: जो अफसर बहाल हुआ है, वह किस हद तक अपना काम पूरा कर चुका है ?

†**श्री दातार :** अधिकारी यह काम कर रहा है और वह शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ।

श्री नवल प्रभाकर : दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन और सरकार के जो अपने अपने अधिकार हैं उनको देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह अधिकार है कि वह दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन से किसी तरह की गड़बड़ी की जांच के लिये कह सके ?

†**श्री दातार :** इस अधिकारी की नियुक्ति स्वयं मेयर की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद की गई थी ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** कितने अधिकारियों से अपने आचरण की सफाई देने के लिये कहा गया है और वे किस-किस वर्ग में हैं ?

†**श्री दातार :** मैं इसकी विस्तृत जानकारी तुरन्त नहीं दे सकता हूं ।

†**श्री वाजपेयी:** अखबारों में ऐसी रिपोर्ट छपी थी कि एक नाले की प्रवाह दिशा में परिवर्तन होने से दिल्ली में पुनः जल संकट उत्पन्न हो सकता है । क्या माननीय मन्त्री यह आश्वासन देंगे कि जल संभरण में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं होगा ?

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य को अधिकारी के उत्तरदायित्व की बात से उठ कर कथित अथवा आशंकित जल संकट के विषय पर नहीं जाना चाहिये । सरकार इस दिशा में समुचित कार्यवाही कर रही है ?

निवेली तापीय बिजली घर

+

†९४७. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री थानुलिंगम नादर :
श्री रामकृष्ण :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें रूस की सहायता से निवेली में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित तापीय बिजलीघर की मुख्य-मुख्य बातें दी गई हों ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** तापीय बिजलीघर २५० मिलियन वाट प्रतिष्ठापित क्षमता के लिये बनाया गया है इसमें पांच कन्डेंसिंग टरवाइन रहेंगी जिनकी दर ५० मिलियनवाट की टरवाइन रहेगी और यह भाप की अवस्था ९० वातावरण पूर्ण तथा ५३५° सी में काम करेगा । इस परियोजना की रिपोर्ट मैसर्स टेक्नो एक्सपोर्ट, मास्को ने भारत सरकार के विशेषज्ञों और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (विद्युत् पार्श्व) की योजना केन्द्र के निकट सम्पर्क से तैयार की गई है । संयंत्र मशीनें और उपकरण के नाप सामान्यतया सोवियत रूस में प्रयुक्त मशीनों के समान हैं किन्तु इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर दिये गये हैं ताकि वह भारतीय स्टैण्डर्ड और स्थितियों के अनुरूप हो सके । यह परियोजना प्रतिवेदन निवेली लिग्नाइट परियोजना द्वारा मुख्यतः स्वीकार कर लिया गया है । और इस काम के लिये नक्शे तथा इन नक्शों पर आधारित संयंत्र, मशीनें और उपकरण के लिये संविदों के सम्बन्ध में सोवियत संभरणकर्ताओं से बातचीत चल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस बात पर विचार करते हुए कि इसमें ५००० लाख रूबल की सहायता अन्तर्ग्रस्त है और इस सहायता का उपयोग १९५७ और १९६१ के बीच करना है और अब हम १९५९ के निकट हैं तब इस योजना में शीघ्रता करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि सहायता का पूर्ण उप ोग किया जा सके ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सि-हा** : परियोजना रिपोर्ट १६ अक्टूबर, १९५८ को प्राप्त ई थी। अतः सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। मैं यह भी कह दूं कि माननीय सदस्या ने जो आंकड़े बताये हैं वह ५००० लाख रूबल अकेले इस परियोजना के लि ही नहीं है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इससे सम्बन्धित पांच अन्य परियोजनायें हैं। इन योजनाओं को भी लाभान्वित करने के लिये इन ५०० रूबल्स की सहायता कहां तक युक्त की गई है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैंने अभी बताया है कि यह परियोजन रिपोर्ट अभी १६ अक्टूबर, १९५८ को ही प्राप्त ई है। स कार्य के लिये आवश्यक मशीनों को खरीदने के लिये एक विशेषज्ञ हाल ही में बातचीत के लियेमास्को गया था। यह प्रकट करता है कि इस का में शीघ्रता करने के लिये पर्याप्त प्रयत्न किया जा रहा है।

†**श्री सम्पत** : इस तापीय बिजलीघर को काम प्रारम्भ करने में अधिकतम कितना समय लगेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : समें पांच यूनिट हैं। पहली यूनिट के मार्च, १९६१ तक प्रारम्भ होने की आशा है। अन्य यूनिट मार्च, १९६२ में चालू होंगे।

†**श्री जयपाल सिंह** : यह सहायता आ स्थगन भुगतान के आधार पर है अथवा वस्तु विनिमय के आधार पर है ? और आस्थगन भुगतान की स्थिति में यह पूरा ऋण कब चुकाया जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : इस सम्पूर्ण विषय का परीक्षण किया जा रहा है। चूंकि अभी सरकार ने परियोजना रिपोर्ट और भुगतान पद्धति के बारे में निर्णय नहीं किया है, सम्पूर्ण जानकारी बताना लोकहित में नहीं है।

†**श्री जयपाल सिंह** : इसमें लोकहित का क्या विषय है। मैं विस्तृत जानकारी के बारे में नहीं पूछ रहा हूं।

†**श्री के० दे० मालवीय** : अभी परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप में स्वीकार नहीं की गई है। अतः अनेक बातों को पूर्णरूप से स्वीकार कर उन्हें अन्तिम रूप दान करना है। वर्तमान परिस्थिति में समय से पूर्व ही सम्पूर्ण जानकारी बताना उचित नहीं होगा। कदाचित वह सदस्यों के लिये उपयोगी भी सिद्ध नहीं होंगे।

†**श्री जयपाल सिंह** : इसका अभिप्राय यह है कि अभी सरकार यह भी नहीं जानती कि यह आस्थगन भुगतान के आधार पर है या वस्तु-विनिमय के सिद्धान्त पर है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री अभी इसे प्रकट नहीं करना चाहते हैं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या नि ली परियोजना एकीकृत परियोजना है जिसमें तापीय बिजलीघर के अतिरिक्त ब्रिकेटिंग और कार्बनाइजिंग[1] भी किया जायेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : यह एकीकृत परियोजना है किन्तु इसमें प्राथमिकता का प्रश्न भी अन्तर्ग्रस्त है। सर्वाधिक प्राथमिकता तापीय बिजलीघर की रहेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Briquetting and carbonising.

†**श्री कमल सिंह** :१९६१ तक इस सहायता के बारे में, क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि क्या उक्त तिथि के अन्दर इस सहायता का उपयोग किया जा सकेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : हम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसे पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री तंगामणि** : सोवियत सहायता का कितना भाग तापीय बिजली घर के लिये आवंटित किया गया । क्या चार परियोजनाओं वाला एकीकृत संयंत्र भी १९६२ में पूरा हो जायेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : तापीय संयंत्र की अनुमानित लागत लगभग २४.४४ करोड़ रुपये है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : परियोजना रिपोर्ट अक्टूबर में प्रस्तुत की जा चुकी है । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इसे अन्तिम रूप कब तक प्रदान किया जायेगा---सोवियत संघ जाने वाले दल की रिपोर्ट मिलने के पहले या उनके लौटने के पश्चात् ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : परियोजना रिपोर्ट का यहां अनेक विशेषज्ञ निकायों ने परीक्षण किया है और सम्भव है कि सरकार से शीघ्र ही स्वीकार कर लेगी । किन्तु मैं अभी तत्काल ही कोई वचन नहीं दे सकता हूं ।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†*९५०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बंगलौर में पूर्ण उत्पादन-क्षमता के अनुसार काम हो रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ग) इसकी पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : (क) जी नहीं ।

(ख) फैक्टरी की एक पारी की वर्तमान अनुमानित उत्पादन-क्षमता तिव लगभग १.२ करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरण का निर्माण है ।

(ग) प्रभोक्ता विभागों की आवश्यकता पूरी करने के लिये उपकरणों में रूपभेद एवं विकास कार्य; प्रदर्शन, टैक्नीकल परीक्षण और प्रयोग जिनकी उपकरण के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई और विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयां ही भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की पूर्ण उत्पादन-क्षमता का उपभोग न होने के कारण हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : माल के उत्पादन के लिये इस कारखाने के कितने प्रतिशत भाग का उपयोग किया जा रहा है ?

†**श्री रघुरामैया** : अभी तो ४०-५० प्रतिशत भाग का ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या यहां यार होने वाले सारे माल का प्रतिरक्षा में लय उपयोग कर लेता है ?

---

†मल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया** : अभी तक यहां जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है उनमें से अधिकांश रेलवे आदि अन्य विभागों के लिये होती हैं, प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये नहीं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : निर्माण सम्बन्धी यह विशाल कार्यक्रम आरम्भ करते समय क्या विदेशी मुद्राओं की कठिनाई का अनुमान लगा लिया गया है क्योंकि इसका अधिकांश भाग अभी खाली पड़ा है ?

†**श्री रघुरामैया** : जी नहीं, १९५२ में नहीं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच है कि नियोजन न होने के कारण ही इस क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है और इसकी एक वजह यह भी है कि इस से असैनिक आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पातीं ?

†**श्री रघुरामैया** : मुख्य कठिनाई यह रही है कि कुछ प्रयोक्ता जिस प्रकार के वायरलेस सेट चाहते हैं उनमें उन्होंने कुछ और रूपभेदों की मांग की थी । उस सम्बन्ध में विकास कार्य में कुछ समय लग गया । १९५२ के बाद से इलैक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में भी बड़े सुधार हो चुके हैं ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : बी० ई० एल० में मूल रूप से जिन वस्तुओं का निर्माण करने की योजना बनायी गयी थी क्या उनमें से कुछ सूची में से निकाल दी गयी हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : जी नहीं ।

†**श्री शिव जप्पा** : क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स में सस्ते पंचायती रेडियो सेटों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री रघुरामैया** : कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं । अभी से यह कहना कठिन है कि फलां-फलां चीज़ का निर्माण आरम्भ होगा ।

†**श्री मुरारका** : एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने हाल ही में बताया था कि इस फैक्टरी में रेडियो-वाल्व बनाने का निश्चय किया है । क्या वे इसके लिये किसी बाहरी देश का सहयोग प्राप्त करेंगे और यदि हां तो किस प्रकार का ?

†**श्री रघुरामैय्या** : विदेशी सहयोग के इस प्रश्न पर ही तो विचार किया जा रहा है । अभी से उसका कुछ ब्यौरा नहीं बताया जा सकता ।

†**श्री मुरारका** : क्या इससे मैं यह समझूं कि सरकार ने अभी किसी विदेशी सहयोग के बारे में निश्चय नहीं किया है और अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है ?

†**श्री रघुरामैया** : यदि माननीय सदस्य इस कम्पनी का ही नाम जानना चाहते हों जिससे हम सहयोग करने वाले हैं तो कम से कम मेरी जानकारी में तो अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि १९५६ की जनवरी का अपना उत्पादन आरम्भ करने से पहले ही भारत इलक्ट्रोनिक्स लिमिटेड को १८,८७,४७२ रुपयों का घाटा हो चुका था और यदि हां, तो क्या यह सच है कि पूंजी आस्तियों का मूल्य मनमाने ढंग से बढ़ाया हुआ दिखा कर इन ऋणों का समायोजन कर लिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया** : मुझे घाटे के वास्तविक आंकड़ों का पता नहीं है। यह सच है कि हम मशीनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाये हैं। उस सीमा तक निश्चय ही ऊपरी खर्च को तैयार होने वाली वस्तुओं पर बराबर से बांट दिया जायगा। लेकिन वास्तविक घाटा कितना था, मुझे पता नहीं।

†**श्री हेम बरुआ** : निश्चित संख्या १८,८७,४७२ रुपये है।

†**श्री रघुरामैया** : मैं यह बता सकने की स्थिति में नहीं हूं कि ये आंकड़े सही हैं या गलत।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में चर्चा योग्य विषयों में मैंने भारत इलैक्ट्रोनिक्स के वार्षिक प्रतिवेदन को भी स्वीकार कर लिया है और श्री अशोक मेहता और अन्य सदस्यों की एक छोटी सी समिति भी बना दी है। केन्द्रीय सरकार ने अब तक समय समय पर जिन उपक्रमों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया उन से आने वाले प्रतिवेदनों की संख्या अब ६७ हो गयी है। मैं ने उन्हें समूहों में रख दिया है। मुझे पता नहीं है कि माननीय सदस्यों ने चर्चा के लिये कोई प्रस्ताव उपस्थित किया है या नहीं। मैं समय समय पर इन प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिये वक्त दूंगा। हम प्रश्न-काल का ही सारा समय इस पर नहीं लगा सकते।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : हमारे पास उसके लिये समय नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को कुछ समय अधिक बैठने के लिये तैयार रहना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** : उपमंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के बाद वाले अंश का उत्तर नहीं दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का समायोजन किस प्रकार से हो रहा है? सम्पत्ति की कीमत या वस्तुओं का मूल्य बढ़ा कर?

†**श्री रघुरामैया** : ऊपर के खर्च को स्वाभाविक रूप से ही विभिन्न वस्तुओं की उत्पादन-लागत में बांट दिया जायगा। इसी लिये मैं इस बात को पहले ही मान लेता हूं।

†**श्री तिरुपल राव** : यह घाटा पहले त्रुटिपूर्ण योजना बनाने के कारण हुआ है या बाद में इस संस्था के कार्य के ढंग के कारण?

†**श्री रघुरामैया** : मैं बता चुका हूं कि हम ने जितना अनुमान किया था उसके अनुसार हम मशीनों का पूरा उपयोग इसी वजह से नहीं कर पाये क्योंकि मूलतः अनुसूची में ही जो वस्तुयें शामिल थीं उनके सम्बन्ध में विकास कार्य में कठिनाई उत्पन्न हो गयी थी और यह विकास कार्य इसलिये आवश्यक हो गया क्योंकि इलैक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में ही सुधार हो गया है।

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या यह सच है हम उन वस्तुओं के आयात पर भी विदेशी मुद्रायें व्यय कर रहे हैं जिनका निर्माण इस संस्था में किया जा सकता है?

†**अध्यक्ष महोदय** : विदेशी मुद्राओं की बात छोड़िये, क्या हम उन वस्तुओं का आयात कर रहे हैं जिनका निर्माण भारत इलैक्ट्रोनिक्स में होने लगा है या हो सकता है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया** : जहां तक उन वस्तुओं का सम्बन्ध है जिनका निर्माण किया जा सकता है, उनके विषय में जांच की जा रही है । एक उत्पादन-सम्मेलन हुआ था । यह हो सकता है कि जिन वस्तुओं का हम अभी आयात करते हैं, यदि उनमें से कुछ के सम्बन्ध में यह पता चला कि यहां उनका निर्माण हो सकता है तो हम इन योजनाओं को आगे बढ़ायगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पदाधिकारियों का केन्द्रीय प्रशासनिक संग्रह[1]

†**९३७. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक संग्रह की योजना को क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या यह योजना राज्य पुनर्गठन आयोग की इस सिफारिश के अनुरूप है कि राज्यों और केन्द्र के बीच नियमित रूप से वरिष्ठ पदाधिकारियों का आदान-प्रदान होता रहना चाहिये ।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) केन्द्रीय प्रशासनिक संग्रह के लिये चुनाव कार्य पूरा हो चुका है और सम्बन्धित पदाधिकारियों तथा राज्य सरकारों को तदनुसार सूचनायें भेज दी गयी हैं ।

(ख) केन्द्रीय और राज्यों के बीच पदाधिकारियों का आदान प्रदान आशा है अधिक नियमित रूप से होने लगेगा ।

कोयले का उत्पादन

†***९४१. श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कोयले के उत्पादन का कितना लक्ष्य राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सुपुर्द कर दिया गया है; और

(ख) अपना लक्ष्य प्राप्त करने में वह किस हद तक सफल हो गया है और उनका कोटा कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ४]**

भारत में तेल की खोज

†***९४८. श्री विश्वनाथ राय** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बतानेकी कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष भाग में तेल की खोज के लिये जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण होने वाला था, सरकार उसके क्षेत्र का और भी विस्तार करने वाली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Central Administrative Pool.

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी नहीं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अधिक गहन ढंग से कार्य किया जा सकता है।

येम्मिंगनूर में तेल के निक्षेप

†*९४९. **श्री वोडयार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के येम्मिगनूर स्थान में तेल-निक्षेपों के चिह्न पाये गये हैं; और

(ख) क्या उसकी खोज के लिये कुछ कार्यवाही की गयी है, और यदि हां, तो क्या ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तस्कर व्यापार

*९५१. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है कि राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों में पाकिस्तान से सोना चोरी से लाया जा रहा है ;

(ख) १९५८ में तस्कर व्यापरियों से कितना सोना पकड़ा गया; और

(ग) क्या यह सच है कि पुलिस अब तक उक्त तस्कर व्यापार को रोकने में असमर्थ रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) पाकिस्तान से, राजस्थान के रास्ते, भारत में चोरी छिपे सोना लाये जाने के मामलों की सूचना समय समय पर मिलती रहती है।

(ख) चोरी-छिपे सोना लाने वालों से १९५८ में ३१ अक्तूबर तक राजस्थान की सीमा पर २१,५९९ तोला सोना पकड़ा गया।

(ग) सीमा शुल्क कानून के अन्तर्गत पुलिस को सीमा-शुल्क विभाग की सहायता के लिये सीमा-शुल्क सम्बन्धी कुछ कार्य करने का अधिकार दिया गया है। राजस्थान की वर्तमान परिस्थितियों में चोरी-छिपे माल लाये जाने को जहां तक रोका जा सकता है रोका जा रहा है।

प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला, हैदराबाद

†*९५२. **श्री संगण्णा** : क्या **वैज्ञानिक, गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद की प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला पैट्रोलियम मोम का प्रयोग करने वाला एक लैम्प बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह मसला इस समय किस अवस्था में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां।

(ख) परीक्षण के लिये इस लैम्प के कुछ प्राथमिक प्रयोगात्मक डिजायन बनाये गये हैं और आगे जांच जारी है।

मनीपुर के आदिम जाति क्षेत्र

†*९५३. श्री ले० अचौ० सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मनीपुर के आदिम जाति क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशासनिक यूनिटें अथवा सर्किल खोलने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितनी यूनिटें खोली जा रही हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को अन्तिम रुप देने में कितना समय लगेगा ?

†गृह-कार्यमंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क) से (ग). मनीपुर के आदिम जाति क्षेत्रों में कुछ अतिरिक्त सर्किल खोलने के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

पंजाब का क्षेत्रीय-फार्मूला

†*९५४. श्री मू० चं० जैन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे कुछ अभ्यावेदन मिले हैं कि क्षेत्रीय फार्मूले के अधीन पंजाब की क्षेत्रीय समितियों को जो शक्तियां दी गई हैं वह पर्याप्त नहीं हैं और इन समितियो को और भी शक्तियां दी जानी चाहियें और इन के सभापति का दर्जा बढ़ा कर उसे राज्य-मंत्री के दर्जे के बराबर कर दिया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा

†*९५५. श्री झूलन सिंह : क्या शिक्षा मंत्री २६ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ राज्य सरकारों ने निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में एक अग्रिम परियोजना लागू करने का जो सुझाव स्वीकार किया था, उसे अब तक किस हद तक क्रियान्वित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है :

विवरण

आन्ध्र प्रदेश और बिहार की सरकारों तथा दिल्ली निगम ने सार्वभौमिक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा निम्न प्रकार से अग्रिम परियोजना के रूप में लागू करने का निश्चय किया है :—

आन्ध्र प्रदेश	१९५८-५९ में तीन राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड
बिहार	जनवरी १९५९ से १७ राष्ट्रीय विस्तार सेवा सामुदायिक विकास खंड
दिल्ली निगम	निकट भविष्य में २ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड ।

चुनाव चिन्हों का नियत किया जाना

*९५६. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा गया है कि विभिन्न राज्यों में नगर-पालिका, जिला बोर्ड तथा ग्राम पंचायत के लिये निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्तियों के लिये वे ही चुनाव चिह्न नियत कर दिये जाते हैं जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय राजनैतिक दलों के लिये विधिवत नियत किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि इन चुनाव चिह्नों के नियत करने से उमीदवार चुनाव का प्रचार करते हैं, और जनता को बहकाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस प्रथा को रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस): (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा सदन पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई राज्य को अनुदान

†*९५७. **श्री पु० र० पटेल :**
श्री क० उ० परमार :
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या वित्त मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई सरकार को केन्द्रीय सरकार विकास कार्यों के लिये जो अनुदान देती है उन का उपयोग दलगत नीति के अनुसार किया जाता है; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि कांग्रेसियों को जिला विकास बोर्डों के उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी बना कर उन्हें अनुदानों में से रुपया दिया जाता है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). प्रश्न में जो आरोप लगाया गया है वित्त मंत्रालय को बम्बई सरकार द्वारा केन्द्रीय अनुदानों का वैसा दुरुपयोग किये जाने की कोई खबर नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के स्कूल

†*९५८. { श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मान्यता प्राप्त स्कूलों के परीक्षाफल आमतौर पर सरकारी स्कूलों के परीक्षाफलों से अच्छे रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सराकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां, कुछ हद तक सरकारी उच्चस्तर माध्यमिक स्कूलों में ।

(ख) शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये सरकारी स्कूलों में अनुभवी अध्यापक रखे जा रहे हैं और उन्हें अधिक उपकरण दिये जा रहे हैं। अस्कमात निरीक्षण भी जल्दी-जल्दी होने लगा है। अच्छे परीक्षाफल देने वाले अध्यापकों को प्रोत्साहन देने का विचार है और जिन के परीक्षाफल लगातार कई वर्षों तक खराब रहेंगे उन के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा है ।

सैनिक अफसरों के वेतन-क्रम

†*९५९. श्री उ० च० पटनायक : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सैनिक अफसरों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां तो क्या मंत्री महोदय इस के ब्यौरे के संबंध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आदर्श गांव

†*९६०. श्री बै० च० मलिक: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई आदर्श गांव बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां क्या भारत में कहीं यह कार्यक्रम आरम्भ किया जा चुका है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). जी हां। आसाम, मध्य प्रदेश, और केरल में यह कार्यक्रम आरम्भ हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

टैक्नीकल शिक्षा के लिये अखिल भारतीय परिषद्

†*९६१. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैक्नीकल शिक्षा में अखिल भारतीय परिषद ने विभिन्न टैक्निकल विषयों के पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से विषय हैं ;

(ग) क्या इन पाठ्यक्रमों को किन्हीं राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों ने डिग्री के समान मान्यता प्रदान की है ; और

(घ) जिन छात्रों ने ये कोर्स पास किये हैं, उनकी सहायता के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५]**

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन

†*९६२. **श्री ी० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री प्रभात कार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग एक वर्ष पूर्व मैसर्ज़ भारत ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड, कलकत्ता के कार्यालय की तलाशी ली गई थी और कुछ ऐसे दस्तावेज़ मिले थे जिन से विदेशी मुद्रा के अनधिकृत लेन देन और विदेशी बैंकों में जमा राशियों का पता चला था ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) इस कम्पनी के कार्यालय की तलाशी ली गई थी और कुछ दस्तावेज़ों पर कब्ज़ा किया गया था ।

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम की धारा १९(२) के अन्तर्गत फर्म और इसके डायरेक्टरों को एनफोर्समेंट के डायरेक्टर ने एक निर्देश जारी किया था जिसमें उन्हें कुछ जानकारी और दस्तावज़ उपलब्ध करने के लिये कहा गया था । उन्होंने उत्तर भेज दिये हैं जिनको देखा जा रहा है ।

मैसूर में अनुसूचित जातियों की सूची

*९६३. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** २१ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने यह सिफारिश की है कि उन समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची से निकाल दिया जाये जो अस्पृश्य नहीं माने जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारतीय विदेश सेवा

†*९६४. **श्री दिनेश सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पहले वर्षों की अपेक्षा अब सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले छात्र भारतीय विदेश सेवा के लिये कम संख्या में विकल्प देते हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त):** १९५४ और १९५५ की अपेक्षा १९५६ और १९५७ में कम छात्रों ने भारतीय विदेश सेवा के लिये विकल्प दिया था।

पंजाब में ग्राम्य संस्था

†*९६५. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में अमरीकी टेक्नीकल सहकारिता मिशन की सहायता से एक ग्राम्य संस्था स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर और वह कब चालू होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख). पंजाब में किसी उपयुक्त स्थान पर एक ग्राम्य संस्था आरम्भ करने के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। अमरीका के टैक्नीकल सहकारिता मिशन ने कोई सहायता देने का वायदा नहीं किया है।

विदेशियों की नियुक्तियां

†*९६६. **श्री सैं० अ० मेहदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशियों को नौकरी देने पर कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). विदेशियों को तभी नियुक्त किया जाता है जब उपयुक्त भारतीय उपलब्ध नहीं होते। ये नियुक्तियां कम से कम अवधि के लिये संविदा के आधार पर की जाती हैं और उसी दौरान में भारतीयों को प्रशिक्षित किया जाता है जो कि उन पदों को संभाल सकें।

जामनगर के निकट विमान दुर्घटना

†*९६७. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री हेम बरूआ :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्रीमती मसूदा अहमद :
श्री प्र० के० देव :
श्री बि० च० प्रधान :
श्री दशरथ देब :
श्री हाल्दर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ नवम्बर, १९५८ को जामनगर में एक जेट विमान, जब कि वह दिल्ली आने के लिए उड़ान शुरू कर रहा था, गिर गया ; और

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां।

(ख) रायल एयर फोर्स का एक पाइलट उस विमान को ब्रिटेन से भारत ला रहा था । जामनगर हवाई अड्डे पर धावन मार्ग के सिरे पर गिर गया और उड़ान नहीं ले सका । पाइलेट मारा गया और विमान नष्ट हो गया । एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया है ।

ऋण सूचना ब्यूरो[1]

†*९६८. **श्री विमल घोष** : क्या **वित्त** मंत्री १६ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिज़र्व बैंक के अधीन एक ऋण सूचना ब्यूरो स्थापित करने के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह ब्यूरो किस प्रकार का होगा और इसके क्या कृत्य हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) नहीं । अभी रिज़र्व बैंक आफ इंडिया इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

(ख) इस अवस्था में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चाय की फसल पर सहकारी बैंकों की पेशगियां

†*९६९. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने आसाम कोआप्रेटिव एपेक्स बैंक से कहा है कि वह चाय की फसल के अनुमान के आधार पर चाय बागान को ऋण न दे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने आसाम सरकार को यह मंत्रणा दी है कि आसाम कोआप्रेटिव एपेक्स बैंक को चाहिये कि वह विशेष व्यक्तियों, हिस्सेदारों और संयुक्त स्कंध समवायों की बजाये उन संस्थाओं को ऋण दे जो उनके सदस्य हैं, चाहे वे चाय बागान हों अथवा कोई और ।

(ख) शीर्ष बैंक का मुख्य उद्देश्य उन सहकारी संस्थाओं, जैसे कि केन्द्रीय सहकारी बैंक और उससे सम्बद्ध संस्थायें, को ऋण दें जो उन से सम्बद्ध है । फर्मों और समवायों के लिये वित्त की व्यवस्था करना इसका काम नहीं है ।

प्रत्यक्ष-कर व्यवस्था जांच समिति

†*९७०. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **वित्त** मंत्री २६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्यक्ष-कर व्यवस्था जांच समिति ने आगे और क्या प्रगति की है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : समिति ने ३१ अगस्त, १९५८ को प्रत्यक्ष-कर व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनता और विभागीय कर्मचारियों को एक विस्तृत प्रश्नावली

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Credit Information Bureau.

भेजी। उत्तरों की प्राप्ति के लिये पहले ३१ अक्तूबर, १९५८ तिथि निश्चित की गई थी परन्तु उन्हें बहुत से अभ्यावेदन मिलने पर तिथि ३० नवम्बर, १९५८ कर दी गई। लगभग ४५० उत्तर प्राप्त हुए हैं और उनका अध्ययन तथा विश्लेषन किया जा रहा है।

इसी दौरान में समिति ने बम्बई और नागपुर में आय कर कार्यालयों के काम का अध्ययन किया और नागपुर में आयकर पदाधिकारियों के ट्रेनिंग कालेज का कार्य संचालन भी देखा। समिति की बैठकें १६ दिसम्बर, १९५८ से शुरू होंगी।

विधि मंत्रालय का पुनर्गठन

†*९७१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि मंत्रालय का पुनर्गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठन किस प्रकार का था और उसके क्या लाभ हैं ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) जी हां।

(ख) १२ अगस्त, १९५८ से विधि मंत्रालय को दो अलग-अलग विभागों में पुनर्गठित किया गया है, एक विधि कार्य विभाग है और दूसरा विधान विभाग, और दोनों विभागों के अलग-अलग सचिव हैं। इस सम्बन्ध में जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]**

पुनर्गठन के फलस्वरूप एक सचिव केवल विधान कार्य को देखता है और दूसरा सचिव मंत्रालय के शेष कार्य को। यह व्यवस्था करने से मंत्रालय का काम अधिक कुशलता से होता है।

विदेशों में शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां

†*९७२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि विदेशों में शिक्षा के लिये अब जो छात्रवृत्तियां दी जायेंगी उनके लिये चुनाव योग्यता के आधार पर किया जायेगा। और सभी पात्र उम्मीदवार, चाहे वे सरकार की ओर से हों, प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां, उन के इलावा जबकि छात्रवृत्तियां देने वाली विदेशी सरकारें और/अथवा संस्थायें निश्चित रूप से सरकारी उम्मीदवारों की ही मांग करती हैं।

(ख) इस प्रयोजनार्थ अभी कोई विस्तृत योजना तैयार नहीं की गई है। योजना यह है कि छात्रवृत्तियों के लिये सब से योग्य व्यक्ति चुने जाने चाहियें चाहे वे सरकारी व्यक्ति हों या अन्य।

---

†मूल अंग्रेजी में

शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन

†*९७३. { श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की सिफारिश के अनुसार एक स्वतंत्र समिति नियुक्त की है जो शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की योजनाओं में समन्वय करेगी ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब स्थापित किया गया ; और

(ग) एक एकीकृत नीति बनाने के लिये समिति ने क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पहाड़ी प्रदेशों में पवन शक्ति का प्रयोग

†*९७४. { श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २० दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १४१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पवन शक्ति के उपयोग व विकास की प्रस्तावित योजना को कार्यान्वित करने के प्रश्न के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : पवन शक्ति के काम की प्रगति में बहुत बड़ी अड़चन इसलिये हुई कि विभाग का कार्यभार संभालने के लिये उपयुक्त व्यक्ति भरती नहीं किया जा सका । इस अफसर को नियुक्ति के बाद उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के सर्वेक्षण के प्रश्न को लिया जायेगा ।

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था, नागपुर

†*९७५. { श्री राम कृष्ण :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में एक केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था स्थापित करने की योजना के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या ब्यौरे हैं ; और

(ग) उस की स्थापना में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ७]

वृक्षों और छतों के गिरने की आकस्मिक घटना

†*९७६. **श्री वोडयार** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९५८ में मैसूर राज्य के कोराटागेर तालुक में लगभग ४० मील लम्बे और चालीस फुट चौड़े क्षेत्र में वृक्षों और छतों के गिरने की एक आकस्मिक घटना हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में यह रिपोर्ट मिली है कि इस आकस्मिक घटना का संभवतः कारण यह था कि 'बेल्ट' पर से एक जबर्दस्त आंधी सी गुजरी थी । हो सकता है यह आंधी उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर चल रही थी ।

जामिया मिलिया और गुरुकुल कांगड़ी के डिप्लोमे और डिग्रियां

†*९७७. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री वि० र० त्रिपाठी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जामिया मिलिया और गुरुकुल कांगड़ी के डिप्लोमे और डिग्री कोर्सों को अस्वीकार करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस वर्ष और किस तिथि से ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). जामिया मिलिया और गुरुकुल कांगड़ी के निम्नलिखित डिप्लोमे तथा डिग्री कोर्सों को १८ सितम्बर, १९५१ से भारत सरकार के अधीन नौकरी के लिये अस्थायी रूप से अभिस्वीकार किया गया था :—

	डिग्री/डिप्लोमे	निम्नलिखित के बराबर अभिस्वीकार किया गया
जामिया मिलिया	जामिया सीनियर	इन्टर
	जामिया सनदी	बी० ए०
	बी० ए० के बाद शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स	बी० टी०
गुरुकुल कांगड़ी	विद्याविकारी	मैट्रिक
	अलंकार	बी० ए०

उक्त अस्वीकृति १७ सितम्बर, १९५९ तक वैध है ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली और नई दिल्ली में इमारतों के लिये प्लौटों का आवंटन

†*९६८. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में सैनिक कर्मचारियों को रियायती दामों पर इमारतों के लिये प्लौट आवंटित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितना आंवटन किया गया है और कितनी रियायत दी गई है ; और

(ग) उन्हें रियायत देने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). विस्थापित सैनिक कर्मचारियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को इमारतों के लिये नई दिल्ली की किलोकरी कोलोनी में प्लाट दिये गये हैं। इन कर्मचारियों को २७ बड़े, १,१२८ माध्यमिक और ४६८ छोटे प्लौट एलाट किये गये हैं। इन प्लौटों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्रमशः ८६७, ३२५ और २१७ वर्ग गज़ है। बड़े तथा माध्यमिक प्लौट सैनिक अफसरों को एलाट किये गये हैं और छोटे प्लौट सैनिकों को एलाट किये गये हैं।इन सैनिकों को छोटे प्लौट तो उन्हीं शर्तों पर दिये जाते हैं जिन के अनुसार वही प्लौट असैनिक कर्मचारियों को दिये जाते हैं, परन्तु बड़े और माध्यमिक प्रकार के प्लौटों में सैनिक अधिकारियों को प्रीमियम अदा करने में कुछ रियायत दी जाती है। यह प्रीमियम उस प्रकार के प्लौटों के लिये निश्चित की गई कीमत के आधार पर निश्चित किया जाता है, जबकि असैनिक विस्थापित व्यक्तियों को दिये जाने वाले प्लौटों के लिये टेण्डर मांगे जाते हैं और उसी के आधार पर दाम निश्चित किये जाते हैं। सैनिक पदाधिकारियों को यह रियायत इसलिये दी गई है कि अनुभव किया गया था कि सैनिक पदाधिकारियों की ड्यूटी ऐसी होती है कि वे नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इस बस्ती के माध्यमिक प्लौटों की खरीद के लिये प्रतिरक्षा कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों को इस बात की भी अनुमति है कि यदि वे चाहें तो १५ किश्तों में सारी कीमत अदा कर सकते हैं।

गैस शोधन संयंत्र में आग

*९७९. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री पाणिग्रही :
श्री नागी रेड्डी :
श्री आसर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र के गैस शोधन संयंत्र में अभी हाल ही में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या आग लगने के कारणों की जांच की गई थी ; और

(ग) इस से कितना नुकसान हुआ ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं, लेकिन ३१-१०-५८ को बाई-प्रोडेक्ट (उपोत्पादक) कारखाने में आग लग गई थी। बाई-प्रोडेक्ट

---

†मूल अंग्रेजी में

कारखाने के एक शीतक (कूलर) के बाहरी कोश पर वेल्डिंग कार्य होने के कारण उत्पन्न अधिक गर्मी ने अन्दर लकड़ी के व्यारोध में आग लगा दी थी।

(ग) लगभग ४,५०० रुपये।

सैनिकों के लिये शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधायें

†*९८०. **श्री उ० च० पटनायक :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित बातों का विनिश्चिय करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई है :—

(क) सैनिकों को, इस दृष्टि से कि वे बाद में असैनिक जीवन निभा सकें, उन्हें सैनिक सेवा के दौरान में शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में क्या क्या सुविधा दी गई है ;

(ख) अल्पकालीन सेवा कार्यों के उचित संशोधन और उसे लागू करके उन्हें शीघ्र ही सैनिक सेवा से अलग करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) प्रशिक्षित और अनुशासनबद्ध भूतपूर्व सैनिकों को देश के विकास कार्यों तथा अन्य प्रकार के राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाने के लिये सैनिक और असैनिक प्राधिकारियों में पर्याप्त सम्पर्क रखने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८]**.

दिल्ली पुलिस

*९८१. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पुलिस विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पुनर्गठन का क्या उद्देश्य है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस कर्मचारियों की संख्या को उस विभाग की जरूरतों के मुताबिक रिव्यू करने के प्रस्ताव पर गौर किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों के लिये मकानों के प्लौट

†*९८२. **श्री वै० च० मलिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से यह सिफारिश की थी कि वे इस वर्ष में अनुसूचित जातियों के लिये मकानों के प्लौटों के सम्बन्ध में उपयुक्त व्यवस्था करें; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उन्होंने उस सम्बन्ध में क्या किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, हां ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ग ी है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९]**

कृत्रिम नक्षत्र मण्डल

†*९८३. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतंत्र गणराज्य (पूर्वी जर्मनी) द्वारा १९५६ की नई दिल्ली की औद्योगिक प्रदर्शनी के बाद भारत को जो कृत्रिम नक्षत्रमण्डल भेंट में दिया गया था, उसका कुछ भी उपयोग नहीं किया गया है; और

(ख) क्या कोई ऐसा उपाय किया जा रहा है जिससे उसे एक ऐसे ढांचे में रख दिया जाये जिससे लोग भी उसे देख सकें ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य उप मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां। परन्तु उसकी स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) जी, हां ।

विदेशियों की मूर्तियां

***९८४. श्री जगदीश अवस्थी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में किन-किन स्थानों से विदेशियों की मूर्तियां हटा दी गई हैं; और

(ख) शेष मूर्तियां कब तक हटाये जाने की आशा है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) अतारांकित प्रश्न संख्या १०२१ के उत्तर में ८ मार्च, १९५८ को बताया जा चुका है कि दिल्ली में दो मूर्तियां हटाई गईं ।

(ख) बाकी मूर्तियां अजायबघरों में जगह मिलने पर हटा दी जायेंगी ।

संघ राज्य क्षेत्रों की कार्य व्यवस्था में सुधार

†***९८५. श्री ले० अचौ० सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ृह-कार्य मंत्रालय का एक वरिष्ठ पदाधिकारी यह जानने के लिये नियुक्त किया गया है कि सभी संघ राज्य-क्षेत्रों में काम काज कैसा चल रहा है और उनका किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उस अधिकारी ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). जैसाकि एक पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के संघ राज्य-क्षेत्रों के वर्तमान प्रशासन व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया था । कुछ समय हुआ है, उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी । अब उस पर विचार किया जा रहा है । जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, प्रशासन व्यवस्था के पुनर्गठन की योजना १ दिसम्बर, १९५८ से लागू कर दी गयी है । फिर भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा और अनुवर्ती राज्य सेवाओं के अलग-अलग संवर्ग स्थापित करने की प्रस्थापना है ताकि वे संयुक्त रूप से दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की मांगों को पूरा कर सकें । उनके ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं । हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के संघ-राज्य-क्षेत्रों की प्रशासन-व्यवस्था का पुनर्गठन करने के सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है और उन्हें बारी-बारी से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

दिल्ली पालीटेक्निक

†*९८६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि पहले ही मंजूर हो चुका है, दिल्ली पॉलीटेक्निक के सर्वांगीण विकास की योजना की कार्यान्विति में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) पॉलीटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग के डिग्री कोर्स के लिये दी गयी सुविधाओं के क्या-क्या ब्योरे हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है ।[**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०**]

संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये अखिल भारतीय सेवा पदाली

†*९८७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री सरजू पांडे :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों की अपनी अखिल भारतीय सेवाओं की एक अलग पदाली होगी;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूप से रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) फिलहाल तो केवल दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के लिये आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के लिये संयक्त रूप से पदाली बनायी जावे।

(ख) और (ग). इस ोजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय युवक केन्द्र दिल्ली

†*९८८. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के तालकटोरा गार्डन के निकट 'रिज एरिया' के एक भाग में एक राष्ट्रीय युवक केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में एक प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) सम्बन्धित मंत्रालय से इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है और इस बारे में पर्याप्त सीमा तक फैसला हो चुका है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी लोगों के लोक-गीत

*९८९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के गढ़वाल, देहरादून और टिहरी-गढ़वाल के पर्वतीय लोगों के लोक-गीतों और चित्रों के संग्रह, संरक्षण और लोक प्रिय बनाने की दिशा में अब तक कोई कार्यवाही की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में भविष्य के लिये क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल कार्यक्रम इस प्रकार है :—

(१) लोक-गीतों का संग्रह, रिकार्डिंग और प्रसारण जारी रखना,

(२) लोक-कलाओं का सर्वेक्षण,

(३) लोक-गीतों और लोक-चित्रों की विशेष पुस्तकों और छोटी पुस्तिकाओं का प्रकाशन,

(४) लोक-कलाओं के सेमीनार का आयोजन,

(५) जहां भी सम्भव हो, वहां उन संगठनों को वित्तीय सहायता देना जो लोक-कला की तरक्की में लगे हुये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोलार क्षेत्र में सोने की खानें

†*९९०. श्री राम कृष्ण :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में मैसूर राज्य के कोलार क्षेत्र में और सोने की खान का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो खोजे गये सोने की अनुमानित मात्रा कितनी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जिस स्थान पर सोना मिला है उसके आसपास और नीचे की ओर जमीन के भीतर व्यापक विकास कार्य और ब्लाकिंग का कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक ठीक-ठीक यह बताना बहुत कठिन है कि वहां कितना सोना प्राप्त हो सकेगा ।

नेपाल में भारतीय वस्तुओं पर सीमा-शुल्क

†*९९१. **श्री श्रीनारायण दास : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार नेपाल से भारत को आने वाली तथा भारत से नेपाल को जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर सीमा-शुल्क लगाती है जबकि भारत सरकार ऐसा नहीं करती ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस कर के कारण भारत में बनी वस्तुयें नेपाल में भेजी जाने पर ऐसी ही अन्य वस्तुओं का, जो अन्य देशों से आती हैं, अच्छा मुकाबला नहीं करतीं ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार से कोई करार है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या एक कापी सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) यह सच है कि नेपाल से आयात होने वाली व नेपाल को निर्यात होने वाली वस्तुओं पर भारत शुल्क नहीं लगाता । नेपाल सरकार अपनी सीमा शुल्कावलि बना सकती है ?

(ख) वाणिज्यिक, आर्थिक और राजनैतिक विचारों से ऐसा करना उचित समझा गया है ।

(ग) नेपाल को जाने वाली विदेशी वस्तुओं पर सीमा-शुल्क उन्हीं दरों पर लिया जाता है जो भारत में लागू हैं और नेपाल सरकार के नाम में जमा कर दी जाती हैं । अतः नेपाल जाने वाली विदेशी वस्तुओं के साथ हानिकारक मुकाबले की कोई सम्भावना नहीं है ।

(घ) तथा (ङ) हां, श्रीमान् । भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच व्यापार-सम्बन्ध १९५० की व्यापार तथा वाणिज्य संधि के आधार पर है । सन्धि की एक कापी सभा-पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११]

---

†मूल अंग्रेजी में

"साउथ चाइना एथलेटिक एसोसियेशन फुटबाल टीम"

†*९९२. श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या शिक्षा मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "साउथ चाइना एथलेटिक एसोसियेशन फुटबाल टीम" ने आई० एफ० ए० के प्रबन्धानुसार बम्बई और कलकत्ता में प्रदर्शनी मैच खेले थे; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार को सूचना मिली कि आने वाली टीम के ७ सदस्यों ने टोकियो में एशियाई खेलों में ताइवान के प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिया था और भारत इस राज्य को मान्यता नहीं देता । टीम को भारत में मैच खेलने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि सरकार को आल इण्डिया फुटबाल फैडरेशन से थोड़े समय पहिले सूचना मिली थी । इस बात का सुनिश्चय करने का समय नहीं था कि इन खिलाड़ियों की निष्ठा ताइवान के प्रति है अथवा वे हांगकांग (ब्रिटिश) के राष्ट्रजन हैं तथा हांग-कांग के नियमित पारपत्रों पर यात्रा कर रहे हैं ।

छावनियों में झाड़ू लगाने वाले तथा सफाई आदि करने वाले मेहतर*

†१४६४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १८ अगस्त १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की छावनियों में झाड़ू लगाने वाले तथा सफाई आदि करने वाले मेहतरों को रहने की हालतों में सुधार करने के लिए सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) ३० नवम्बर, १९५८ तक बने मकानों के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १ जुलाई और ३० नवम्बर, १९५८ के काल में भारत सरकार १०,८८७ रु० के विशेष सहायक अनुदान मथुरा छावनी हरिजनों के लिए ७ और क्वार्टरों के निर्माण तथा औरंगाबाद व कन्नानूर छावनियों में अन्य ७ क्वार्टरों की पूर्ति के लिये मंजूर किये हैं ।

अन्य ७ छावनियों में हरिजनों के लिए ६२,४०० रुपये की लागत पर ३६ और क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) १७८ क्वार्टरों का कार्य जिनका पहिले निर्माण हो रहा था, सन्तोषजनक रूप में चल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Sweepers and Scavengers.

मल ले जाना

†*१४६५. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बै० च० मलिक :
श्री संगण्णा :
श्री मू० चं० जैन :

क्या गृह-कार्य मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप-समिति ने, जो हरिजन कल्याण सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड ने टोकरियों या बालटियों में मल ले जाने की प्रथा को समाप्त करने की योजना तैयार करने के लिए नियुक्त की थी, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दुर्गाबाई समिति की रिपोर्ट

†१४६६. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण :
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला शिक्षा की जांच करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख के सभापतित्व में नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब प्रस्तुत होगी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). विचार है कि समिति अगले महीने रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

पंजाब में पुरातत्वीय सर्वेक्षण

†१४६७. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण :
श्री दलजीत सिंह :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) पंजाब में प्राचीन मन्दिरों तथा पुरातत्वीय व ऐतिहासिक महत्व के अन्य स्थानों के संरक्षण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने उस राज्य में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की नामावली निश्चित कर ली है ; और

(ग) परियोजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) तथा (ख). अक्टूबर १९५८ के अन्त तक ४३१ गांवों का सर्वेक्षण किया गया था । वहां अब सर्वेक्षण कार्य हो रहा है ।

(ग) ५१२२.६८ रु० ।

भूतपूव सैनिक कल्याण

†१४६८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा कल्याण की देख भाल के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय में एक अलग विभाग की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है । जैसाकि ३० अगस्त १९५८ को अतारांकित प्रश्न संख्या ११८२ के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में बताया गया था, इस दृष्टि से कि समस्या कितनी बड़ी है तथा इसकी वित्तीय तथा अन्य सम्भावनायें क्या हैं, कोई निश्चय करने में और फिर आगे बढ़ने में कुछ समय लगेगा ।

नशीली औषधियों संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग का प्रतिवेदन

†१४६९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली औषधियों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) क्या आयोग की सारी सिफारिशें स्वीकार हो गई हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) हां ।

(ख) आयोग प्रतिवर्ष आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् को अपने कार्य की रिपोर्ट और सदस्य राज्यों के लिए उसकी कापी प्रस्तुत करता ह । एक विवरण, जिसमें आयोग की नवीनतम रिपोर्ट में सम्मलित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का उल्लेख है, सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२]

---

†मूल अंग्रेजी में

परीक्षा सुधार समिति

†१४७०. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री संगण्गा :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री ८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६७४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परीक्षा सुधार समिति के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण निम्न है :—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परीक्षा सुधार समिति की बैठक डा० बेंजमिन बिलूम के भारतीय विश्वविद्यालयों में परीक्षा प्रणाली में सुधार के प्रश्न पर हैदराबाद, पूना, पटना और अलीगढ़ में हुई गोष्ठियों संबंधी विचार सुनने के लिये ५ सितम्बर, १९५८ को हुई थी । इस बैठक में समिति ने स्वीकार किया कि मामले का अगली बठक में आगे विचार किया जाये । तदनुसार, दूसरी बैठक चार गोष्ठियों से उत्पन्न मामले तथा भारतीय विश्वविद्यालयों में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिये ५ और ६ दिसम्बर, १९५८ को हुई ।

(ख) अभी यह नहीं बताया जा सकता कि समिति कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

टैगोर का पूर्वजीय घर

†१४७१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर के पूर्वजीय घर को, जो जोरासंकों, कलकत्ता में स्थित है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने में और क्या कार्यवाही की गई है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : इस मामले में प्रत्यक्ष सम्बद्ध पश्चिमी बंगाल की सरकार ने सूचना दी है कि इस संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदान

†१४७२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय को कितना अनुदान दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : ३,७३,७८९ रु० २२ नये पैसे।

सैकेंडरी स्टेज में तीन भाषाओं का अध्ययन

†१४७३. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्री नारायण दास :

क्या शिक्षा मंत्री १३ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सैकंडरी स्टेज पर तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन के बारे में शिक्षा का केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति में और आगे क्या प्रगति हुई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

बिहार सरकार ने शिक्षा का केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड का द्वितीय फार्मूला कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया फार्मूला निम्न है।

(क) (१) मात्र भाषा, या (२) प्रादेशिक भाषा, या (३) मात्र भाषा और प्रादेशिक भाषा का मिला जुला कोर्स, या (४) मात्र भाषा और एक प्राचीन भाषा का मिला जुला कोर्स, या (५) प्रादेशिक भाषा और एक प्राचीन भाषा का मिला जुला कोर्स।

(ख) अंग्रजी या एक आधुनिक योरोपीय भाषा।

(ग) हिन्दी (अहिन्दी भाषी विद्यार्थियों के लिये) या अन्य भारतीय भाषा (हिन्दी भाषी विद्यार्थियों के लिये) परन्तु यह उपरोक्त खंड (क) में ली गई कोई भाषा न हो।

(२) शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों संबंधि स्थिति ज्यों की त्यों हैं। आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा मनीपुर से अभी अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

विज्ञान को लोकप्रिय बनाना

†१४७४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिये यदि कोई निश्चित कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तो क्या ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) १३ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४० के उत्तर में जो दिया गया है उसके अतिरिक्त कोई निश्चित कार्यवाही नहीं की गई है और न करने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा के लिये भावी योजना

†१४७५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री १३ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास सरकार के सुझाव के अनुसार शिक्षा के विकास के लिये भावी योजना बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का०ला० श्रीमाली):** मद्रास के शिक्षा मंत्री के सुझावानुसार शिक्षा के विकास के लिये भावी योजना पर राजस्थान, बम्बई, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, और आसाम राज्यों से टिप्पण प्राप्त हो गये हैं। जम्मू तथा काश्मीर, मैसूर एवं पश्चिमी बंगाल राज्यों के टिप्पणों की प्रतीक्षा है ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा

†१४७६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा कर्मचारियों को देश के विभिन्न भागों को स्थानान्तरित होने के कारण जहां शिक्षा का माध्यम अलग अलग होता है, अपने बच्चों को शिक्षा देने में जो कठिनाइयां होती हैं उन के निवारण के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** सेना अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये अंशदायी योजना की तफसील एवं सेनाओं के अन्य कर्मचारियों के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अन्य प्रस्ताव, जिन का उल्लेख ३० अगस्त, १९५८ को अतारांकित प्रश्न संख्या ११४६ के उत्तर में किया गया था, अभी तक तीनों सेनाओं द्वारा बनाये जा रहे हैं।

बाल अपराध

†१४७७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री १३ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में बाल अपराधों की मात्रा और कारण का पता लगाने के लिये किये गये नमूने के सर्वेक्षण में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** मद्रास स्कूल आफ सोशल वर्क, मद्रास ने सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया है तथा एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट की पूर्ति के लिये कुछ सांख्यकीय कार्य होना शेष है। संस्था का विचार है कि वह यह कार्य इस वर्ष के अन्त तक समाप्त कर देगी ।

भारतीय पुलिस सेवा के कर्मचारियों की संख्या

†१४७८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की संख्या बढ़ा दी है; और

(ख) यदि हां, तो संख्या में किस किस्म का परिवर्तन हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) हां।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की प्राधिकृत संख्या ९३१ से बढ़ा कर १०७८ कर दी गई है।

हिन्दी विश्वकोष

†१४७९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री १३ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी द्वारा हिन्दी विश्वकोष की तैयारी में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): १३ अगस्त, १९५८ को अतारांकित प्रश्न संख्या २२२ का उत्तर दिये जाने के उपरान्त नागरी प्रचारिणी सभा मुख्य रूप से हिन्दी विश्वकोष का प्रथम खंड तैयार करने तथा छापने का प्रयत्न कर रही है।

इस खंड में सम्मिलन के लिये सारी बातें छांट ली गई हैं तथा प्रवृष्टियां तैयार करने के लिये ३५० लेखकों में बांट दी गई है। ३१-१०-१९५८ तक ३७ लेख प्राप्त हुए और आशा है कि शेष दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक प्राप्त होंगे। प्राप्त लेखों का टाइप, अनुवाद (जो मूलतः हिन्दी में नहीं है) और सम्पादन लेखक सम्पादकों द्वारा हो रहा है।

वैज्ञानिक असैनिक सेवा

†१४८०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वैज्ञानिक असैनिक सेवा बनाने के बारे में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : एक प्रारूप प्रतिवेदन जिस में, अन्य बातों के साथ, अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा बनाने का प्रस्ताव सम्मिलित है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् की कर्मचारी समिति[1] के विचारार्थ तैयार हो गया है। इस मामले पर राज्य सरकारों के मत अभी एकत्रित किये जा रहे हैं। वैज्ञानिक कर्मचारी समिति प्रतिवेदन पर अपनी शीघ्र होने वाली बैठक में विचार करेगी।

भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद्

†१४८१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद् के विधान तथा अन्य मामलों का पुनरीक्षण करने के लिये नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) क्या इस की एक कापी सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) क्या इस पर विचार कर लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Personnel Committee.

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद् की महासभा और सरकार अब रिपोर्ट पर विचार करेंगी । अतः अभी उस की एक प्रति सभा पटल पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शस्त्र अधिनियम

†१४८२. **श्री दी० चं शर्मा** :
श्री पांगरकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शस्त्र अधिनियम में संशोधन करने के अपने प्रस्तावों पर निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विधेयक कब रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) तथा (ख). हां । संसद् के चालू सत्र में विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार है ।

बिड़ला विज्ञान तथा उद्योग संग्रहालय, कलकत्ता

†१४८३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बिड़ला विज्ञान तथा उद्योग संग्रहालय, कलकत्ता की स्थापना में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३]**

भारतीय आर्थिक सेवा

†१४८४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र में भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यकी सेवा स्थापित करने में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यकी सेवा की व्यवस्था सम्बन्धी प्रारूप नियमों पर इस कार्य के लिये नियुक्त सचिव समिति ने विचार कर लिया है और उन की सिफारिशों की दृष्टि से आगे कार्यवाही की जा रही है ।

छात्रवृत्तियां

१४८५. **श्री पद्म देव** : क्या **शिक्षा मंत्री** एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो :

(क) हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में गरीबों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गई ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कौन प्राधिकारी यह निश्चय करता है कि उम्मीदवार गरीब है अथवा नहीं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

(क) जिले का नाम	प्रशासन द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या	क्षेत्रीय परिषद् द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या
महासू . .	१४	१४०
मंडी . . .	१०	९८
बिलासपुर . . .	३	३६
सिरमूर . . .	३	५६
चम्बा	२	५४

(ख) इस काम के लिये एक समिति बनाई हुई है जो इलाके के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा दिये हुए आय-प्रमाणपत्र के आधार पर निर्णय करती है ।

युद्ध स्मारक

†१४८६. **श्री राम कृष्ण**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री उन ३७ भारतीयों के नाम बताने की कृपा करेंगे कि जिन के नाम ब्रकवुड मिलिट्री सिमिट्री, सरे में महारानी द्वारा अनावर्त किये जाने वाले स्मारक पर लिखे जायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: ब्रुकवुड मिलिट्री सीमेट्री, सरे में स्मारक २५ अक्टूबर १९५८ को अनावर्त किया गया था । इस स्मारक पर भारतीय सेना के किसी भारतीय सिपाही का नाम नहीं लिखा है । स्मारक अविभाजित भारतीय सेना के सैंतीस व्यक्तियों की स्मृति में बनाया गया है ।

होस्टल

†१४८७. **श्री राम कृष्ण**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में होस्टलों के निर्माण के लिये राज्यवार कुल कितना धन सहायता रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किया गया ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न किया जाता है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार ने निम्न ऋण जिस के सामने राज्य का नाम लिखा है होस्टल बनाने के लिये संस्थाओं को मंजूर किये :

राज्य का नाम	१९५८-५९ में होस्टल के निर्माण के लिये संस्थाओं को दिय गये ऋणों की राशि
पंजाब	१,६६,००० रु०
उड़ीसा	७०,००० रु०
उत्तर प्रदेश . .	१,३०,००० रु०
आन्ध्र प्रदेश .	५०,००० रु०
बम्बई . .	२,००,००० रु०
हिमाचल प्रदेश प्रशासन .	२०,००० रु०
दिल्ली प्रशासन	२,३५,००० रु०

बहु-प्रयोजनीय स्कूल

†१४८८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के बहु-प्रयोजनीय स्कूलों के लिये कुल कितना धन दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ३,७३,८२,७७८ रु० ।

दक्षिण भारत की भाषायें

†१४८९. **श्री प्र० के० देव: ०** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारत की भाषाओं के अध्ययन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४]**

उड़ीसा में खनिज निक्षेप

†१४९०. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो या भारत के भूतत्वीय परिमाप ने उड़ीसा में फूलबानी बन्द और चिल्का क्षेत्रों के खनिज निक्षेपों का सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदनों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ।?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) भारत के भूतत्वीय भू-परिमाप ने उड़ीसा के फूलबनी-बौध क्षेत्र के कुछ भाग में खनिज निक्षेपों की जांच के साथ उन का बाकायदा मानचित्र बनाने का कार्य किया है। अभी बहुत सा काम होना बाकी है।

चिल्का के चारों ओर के क्षेत्र में बाकायदा भूतत्वीय मानचित्र बनाने और खनिज पदार्थों की प्रारम्भिक खोज का कार्य चालू फील्ड सीजन में आरम्भ हो जाने की आशा है।

(ख) एक क्षत्र का कार्य पूरा हो जाने पर इन प्रतिवेदनों को यथा समय संस्मरणों के रूप में प्रकाशित किया जायगा।

जीवन बीमा निगम

†१४९१. **श्री उ० च० पटनायक**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने ईस्टर्न कोआरेटिव लाइफ़ इंश्योरेंस सोसायटी लिमिटेड के दायित्व और आस्तियों को अपने हाथ में ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसायटी से लिये गये ऋणों और पेशगियों का उन्मोचन करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसायटी लिमिटेड ने ईस्टर्न कोआपरेटिव लाइफ़ इंश्योरेंस सोसायटी लिमिटेड को जो धन पेशगी दिया था उसे ईस्टर्न कोआपरेटिव लाइफ़ इंश्योरेंस सोसायटी लिमिटेड के उपनियमों के अनुसार ऋण के रूप में स्वीकार कर धन उपलब्ध होते ही अदा करना था। इस बात का पता करने के लिये कि यह शर्त पूरी की गयी है या नहीं, जीवन बीमा निगम को यह मूल्यांकन करना था कि १९ जनवरी, १९५६ को ईस्टर्न कोआपरेटिव लाइफ़ इंश्योरेंस सोसायटी लिमिटेड की कीमत कितनी थी। मूल्यांकन करने का कार्य चल रहा है और इसे अंतिम रूप देने के बाद ही जीवन बीमा निगम इस बात का निश्चय करेगा कि उसे उड़ीसा कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसायटी लिमिटेड को कितनी राशि लौटानी है।

विदेशी मुद्रा

†१४९२. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री इस बात का विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी मुद्रायें कम या वास्तव में व्यय हुई हैं ; और

(ख) १९५५–५६, १९५६–५७, १९५७–५८ में और १ अप्रैल, १९५८ से ३० अप्रैल, १९५८ की अवधि के प्रत्येक वर्ष में कितने कितने मूल्य की विदेशी मुद्राओं के सामान के आयात के लाइसेंस और परिमिटें जारी की गयीं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) यह बात मान ली जाती है कि यह जानकारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से अब तक की अवधि के बारे में मांगी गयी है, पौंड-पावने में हुई कमी के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि नवम्बर, १९५८ के अन्त तक हमारी विदेशी मुद्राओं में ६६१ करोड़ रुपयों की कमी हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जनवरी, १९५५ से आरम्भ कर, लाइसेंस देने की प्रत्येक अवधि में आयात के मुख्य नियंत्रक और लाइसेंस देने वाले अन्य प्राधिकारियों ने जितने मूल्य के आयात लाइसेंस और परमिट जारी किये हैं उनका विवरण इस प्रकार है :–

	(करोड़ रुपयों में)
जनवरी–जून, १९५५	३८०.७४
जुलाई–दिसम्बर, १९५५	४९७.७४
जनवरी–जून, १९५६	६९०.०६
जुलाई–दिसम्बर, १९५६	६४३.७८
जनवरी–जून, १९५७	४२५.४४
जुलाई–सितम्बर, १९५७	१३१.३५
अक्तूबर, १९५७–मार्च १९५८	३५१.३५
अप्रैल–सितम्बर, १९५८ . .	३२२.५३

अक्तूबर, १९५७–मार्च १९५८ की अवधि से वित्तीय अवधि के लिये लाइसेंस दिये जाने लगे हैं। उससे पहले पत्री वर्ष की छमाही के आधार पर लाइसेंस दिये जाते थे।

प्रतिरक्षा संस्थापनों में प्रशिक्षण

†१४९३. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) प्रत्येक युद्ध सामग्री कारखाने, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड में अप्रेन्टिसों और अन्य प्रशिक्षार्थियों के लिये कुल कितने-कितने स्थानों का प्रबन्ध है ; और

(ख) १९५६–५७ और १९५७–५८ में प्रत्येक में कितने-कितने अप्रेन्टिसों या प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया और १९५८–५९ में कितनों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख) यह जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

बम्बई को कोयले का संभरण

†१४९४. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में बम्बई राज्य को विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कुल कितने कोयले का आवंटन किया गया है ; और

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक श्रेणी के कुल कितने-कितने कोयले का वास्तव में संभरण किया गया है ।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) बम्बई राज्य के सरकार द्वारा नियंत्रित विभिन्न उद्योगों के लिये १९५७ और १९५८ में आवंटित किये गये और

†मूल अंग्रेजी में

भेजे गये कोयले का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिय परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५] इसमें राज्य के केन्द्र द्वारा नियंत्रित उद्योग शामिल नहीं हैं क्योंकि इनके लिये मंजूरी केन्द्र के संबंधित अधिकारियों की सिफारिश पर दी जाती है ।

सागरवर्णना[1]

†१४९५. **श्री वें० प० नायर** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के पश्चिमी तट की सागरवर्णना का अध्ययन करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है, और यदि हां, तो क्या ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : प्रतिरक्षा मंत्रालय का सागर वर्णना से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है । सागरवर्णना में मछली पकड़ने के अच्छे क्षेत्रों का पता लगाने की दृष्टि से समुद्र के पानी में नमक के परिमाण, तापमान प्लैंकटन आदि का अध्ययन करना पड़ता है । वास्तव में यह मंत्रालय सामुद्रिक सर्वेक्षण के लिये उत्तरदायी है जिसमें समुद्र की गहराई, तट और तट पर की प्रमुख वस्तुओं का सुनिश्चित ढंग से पता लगाना पड़ता है और समुद्र में नौपरिवहन के लिये चार्ट तैयार किये जाते हैं । फिर भी नौ सेना के जहाजों में सागरवर्णना-दलों को लेजाकर और इसी प्रकार के अन्य कार्यों द्वारा प्रतिरक्षा मंत्रालय सागरवर्णना के अध्ययन में दूसरे विभागों की प्रत्येक संभव सहायता करता रहा है ।

लोहे का कोटा

१४९६. **श्री सरजू पांडे** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ में उत्तर प्रदेश को कितना लोहा दिया गया ; और

(ख) उस कोटे में से उत्तर प्रदेश सरकार कितना लोहा ले चुकी है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश राज्य को १–४–५८ से ३०–९–५८ के काल के लिए अशोधित लोहे की कुल मात्रा २२,५५८ टन निर्धारित की गई थी यद्यपि भेजे गये अशोधित लोहे के आंकड़े इस समय प्राप्त नहीं है फिर भी वहां अब कमी नहीं है।

गाजीपुर में हवाई अड्डे

१४९७. **श्री सरजू पांडे** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर जिला (उत्तर प्रदेश) में अंधऊ और शहबाजकुली हवाई अड्डों में अलग अलग कितनी जमीन है ;

(ख) क्या किसानों को भूमि लौटाने का कोई विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा होगा ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १. अंधऊ (गाजीपुर)

हवाई अड्डा . २७२.७ एकड़

२. शहबाजकुली

हवाई अड्डा . २३५.२७ एकड़

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Oceanography.

(ख) और (ग). मामले की जांच हो रही है। अन्तिम निर्णय करने में कुछ समय लगेगा।

अल्प बचत योजना

†१४९८. **श्री सरजू पांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक अल्प बचत योजना के अधीन उत्तर प्रदेश में कुल कितनी राशि जमा हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १९५८–५९ से पहले अल्प बचत योजना के अधीन जमा हुई राशियों के आंकड़े पोस्टलहेड आफिसों के अनुसार रखे जाते थे, जिलों के आधार पर नहीं। १९५६–५७ और १९५७–५८ में उत्तर प्रदेश में क्रमश: कुल ९·४१ करोड़ रुपये और १०.३९ करोड़ रुपये जमा हुए थे। अप्रैल से अक्तूबर, १९५८ में प्रत्येक जिले में जमा हुई राशि के आंकड़ों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १६**]।

उत्तर प्रदेश के संगठनों को केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड के अनुदान

†१४९९. **श्री सरजू पांडे**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में १५ जुलाई, १९५८ तक केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के किन-किन ऐच्छिक समाज कल्याण संगठनों को अनुदान दिये हैं; और

(ख) प्रत्येक संगठन को कितना कितना अनुदान दिया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). १९५८–५९ में अनुदान देने के लिये बोर्ड ने १५ जुलाई, १९५८ तक किसी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया था।

उत्तर प्रदेश में राइफल शूटिंग क्लब

†१५००. **श्री सरजू पांडे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों में राइफल शूटिंग क्लब चल रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो०ब० पन्त)**: जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान में लिग्नाइट के खनन की 'ओपन कास्ट' प्रणाली

†१५०१. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २१ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलाना कोलियरी में लिग्नाइट निकालने के खनन की 'ओपन कास्ट' प्रणाली के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिये प्रविधिक विशेषज्ञों की जो समिति नियुक्त की गई थी, क्या उस का प्रतिवेदन आ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी;

(ग) सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि यह प्रतिवेदन अभी तक न आया हो तो इस में शीघ्रता कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान २१ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ के भाग (ख) के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) समिति को सभी प्राविधिक और आर्थिक समस्याओं का ब्यौरेवार अध्ययन करना है और इस में आवश्यक रूप से कुछ समय लगेगा। वास्तव में, अभी तो राजस्थान सरकार ही वह बुनियादी आंकड़े एकत्र कर रही है जिन की इस समिति को जरूरत है। फिर भी, भारत सरकार ने राज्य सरकार से यह अनुरोध किया है कि अपेक्षित जानकारी एकत्र करने में वह शीघ्रता करे ताकि समिति अपने प्रतिवेदन को जल्दी ही अन्तिम रूप प्रदान कर सके।

पश्चिमी बंगाल के मंदिर

†१५०२. **श्री न० म० देव** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल राज्य के राष्ट्रीय महत्व वाले प्राचीन मन्दिरों के परिरक्षण के लिये हाल ही में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : पश्चिमी बंगाल के जिन प्राचीन मन्दिरों को केन्द्र द्वारा परिरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है पुरातत्व विभाग उन की वार्षिक मरम्मत और आवश्यकतानुसार विशेष मरम्मत करा कर अच्छी तरह उन की देख रेख करता है ।

वरकल्ली रचितियों[1] की भूतत्वीय आयु

†१५०३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में भारत के भूतत्वीय भूपरिमाप ने वरकल्ली की रचितियों की जो जांच की थी क्या उस के फलस्वरूप इन रचितियों की निश्चित भूतत्वीय आयु का पता चल गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह कितनी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). १९५६–५७ में केरल में जो भूतत्वीय जांच की गई थी उस का मुख्य उद्देश्य लिग्नाइट का पता लगाने का था। कार्य के दौरान में कुछ जीवाश्म[2] एकत्र किये गये थे। पिछले अध्ययन से और वर्तमान संग्रह के अध्ययन से यह सामान्य रूप से पता चलता है कि ये चट्टानें मध्य-नूतन युग के मध्य काल की हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Formations.

[2]Fossils.

वरकल्ली की सामुद्रिक जीवाश्मियां

†१५०४. **श्री वें० प० नायर :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के वरकल्ली स्थान में भारत के भूतत्वीय भूपरिमाप ने लिग्नाइट के लिये जो सर्वेक्षण किया है क्या उस में सामुद्रिक जीवाश्मियों का भी अध्ययन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन जीवाश्मियों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेगी जिन का इस सर्वेक्षण से पता चला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) भारत के भूतत्वय भूपरिमाप ने १९५६-५७ में जो सामुद्रिक जीवाश्मियां एकत्र की थीं उन का ब्यौरेवार अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वरकल्ली लिग्नाइट की अन्तर्वस्तुयें[1]

†१५०५. **श्री वें० प० नायर :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वरकल्ली की चट्टानों से ली गई लिग्नाइट के लन्दन के इम्पीरियल इंस्टीट्यूट में ले जा कर किये गये विश्लेषण से पता चला है कि उस में राख की मात्रा बहुत कम है और अन्य पदार्थ बड़े अनुकूल अनुपात में मौजूद हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार को इस बात की कोई जानकारी है कि वरकल्ली से ले कर उत्तर की ओर कुट्टनद तक विशाल भूखण्ड के नीचे लिग्नाइट पाया जाता है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत के भूतत्वीय भूपरिमाप के निदेश का कहना है कि इम्पीरियल इंस्टीट्यूट में वरकल्ली लिग्नाइट का जो विश्लेषण किया गया था उस के अभिलेख उन के पास उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) सरकार को वरकल्ली में लिग्नाइट के होने का पता है, लेकिन इस क्षेत्र में हाल ही में भारत के भूतत्वीय भूपरिमाप ने जो छिद्रण किया था वह बहुत ही निराशाजनक सिद्ध हुआ था ।

विदेशों की यात्रा के लिये विदेशी मुद्रायें

†१५०६. **श्री वें० प० नायर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि विदेशों की यात्रा करने वाले प्रमुख उद्योग-पति उस से कहीं अधिक राशि व्यय करते हैं जिस की इन यात्राओं के लिये विदेशी मुद्राओं के रूप में उन्हें साथ ले जाने की अनुमति दी जाती है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है कि उन्हें जो विदेशी मुद्रायें दी जाती हैं उस से अधिक विदेशी मुद्रायें उन्हें कहां से मिल जाती हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Contents.

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की उपपत्तियां क्या हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई): (क) जो जानकारी प्राप्त हुई है उस से ऐसी धारणा होती है कि कुछ मामलों में यह बात सच हो सकती है।

(ख) और (ग). प्रवर्तन निदेशालय ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन आवश्यक जांच आरम्भ कर दी है। यह जांच अभी चल रही है।

विदेशों की यात्रा के लिये विदेशी मुद्रा

†१५०७. श्री वं० प० नायर : क्या वित्त मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि :

(क) जनवरी से नवम्बर, १९५८ के महीनों में व्यापार के प्रयोजन से जिन व्यक्तियों ने विदेशों की यात्रा की है (१) उन का नाम क्या है, (२) यात्रा का प्रयोजन क्या था, और (३) उन्हें कितने पाऊंड या डालर दिये गये थे; और

(ख) क्या इस बात की देख रेख के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की थी वे उतनी ही विदेशी मुद्रायें व्यय करें जितनी उन्हें मंजूर की गई थीं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). यह आंकड़े बहुत अधिक हैं और इस को एकत्र करने में जो समय लगेगा वह इसे बताने से होने वाले लाभ के अनुरूप नहीं होगा। माननीय सदस्य का ध्यान ११ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४ के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है।

विदेशों के दौरे

†१५०८. श्री वं० प० नायर : क्या वित्त मंत्री १९५७-५८ में विदेश जाने वाले केन्द्रीय मंत्रियों उपमंत्रियों और सरकारी अफसरों के नामों, दौरे के प्रयोजन और प्रत्येक को दी गई विदेशी मद्राओं का एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): अपेक्षित जानकारी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की जा रही है और तैयार होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में शीतकालन खेलकूद

†१५०९. श्री अ० मु० तारिक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य में शीतकालीन खेलकूद संबंधी सुविधाओं के विकास के लिये कुछ कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) क्या गुलमर्ग के स्कीटुंग क्लब को फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में पाकिस्तानी

†१५१०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने बिना विसा या वैध यात्रा संबंधी कागजात के पंजाब में प्रवेश किया है; और

(ख) पंजाब में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का इस प्रकार अवैध प्रवेश रोकन के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) खबर है कि अक्तूबर के अन्त तक यह संख्या ३४७ थी ।

(ख) (१) सीमा-क्षेत्रों में जांच चौकियों को सचेत कर दिया गया है ।

(२) सीमा क्षेत्रों की ज्यादा गहन गश्त करने के लिये चौकियों से गश्ती-पैट्रोल संबद्ध कर दिय गये हैं ।

(३) अनधिकृत प्रवेश के मामलों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिये सीमा क्षेत्रों की स्थानीय जनता का सहयोग मांगा गया है ।

शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन

†१५११. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री झूलन सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिदिन शिक्षा संस्थाओं में १० मिनट के मौन-धारण और अनुशासन के पालन के सम्बन्ध में राज्य-सरकारों को जो परिपत्र भेजा गया था उसके बारे में उन्होंने आगे और क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल, जम्मू तथा काश्मीर और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से और जो उत्तर प्राप्त हुये हैं उनसे पता चलता है कि उन्होंने अपने नियंत्रण के अधीन वाली शिक्षा संस्थाओं को मौनधारण के सम्बन्ध में कोई हिदायतें नहीं दी हैं । अन्दमान तथा नीकोबार द्वीप-समूह के मुख्य आयुक्त ने सूचित किया है कि कोई हिदायत तो नहीं दी गयी है पर कार्य आरम्भ होने से पहले स्कूलों में प्रार्थना की जाती है । मनीपुर के मुख्य आयुक्त ने यह सूचित किया है कि मनीपुर की सभी शिक्षा-संस्थाओं में सामूहिक प्रार्थना के लिये परिपत्र जारी कर दिया गया है । बम्बई सरकार ने सूचना दी है कि पूना के शिक्षा निदेशक ने यह हिदायत जारी की है कि प्राइमरी या माध्यमिक स्कूलों में दैनिक चर्या आरम्भ करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना या ध्यान करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत के राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम द्वारा पेटेंटों का विदोहन

१५१२. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामान्त :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गवेषणा संस्थाओं द्वारा की गयी गवेषणा के फल स्वरूप ऐसे कितने पेटेन्ट और आविष्कार निकाले गये हैं जिनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिये राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम ने उद्योगपतियों को लाइसेंस दे दिया है ;

(ख) इन प्रणालियों का लाइसेंस देने के लिये क्या राशि वसूल की जाती है ;

(ग) ऐसी कितनी पद्धतियों का लाइसेंस देना अभी शेष है और इन पद्धतियों के नाम क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम ने १९५८ में नवम्बर, १९५८ के अन्त तक उद्योगपतियों को चौबीस पद्धतियों के सम्बन्ध में लाइसेंस दिये थे ।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १७]**

पंजाब–पाकिस्तान सीमा पर सोने का तस्कर व्यापार

†१५१३. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में पंजाब-पाकिस्तान सीमा पर चोरी से लाया गया कुल कितने मूल्य का सोना पकड़ा गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : ३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाले पिछले तीन महीनों में पंजाब-पाकिस्तान सीमा पर कुल २,०५,५८५.०० रुपये का चोरी से लाया गया सोना पकड़ा गया है ।

विदेशियों को दृष्टांक

१५१४. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू साल में कितने विदेशियों को भारत आने के लिए दृष्टांक दिये गये ;

(ख) उनमें से पर्यटकों तथा व्यापारियों की संख्या कितनी थी; और

(ग) ये व्यक्ति किन-किन देशों के थे ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) नवम्बर, १९५८ के अन्त तक प्राप्त सूचना के अनुसार २९,८११ विदेशियों को ।

(ख) ११,३२१ सैलानी और ३९१० व्यापारी ।

(ग) संसार के करीब करीब सब देशों के ।

आपात निधि

१५१५. **श्री पद्म देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक दैवी विपत्तियों (श्रेणीवार) के सम्बन्ध में सहायता सम्बन्धी कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश प्रशासन को सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सका सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश का शिक्षा विभाग

श्री पद्म देव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६-५७ और १९५७-५८ में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभागों (प्रशासनिक तथा प्रादेशिक परिषद्) के कितने मुख्य कार्यालय थे; और

(ख) इन कार्यालयों में अलग-अलग कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख):

मुख्य कार्यालयों की संख्या	१९५६–५७	१९५७–५८
(१) हिमाचल प्रदेश प्रशासन .	१	१
(२) क्षेत्रीय परिषद् . .	—	१
नियुक्त व्यक्तियों की संख्या		
(१) हिमाचल प्रदेश प्रशासन . .	२८	१७
(२) क्षेत्रीय परिष .	—	३४

राजनीतिक पीड़ित

†**१५१७: श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अगस्त, १९५७ से अब तक राजनीतिक पीड़ितों को गृह-मंत्री के विवेकाधीन अनुदानों में से कुल कितना धन दिया जा चुका है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : २,३३,४४० रुपये (दो लाख, तैंतीस हजार चार सौ चालीस रुपये) ।

छोटी कोलियरियों में उत्पादन

†**१५१८. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसी कितनी कोलियरियां हैं जिनका उत्पादन दस हजार टन प्रतिमाह से कम है;

(ख) १९५७ में इन कोलियरियों का कुल उत्पादन कितना था; और

(ग) चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों में उपर्युक्त कोलियरियों का उत्पादन कितना था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) १९५७ की औसत मासिक उत्पादन के आधार पर ऐसी कोलियरियों की संख्या ७२५ थी ।

(ख) १८३ लाख टन ।

(ग) १४३ लाख टन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में पाकिस्तानियों का बसाया जाना

†१५१९. **श्री रामेश्वर टांटिया**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तानी राष्ट्र-जनों को भारत में स्थायी रूप से बसने की अनुमति किस आधार पर ी गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : माननीय सदस्य का ध्यान ९ जुलाई, १९५३ की प्रेस विज्ञप्ति की कण्डिका १८ की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें १९५३ के भारत-पाक करार के अधीन स्थायी रूप से बसने की सुविधायें पाने की अर्हता प्राप्त लोगों के वर्गों को दिये हुए हैं। उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। (**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १८**)

हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी कानपुर

†१५२०. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर की सरकारी हार्नेस और सैडलरी फैक्ट ी में बनी चमड़े की कुछ वस्तुयें कीमत में कानपुर के मेसर्स कूपर एलेन एण्ड कम्पनी में बनी चीजों से सस्ती हैं ;

(ख) यदि हां, तो मे वस्तुयें कौन-कौन सी हैं; और

(ग) क्या हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी में इन वस्तुओं का बड़े माने पर उत्पादन आरम्भ हो गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां।

(ख) इन वस्तुओं के नाम नीचे दिये जाते हैं :—

(१) तीन खानेदार ब्रीफ केस ।

(२) दो खानेदार ब्रीफ केस ।

(३) १६ इंची अटेची केस ।

(४) ३० इंची पूरा बिस्तरबन्द ।

(५) चप्पल मिली-जुली किस्मों की ; और

(६) गोल्फ बैग ।

(ग) जी हां हम सभी आर्डर पूरे करते रहे हैं। लेकिन ये आर्डर छोटे ही रहे हैं।

पश्चिमी बंगाल में क्षेत्रीय पुस्तकालय

१५२१. { **श्री रा० चा० भाम्भी** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ में राज्य के विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय पुस्तकालय स्थापित करने के लिये सहायता प्राप्त करने के लिये पश्चिमी बंगाल से कोई आवेदन पत्र मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितने आ दन पत्र मिले हैं ;

(ग) क्या इन आवेदन पत्रों पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक आवेदन पत्र पर कितनी राशि मंजूर की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख): जी हां। स्वेच्छा शिक्षा संस्थाओं के सहायता की योजना के अन्तर्गत तीन आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ग) जी हां।

(घ) आवेदन पत्र अपूर्ण थे और जो जानकारी उन में नहीं थी वह मांगी गई है। इसलिये अभी कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक

†१५२२. **श्री रा० च० माझी :**
श्री जाधव :
श्री बै० चं० मलिक :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों की सूची तैयार की है; और

(ख) उनमें से कितनों ने संगत विज्ञापन का उत्तर दिया और कितनों से इन्टरव्यू की गई थी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) १-११-५८ तक कुल २०४२ व्यक्तियों ने पंजीयन कराया। अभी पंजीयन हो रहा है।

राष्ट्रीय पंजी में उल्लिखित नामों में से २६ व्यक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग ने इन्टरव्यू के लिये उपयुक्त समझा था और उन्हें बौन, लन्दन और अमरीका में इन्टरव्यू के लिये बुलाया था ताकि आयोग वैज्ञानिकों और टैक्नीकल कर्मचारियों (विदेशों में भारतीय) की नौकरियां भरी जा सकें। इन में से केवल १७ व्यक्ति—२ बौन में, १३ लन्दन में और २ अमरीका में—इन्टरव्यू के लिये आये थे।

भूतपूर्व रियासतों के पिछड़े क्षेत्र

१५२३. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व देशी रियासतों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में, जो एनक्लेव्स मर्जर एक्ट, १९५० के अन्तर्गत पूर्णतः अथवा अंशतः संघ के विभिन्न राज्यों में विलीन किये गये थे, अब तक क्या गति हुई है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के विलीनीकरण के समय उनके पिछड़ेपन को सुधारने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई आश्वासन दिया था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रदेशों में कितना विकास हुआ है उसकी निगरानी रखने के लिये तब से क्या उपाय किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). मालूम होता है कि माननीय सदस्या का आशय १९५० के प्राविन्सेस एण्ड स्टेट्स (एबजार्पशन आफ एन्क्लेव्ज) आर्डर से है। यह आर्डर गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट, १९३५ के मातहत राज्यों की सीमा तय करने के लिये जारी किया गया था। इस आर्डर के मुताबिक कुछ प्रान्तों की छोटी छोटी भूतपूर्व देसी रियासतों का विलय उन प्रान्तों में कर दिया गया था। स आदेश के जारी होते समय ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि इसे इन इलाकों का पिछड़ापन दूर करने के विचार से जारी किया गया है।

उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों के विलय के समय और इसके बाद भूतपूर्व मध्य भारत यूनियन बनाते समय यह कहा गया था कि यह विलय इन इलाकों और इन में बसने वालों के पिछड़ेपन को दूर करने और उन्हें प्रशासन के नये तरीकों का फायदा पहुंचाने के लिये किया गया है। राज्य सरकारों को इस आश्वासन का पूरा ध्यान है और जहां तक भारत सरकार को मालूम है वे इसे पूरा कर रही हैं।

(ग) इन प्रदेशों में हुए विकास पर निगरानी रखने के उपाय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। भारत सरकार का इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

रूरकेला के इस्पात के कारखाने में जर्मन कारीगर

१५२४. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला के इस्पात के कारखाने के स्थान पर बहुत से जर्मन कारीगर (टेक्नीशियन) रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी संख्या, उनके निवास की व्यवस्था, उनकी मजूरी व नियुक्तियों की शर्तों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). ७७६ जर्मन कारीगरों को जो विभिन्न ठेकेदारों द्वारा भरती किये गये हैं, इस्पात-बस्ती में रहने के लिये स्थान दे दिये गये हैं। उनके वेतन संवर्ग के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं और सामान्यतः निम्नलिखित हैं :—

सेविवर्ग का वर्ग	वेतन की दर प्रतिदिन ड्यूस मार्कों में	भत्ते प्रतिदिन रुपयों में
सुप्रिन्टेन्डेन्ट .	१००	५०
विशेषज्ञ इंजीनियर . .	८०	४५
इन्चार्ज फोरमैन, चीफ फिटर या चीफ इरेक्टर .	७५	४०
रेक्टर जो वेल्डिंग, तथा विशेष दन्तिचक्र आदि के कार्यों में दक्ष हो, या कुशल श्रमिक (जो वेल्डिंग, रीवेटिंग, इरेक्टिंग आदि के कार्यों में शिक्षण प्राप्त हो, और जो अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के समूह का भार ले सके)	६५	४०

जहां तक उनकी नियुक्तियों की शर्तों का सम्बन्ध है यह मामला पूर्ण रूप से कारीगरों तथा उनके मालिकों अर्थात् जर्मन ठेकेदारों का है।

रूस भेजा गया भारतीय वैज्ञानिकों का प्रतिनिधि मण्डल

१५२५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री एम० एस० थेकर के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों के जिस दल ने कुछ समय पूर्व सोवियत रूस की यात्रा की थी क्या उसके प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ख) उस वैज्ञानिक दल ने जो सिफारिशें की थीं उन पर क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उप-मंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) वैज्ञानिकों का जो प्रतिनिधि मण्डल मई १९५८ में रूस गया था, उसके नेता की रिपोर्ट सभा की मेज़ पर २४ सितम्बर, १९५८ को रख दी गई थी।

(ख) सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है। फिर भी, इस रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों और योजना आयोग को भेज दी गई हैं।

हिन्दी सिखाना

१५२६. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार के किन किन कर्मचारियों को हिन्दी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर नकद पुरस्कार प्रदान किये जा चुके हैं; और

(ख) इन पुरस्कारों व हिन्दी अध्ययन को अधिक आकर्षक व लोक-प्रिय बनाने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) सूचना विवरण में दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या १९]**

(ख) इस प्रश्न पर सरकार गौर कर रही है।

उपहारस्वरूप भेजी जाने वाली पुस्तकों पर सीमा शुल्क

†१५२७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों से उपहार-स्वरूप आने वाली पुस्तकों की संख्या कम करने के लिये सीमा-शुल्क लगाया गया है अथवा कोई अन्य उपाय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : शायद माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि विदेशों से उपहारस्वरूप प्राप्त होने वाली पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार ने कोई नया सीमा-शुल्क लागू किया है अथवा कोई और उपाय किया है ।

उत्तर नकारात्मक है ।

दिल्ली पौलिटेक्नीक

†१५२८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पोलिटेक्नीक में प्रवेश के लिये प्रतियोगिता परीक्षा नहीं की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**वैज्ञानिक** गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री **(डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) पोलिटेक्नीक में डिग्री कोर्सों में प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों तथा विनियमों के अनुसार किया जाता है जिस में प्रतियोगिता परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । प्रवेश के लिये निर्धारित अर्हताओं के आधार पर और योग्यता को देखते हुए नैशनल डिप्लोमा और नैशनल सर्टिफिकेट कोर्सों के लिये प्रवेश प्रदान किया जाता है ।

(ग) देश की सभी टैक्नीकल शिक्षा संस्थाओं के लिये एक ही प्रतियोगिता परीक्षा करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

चोरी छिपे लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना

१५२९. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती मकीदा अहमद : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

'(क) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क पदाधिकारियों ने २० अक्तूबर, १९५८ को सेंटाक्रुज़ हवाई अड्डे पर हांगकांग से आने वाले एक विमान में से कलाई पर बांधने की कुछ घड़ियां बरामद कीं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी घड़ियां पकड़ी गईं और उन का मूल्य क्या है ; और

(ग) क्या अपराधी को पकड़ लिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) ४९९ घड़ियां जिन का मूल्य लगभग ३०,००० रुपये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जिस थैले में घड़ियां थीं वह हवाई जहाज़ म ही छोड़ दिया गया था और उसे उठाने कोई नहीं आया इसलिये कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी ।

भारत में केथोलिक चर्च द्वारा चलाई गई संस्थाएं

†१५३०. **श्री नारायणन कुट्टि मेनन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुनूस :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में केथोलिक चर्च द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं को १९५६, १९५७ और १९५८ में अब तक विदेशों से कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(ख) किन-किन संस्थाओं को यह सहायता मिली और प्रत्येक को कितनी राशि मिली ; और

(ग) यह सहायता किन-किन देशों से प्राप्त हुई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या २०]**

सेना मोटर गाड़ी डिपो, अवदी में छंटनी

†१५३१. **श्री नारायणन कुट्टि मेनन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुन्नूस :
श्री नागी रेड्डी :
श्री तंगामणि:

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास राज्य में अवदी स्थान पर सेना मोटर गाड़ी डिपो में से काफी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है ;

(ग) छंटनी के क्या कारण हैं ; और

(घ) सेना मोटर गाड़ी डिपो, अवदी में सरकार ने कुल कितनी पूंजी का विनियोजन किया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). २८९ कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हैं जिन में ३३ कर्मचारियों को प्रवीण होने के कारण रखा जायेगा ।

(ग) डिपो में मोटर गाड़ियों की कमी हो जाने के कारण कार्यभार कम हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) सरकार ने इमारतों और आवश्यक सेवाओं पर लगभग १.०५ करोड़ रुपये की पूंजी लगाई है। ये इमारतें युद्ध काल में बनाई गई थीं और उन की मियाद खत्म हो चुकी है। जिस भूमि पर इमारतें बनाई गई थीं उस का अधिग्रहण किया गया था।

लोथल में खुदाई

†१५३२. { श्री प्र० के० देब :
श्री बि० चं० प्रधान :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोथल की खुदाई में जो मित्तिलेख मिले थे क्या उन्हें पढ़ने में सफलता मिली है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : जी नहीं।

राजस्थान में तस्कर व्यापार

१५३३. श्री प० ला० बारूपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ में अब तक राजस्थान में तस्कर व्यापारियों के साथ तस्कर व्यापार करने अथवा साजिश करने के सम्बन्ध में कुछ पुलिस अधिकारी पकड़े गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उन के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां। १९५८ में राजस्थान में कुछ ऐसे मामले पकड़े गये जिन के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उन मामलों में कुछ पुलिस कर्मचारियों ने चोरी-छिपे माल लाने वालों को सहायता पहुंचाई।

(ख) राज्य सरकार उन मामलों की जांच कर रही है।

बैंक समवाय

†१५३५. श्री हेम राज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से १९५८ तक रिज़र्व बैंक आफ इंडिया ने प्रत्येक राज्य के कितने और किन बैंक समवायों को लाइसेंस देने से इनकार किया है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने समवायों के खिलाफ उच्च न्यायालयों में मुकदमे किये गये जोकि विचाराधीन हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशष्ट ४, अनुबंध संख्या २१]

(ख) जिन बैंकों को लाइसेंस देने से इनकार किया गया उन के खिलाफ कार्यवाही करने का रिज़र्व बैंक आफ इंडिया को कोई अवसर नहीं मिला।

सिपाही क्लर्क

†१५३६. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५५-५६ में सेना के नियमित कर्मचारियों में से कुछ सिपाही क्लर्क छंटनी कर दिये गये थे ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या छंटनी सेना के वर्तमान नियमों के अनुसार की गई थी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

विश्वभारती के उप-कुलपति

†१५३७. { **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री सुबिमन घोष :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से विश्वभारती विश्वविद्यालय भारत सरकार को सौंपा गया तब से इसके कितने उपकुलपति हुए हैं ; और

(ख) उन के नाम और सेवा की अवधि क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण नीचे दिया जाता है

विवरण

उपाचार्य का नाम	सेवावधि
१. श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर	१४-५-५१ से २२-८-५३
२. डा० क्षतिमोहन सेन . . .	२-१०-५३ से २८-३-५४
३. डा० पी० सी० बागची (१९ जनवरी, १९५६ को मृत्यु हो गई) .	२९-४-५४ से १९-१-५६
४. श्रीमती इंद्रा देवी चौधरानी . .	२७-३-५६ से ३-६-५६
५. प्रो० सत्येन्द्र नाथ बोस . .	१-७-५६ से लेकर

दिल्ली स्कूलों में पंजाबी

†१५३८. { **श्री दलजीत सिंह :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह जानकारी हो :—

(क) दिल्ली में कितने स्कूलों में पंजाबी पढ़ाने की व्यवस्था है ;

(ख) दिल्ली के कितने स्कूलों में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था है ; और

(ग) हायर सैकंडरी, प्राइमरी और मिडल स्कूलों में पंजाबी पढ़ाने के लिये दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने कितने अध्यापक नियुक्त किये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) २४ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २५ ।

(ग) सरकारी हाई/हायर सैकंडरी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाने के लिये ६ अध्यापक हैं । इन में से पांच मिडल विभाग में हैं और एक हायर सैकंडरी विभाग में । जब कभी जरूरत होती है तो मिडल विभागों के अध्यापक हाई और हायर सैकंडरी विभाग में भी पढ़ाते हैं ।

प्राइमरी अवस्था में प्रत्येक भाषा के लिये अलग अलग-अध्यापक नहीं रखे जाते है ।

ड्रिलिंग के लिय भारतीय कर्मचारी रखना

†१५३९. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री राम कृष्ण :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में ड्रिलिंग के लिये भारतीय कर्मचारी रखने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) भारत में ड्रिलिंग और सर्वेक्षण कार्य में कितने विदेशी काम कर रहेहैं ; और

(घ) उनके अधीन कितने भारतीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहेहैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). प्रस्ताव यह है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में ड्रिलिंग का काम करने वाले विदेशियों के स्थान पर उपयुक्त भारतीय कर्मचारी नियुक्त किये जायें ।

आयोग के कुछ कर्मचारियों को ड्रिलिंग के काम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये आसाम और पश्चिमी बंगाल में आसाम आयल कम्पनी और स्टैंडर्ड वैकुअम आयल कम्पनी में भेजा गया था । अग्रेतर प्रशिक्षण के लिये आठ प्रशिक्षणार्थी रूस और एक को फ्रांस भेजा गया था । हाल ही में ड्रिलिंग इंजीनियरिंग में सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिये एक विभागीय स्कूल खोला गया है । इस समय २१ असिस्टैंट ड्रिलर और ड्रिल असिस्टैंट सैद्धांतिक प्रशिक्षण और गहरी ड्रिलिंग में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहेहैं । यह कोर्स छः मास का हैं जिसके पश्चात् अन्य छात्रों के टैक्नीशियन प्रशिक्षण के लिये भेजे जायेंगे । जहां कहीं ड्रिलिंग का कार्य हो रहा है वहां विदेशी विशेषज्ञों के अधीन भारतीय कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । भारतीय कर्मचारियों को विदेशों में प्रशिक्षण दिलाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है ।

(ग) ९८ ।

(घ) ५० ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सशस्त्र सेनाओं में पदोन्नति सम्बन्धी नियम

†१५४०. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना के पदाधिकारियों की पदोन्नति संबंधी नियमों के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या नियमों की ऐक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). सेना में ल्यूटैनेंट कर्नल और नौसेना तथा वायु बल में इसके समान पदों पर पदोन्नतियां करने संबंधी नियमों को उदार बनाने की स्वीकृति सरकार ने हाल ही में दी है। सेना और वायु बल के पुनरीक्षित नियमों के बारे में अन्तिम निर्णय हो चुका है और उनकी प्रतियां सभा-पटल पर रखी जाती हैं **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२]** नौसेना के पुनरीक्षित नियमों के व्योरे का परीक्षण किया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही उनके बारे में भी अन्तिम निर्णय हो जायेगा। जब वे जारी कर दिये जायेंगे तब उनकी प्रतियां भी सभा-पटल पर रख दी जायेंगी।

आय कर के मामले

†१५४१. **श्री राजेश्वर पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करंगे कि :

(क) १९५५–५६ और १९५७–५८ में अपीलीय सहायक आयुक्तों ने आयकर के कितने मामलों में आयकर पदाधिकारियों से पुनः कर निर्धारण करने अथवा रिपोर्ट भेजने की सिफारिश की ;

(ख) आयकर पदाधिकारियों ने उक्त रिपोर्ट भेजने या फिर से कर निर्धारण करने में साधारणतः कितना समय लिया ; और

(ग) कितनी अपीलें आयकर पदाधिकारियों द्वारा पुनः रिपोर्ट भेजे जाने अथवा पुनः कर निर्धारण किये जाने की प्रतीक्षा में तीन वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

तस्कर व्यापार के मामलों में पुलिस अधिकारियों का हाथ

१५४३. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच सालों में भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार संबंधी मामलों में कुछ पुलिस अधिकारियों का भी हाथ पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से अब तक कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां। १९५६, १९५७ और १९५८ में (३१ अक्तूबर तक) भारत-पाकिस्तान सीमा पर चोरी-छिपे माल लाने के मामलों में १९ पुलिस कर्मचारियों का हाथ था। १९५३, १९५४ और १९५५ में चोरी-छिपे माल लाने के मामलों में किसी पुलिस कर्मचारी का हाथ नहीं था।

(ख) इन कर्मचारियों में से एक को अदालत से सजा हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में ग्राम्य स्कूल

†१५४४. **श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के ग्राम्य स्कूलों में अध्यापक नियुक्तियां नहीं कराना चाहते ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उड़ीसा में खानें

†१५४५. **श्री नागी रेड्डी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के बरबील स्थान पर बन्द हो चुकी मेंगानीज़ की खानों को पुनः चालू करने के बारे में कोई प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी नहीं । जब तक मांग नहीं बढ़ती तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती और मांग बढ़ाने के लिये हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

चीनी (हिमाचल प्रदेश) के व्यापारी

१५४६. श्री भक्त दर्शन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के चीनी व्यापारी संघ ने तिब्बत से व्यापार करने के लिये ऋण के लिये जो प्रार्थना की थी उस पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रों के अन्य व्यापारियों से इसी प्रकार के अन्य प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) इन व्यापारियों को तिब्बत से व्यापार करने के लिये आवश्यक धन देने की योजना बनाई जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भूवृत्तिकी तथा खनन निदेशालय, उत्तर प्रदेश

१५४७. श्री भक्त दर्शन : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २१ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के भूवृत्तिकी तथा खनन निदेशालय ने जून, १९५७ से अब तक जो काय किया है क्या उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट का सारांश सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उपरोक्त कार्य में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या सहायता प्रदान की ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, नहीं। १९५७–५८ के क्षेत्र में कायम करने के मौसम में जो क्षेत्र का काम पूरा किया गया है उसकी रिपोर्ट अभी यू० पी० सरकार तैयार कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उत्तर प्रदेश निदेशालय का भूवृत्तिकी काम भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई सिफारिशों तथा प्रारम्भिक कार्य के आधार पर जारी है। सहायता के लिये की गई विशेष प्रार्थनाओं पर भारत सरकार अपने वायदों के अनुसार सहानुभूति पूर्वक विचार करती है।

राजस्थान में तांबे के निक्षेप

१५४८. श्री राम कृष्ण : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राजस्थान में तांबे के बहुत बड़े निक्षेपे मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थानों के नाम और तांबे के निक्षेपों की कुल मात्रा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). हाल ही में तांबे के कोई नये निक्षेप नहीं मिले हैं। यह पहले से ही मालूम है कि राजस्थान के कुछ स्थानों पर तांबा है। झुनझुनू जिला में खतरी और अलवर जिले में खोह दरीबा निक्षेपों का सर्वेक्षण और खोज का काम भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण और भारतीय खनिज विभाग कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यापारिक दृष्टि से उनका क्या उपयोग है।

मनीपुर में चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का पकड़ा जाना

†**१५४९. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री १६ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१३६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर लोक निर्माण विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर की जीप में चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं के बारे में विभागीय निर्णय हो जाने के बाद क्या कोई कार्यवाही की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). जो वस्तुएं पकड़ी गई थीं उन्हें जब्त कर लिया गया था। असिस्टेंट इंजीनियर को कोई दण्ड नहीं दिया गया था और जीप उसके हवाले कर दी गई थी।

इम्फाल में बाल पुस्तकालय-संग्रहालय

†**१५५०. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल में जो बाल पुस्तकालय-संग्रहालय स्थापित किया गया है क्या उसकी अपनी इमारत होगी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके निर्माण के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) संग्रहालय की इमारत के निर्माण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २६,००० रुपये की व्यवस्था की गई है ।

आदिम जातियों की बोलियों में किताबें

†**१५५१. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में मनीपुर को आदिम जातियों की बोलियों में पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये दी गई राज सहायता सब खर्च कर डाली गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो १९५७-५८ में मनीपुर में विभिन्न आदिम जाति बोलियों में कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुईं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) १९५७-५८ में विभिन्न बोलियों में १८ पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं ।

मनीपुर में पशुओं की चोरी

†**१५५२. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के गांवों में पशुओं की चोरियां बहुत हो रही हैं ; और

(ख) इन्हें कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) १ जनवरी, १९५६ से १५ नवम्बर, १९५८ तक स्थानीय प्राधिकारियों को पशुओं की चोरी की १२४ रिपोर्टें मिलीं । यह तो नहीं कहा जा सकता कि मनीपुर के गांवों में पशुओं की चोरियां बहुत अधिक होती हैं ।

(ख) ऐसे मामलों की जब कभी सूचना मिलती है तब तुरन्त कार्यवाही की जाती है । स्थानीय पुलिस ने सामान्य अपराधों को कम करने के लिये अपराधियों और भगोड़ों को पकड़ने का एक विशेष आंदोलन शुरू किया है ।

कोणार्क

†**१५५३.** { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचारपत्रों में हाल ही में जो आरोप लगाये गये थे कि कोणार्क की मरम्मत पर बेढब तरीके से खर्चा किया गया है क्या इनकी जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख) . जी हां, परन्तु आरोप सही नहीं थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिजनौर जिलें में भूतपूर्व सैनिकों को पुनः बसाना

१५५४. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कादिराबाद में भतपूर्व सैनिकों को बसाने की कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब से कार्यान्वित हो रही है, अब तक कितने भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जा चुका है और प्रतिवर्ष कितने सैनिकों को बसाया जायेगा ; और

(ग) उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को कितने एकड़ भूमि दी गई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) तथा (ख) . उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला के अफजलगढ़ के उपनिवेश में १००० भूतपूर्व सनिक बसाने के लिये एक योजना मई १९५२ से कार्यान्वित की जा रही है। इस उपनिवेश का प्रधान कार्यालय कादिराबाद गांव है। अब तक अफजलगढ़ उपनिवेश में बसाये गये भूतपूर्व सैनिकों की संख्या ६२२ है जिन में लगभग १०० कादिराबाद गांव में बसे हैं। चूंकि उपनिवेश में हर साल बसाये जाने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या, कृषियोग्य बनाई गई और विकसित भूमि की प्रगति पर निर्भर है, वार्षिक परिमाण नियत करना संभव नहीं। फिर भी कादिराबाद खास में और अधिक भूतपूर्व सैनिक बसाये जाने की कोई गुंजाइश नहीं।

(ग) हर एक बसने वाले को १० एकड़ भूमि दी जाती है।

दिल्ली में राइफल ट्रेनिंग

†१५५५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र में लोगों को राइफल ट्रेनिंग देने की एक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) योजना की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं :—

(१) राइफल चलाने की ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस ओल्ड पुलिस लाइन्स, राजपुर रोज, दिल्ली और न्यू पुलिस लाइन्स, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में देती है।

(२) लगभग एक मास तक सप्ताह में छः दिन और प्रत्येक दिन ४५ मिनिट तक ट्रेनिंग दी जाती है।

(३) पूरी अवधि के लिये प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को [३] रुपये प्रवेश शुल्क देना पड़ता है।

(४) उम्मीदवार राइफल चलाने के लिये शारीरिक तौर पर स्वस्थ होने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) जो लोग यह ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उन्हें अपने अपने आवेदन पत्र अपनी पहचान के प्रमाणपत्र के साथ सुप्रिटेंडेंट आफ पुलिस लाइन्स, राजपुर रोड, दिल्ली को भेजने होते हैं ।

दिल्ली के स्कूलों में टेक्निकल अध्यापक

१५५६. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब भी टेक्निकल (विज्ञान, गणित आदि के) अध्यापको की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) हां, लड़कियों के हाई स्कूलों या उच्च माध्यमिक स्कूलों में कुछ कमी है ।

(ख) इन अध्यापकों की नियुक्ति की शर्तों में कुछ उदारता बरतने वाले और योग्यतानुसार उपयुक्त लोगों को अग्रिम तरक्की देने के प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव है ।

दिल्ली के स्कूलों में दो पालियां

१५५७. **श्री नवल प्रभाकर ।**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अधिकांश स्कूलों में दो पालियों के कारण पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख) वर्तमान स्थिति को आदर्श तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु दो पालियों को बन्द करने का फल यह होगा कि बहुत से बच्चे स्कूल की पढ़ाई से वंचित रह जायेंगे ।

दो पालियों की समस्या अधिकतर सरकारी स्कूलों में ही है जहां एक ही इमारत में प्रात: और सायं दो अलग अलग स्कूल चलते हैं । इस समस्या का हल तभी होगा जब कि इन स्कूलों को चलाने के लिये स्कूल की पर्याप्त इमारतें उपलब्ध हों । शिक्षा निदेशालय नई इमारतें बनाने का एक क्रामिक कार्यक्रम पहले ही बना चुका है जिसका कार्यान्वित होना अधिकतर आवश्यक निधि और उपयुक्त जगह मिलने पर निर्भर है ।

सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों की समस्या थोड़ी सी भिन्न है । उनमें छात्रों की संख्या अधिक होन के कारण उन के विभिन्न विभाग विभिन्न पालियों में चलते हैं । साधारणतया उनकी प्राथमिक मिडिल विभाग की कक्षायें सवेरे की पारी में चलती हैं और हाई स्कूल कक्षायें दूसरी पारी में । उनकी समस्या तो कमरों की संख्या की है । यदि यह समस्या हल हो जाये तो दोनों ही विभाग एक ही पारी में इकट्ठे चल सकेंगे । आशा है कि निदेशालय और दिल्ली नगर निगम के अधिक नये स्कूल खुल जाने से ऐसे स्कूलों में होने वाली भीड़ धीरे-धीरे कम हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

किश्तवाड़, जिला डोडा (जम्मू और काश्मीर) की भूमि का अर्जन

१५५८. श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किश्तवाड़, जिला डोडा (जम्मू और काश्मीर) के किसानों को, जिनकी भूमि १९४७ में केन्द्रीय सरकार की ओर से अर्जित की गई थी, अभी तक कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है ;

(ख) इतने लम्बे समय के बाद भी कोई प्रतिकर न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और उनको किस सम्भावित अवधि तक प्रतिकर मिल जायेगा ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि १९४७ में (जम्मू काश्मीर) के किश्तवाड़, जिला डोडा में, प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिये कोई भूमि ली गई थी। फिर भी स्थानीय अधिकारियों से पूछ ताछ की जा रही है, और यदि इस मामले में कुछ सूचना प्राप्त हुई, तो वह लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

अस्पृश्यता

†**१५५९. श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अभी तक पंजाब में कितने व्यक्तियों पर अस्पृश्यता अधिनियम के अधीन अभियोग चलाये गये हैं ; और

(ख) इन म से कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली की अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता

१५६०. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १९५८–५९ में अनुसूचित जाति के कितने लोगों को कानूनी सहायता दी गई ;

(ख) उन्हें दी गई आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह आर्थिक सहायता किस प्रकार के मुकदमों में दी जाती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) १९५८-५९ के दौरान में अभी तक १५ ऐसे आवेदन-पत्र दिल्ली प्रशासन के पास आ चुके हैं और वहां इन पर विचार हो रहा है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) आर्थिक सहायता ऐसे ग़रीब हरिजनों को दी जाती है। जो बेदखल किये जाने या सताये जाने की वजह से मुकदमेबाज़ी में फंस जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हवाई जहाजों की खरीद

†१५६२. **श्री सुगन्धि :**
श्री उ० च० पटनायक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने १९५६-५७ और १९५८ में अभी तक भारतीय विमान बल के लिये विदेशों से किस किस प्रकार के हवाई जहाज़ खरीदे हैं ; और

(ख) प्रत्येक प्रकार के जहाज़ का क्रय मूल्य क्या था ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) मिस्टियर, नाट, बेल हेलीकाप्टर, हार-वर्ड, केनवरा, वैम्पायर, ऑस्टर, ओटर तथा हन्टर ।

(ख) इनके ब्यौरे बताना लोक हित में नहीं है ।

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी

†१५६२. **श्री बि० चं० प्रधान :**
श्री गणपति राम :
श्री कुम्भार :

क्या **शिक्षा** मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये भारत सरकार की ओर से छात्रवृत्तियां दी गई हैं ; और

(ख) उन्हें सरकार की ओर से प्रति वर्ष कितनी सहायता दी जाती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनबन्ध संख्या २३]**

लौह अयस्क निक्षेप

†१५६३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के लौह अयस्क निक्षेपों के परिमाण और उनके मूल्य के सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्राक्कलन का ब्यौरा क्या है ?

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) अनुमान है कि उपयोगी लौह अयस्क का कुल निक्षेप लगभग २११,४०० लाख टन है । लौह अयस्क की वर्तमान दर, अर्थात्, ४० रुपये प्रति टन के अनुसार निक्षेपों की कुल कीमत लगभग ८४,५६,००० लाख रुपये होगी ।

---

†मल अंग्रेजी में

लौह अयस्क के प्राक्कलित निक्षेप का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	दस लाख टनों में
१. हेमेटाइट अयस्क :	
बिहार और उड़ीसा	८,०००
मध्य प्रदेश	७,०००
बम्बई	३००
मद्रास	२००
पंजाब	३०
मैसूर	२,०००
२. मैंगनेटाइट अयस्क :	
मद्रास	१,०००
आन्ध्र]	५०
मैसूर	५००
हिमाचल प्रदेश	६०
३. लिमोनिटिक तथा स्पेथिक अयस्क :	
बंगाल	२०००
कुल	२१,१४०

चोरी छिपे लायी गयी घड़ियों का पकड़ा जाना

†**१५६४. श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९ नवम्बर, १९५८ को बम्बई में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टर द्वारा लगभग ४०० चोरी छिपे लाई गई घड़ियां पकड़ी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी कीमत की घड़ियां पकड़ी गई थीं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति पकड़ा गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख) जी, हां। १९ नवम्बर, १९५८ को बम्बई में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टोरेट के कर्मचारियों द्वारा लगभग ५२,५०० रुपयों की कीमत की ४१३ घड़ियां पकड़ी गई थीं।

(ग) उस सम्बन्ध में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

अवैध शराब

†**१५६५. श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों में कोटला मुबारकपुर (नई दिल्ली) में अवैध शराब बनाने और बेचने के मामले बढ़ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति पर रोक थाम रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सोने का तस्कर व्यापार

†१५६६. **श्री तंगामणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ नवम्बर, १९५८ को दिल्ली में १५०० तोले सोना पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख) . जी, हां । २३ नवम्बर, १९५८ को लन्दन से एक भारतीय यात्री 'ब्रिटिश ओवरसीज़ एयर लाइन्स कार्पोरेशन' के द्वारा पालम हवाई अड्डे पर पहुंचा था । उचित संदेह होने पर सीमा शुल्क कर्मचारियों ने उसकी तलाशी ली और उससे १५०२ तोले सोना बरामद किया गया ।

(ग) उसे उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया । न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है ।

लद्दाख में अभिलेखागार

†१५६७. **श्री प्र० क० देव :**
श्री बि० चं० प्रधान :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख के अभिलेखागार में पाई गई दुर्लभ हस्तलिपियों को परिरक्षित करने और प्रकाशित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) . लद्दाख के अभिलेखागार में जिन दुर्लभ हस्तलिपियों के पाये जाने के बारे में बताया गया उनके सम्बन्ध में जम्मू तथा काश्मीर सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गई है । रिपोर्ट मिल जाने पर सरकार उसके बारे में निर्णय करेगी ।

प्राथमिक स्कूल

†१५६८. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह हिदायत भेजी है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता से ग्रामों में नये प्राइमरी स्कूल खोले जायें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या हिदायतें भेजी गई हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) . राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि उन्हें जो शिक्षक शिक्षित लोगों में बेरोजगारी दूर करने तथा प्राइमरी शिक्षा के विस्तार सम्बन्धी योजना के अधीन दिये गये हैं, उन्हें मुख्य रूप से उन ग्रामों में नये स्कूल खोलने के लिये प्रयुक्त किया जाये, जिनमें अभी तक शिक्षा सम्बन्धी कोई सुविधा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना

†**१५६९. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २५ नवम्बर, १९५८ को केन्द्रीय बम्बई के कुम्भारवाडा की फाउन्ड्री से ५०,००० रुपयों की कीमत का सोना पकड़ा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

नासिक में सैनिक प्रयोजनों के लिये भूमि

†**१५७०. श्री जाधव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नासिक में सैनिक प्रयोजनों के लिये अधिगृहीत भूमि के लिये प्रतिकर तथा अनुग्रहात् भुगतान करने के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि जिन व्यक्तियों से भूमि ली गयी है उनसे यह कहा गया है कि वे पहले मामलातदारों से इस आशय का प्रमाण पत्र पेश करें कि उन्हें वास्तव में धन की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ख) और (ग) अचल सम्पत्ति, के अधिग्रहण तथा अर्जन सम्बन्धी अधिनियम, १९५२ के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार कलक्टर द्वारा लेखा पर भुगतान केवल तभी हो सकता है जबकि भूमि के स्वामी निर्धन हों । जब अदायगी के लिये उस प्रकार की प्रार्थना की जाती है, उस समय कलक्टर ममलातदारों से उस सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगता है कि क्या वास्तव में वे निर्धन । पता लगा है कि शीघ्रता से उन प्राप्त करने की दृष्टि से प्रार्थी स्वयं मामलातदारों से प्रमाण पत्री प्राप्त कर रहे हैं और उन प्रमाण पत्रों को 'लेखा पर भुगतान' के लिये प्रार्थना पत्रों के साथ भेज रहे हैं ।

शिक्षा और रोजगार

१५७१. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के शिक्षित नवयुवकों में नौकरी की बजाय व्यापार, कृषि और सामाजिक कार्यों के व्यवसाय अपनाने की प्रवृत्ति पैदा करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है अथवा करने वाली है ; और

(ख) विश्वविद्यालयों से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर निकलने वाले कितने प्रतिशत नवयुवक आजकल रोजगार प्राप्त कर लेते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ख) सूचना एक को जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी। पर हो सकता है कि पूरी सूचना न मिल सके क्योंकि न तो गैर-सरकारी क्षेत्र के योजगार के आंकड़े रखे जाते हैं और न विश्वविद्यालयों के उन स्नातकों के जो स्वतं व्यापार, कृषि या इसी प्रकार के अन्य धन्धों में लग जाते हैं।

सिक्खों का इतिहास

१५७२. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिक्खों का तिहास लिखने के लिये क्या सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को कोई अनुदान दिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : जी, नहीं । परन्तु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में "योजना" के मुख्य सम्पादक श्री खुशवंत सिंह की एक योजना स्वीकार की है जिसके अनुसार वे प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक का सिक्खों का इतिहास उस विश्वविद्यालय के तत्वाधान में लिखेंगे । इस योजना के लिये रौक फेलर फाउंडेशन ने विश्वविद्यालय को एक लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया है।

संस्कृत शिक्षा

१५७३. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत की शिक्षा के प्रसार के लिये प्रति वर्ष कोई अनुदान दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में त्येक संस्था को कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले पांच सालों में अर्थात् १९५३-५४ से १९५७-५८ तक, प्रत्येक संस्था को दिये गये अनुदान की राशि इस प्रकार है :—

संस्था	कुल अनुदान जो दिया गया
	रुपये
१. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	३४,०००
२. दिल्ली विश्वविद्यालय	८,८००
३. अण्णामलै विश्वविद्यालय	६०,८२०
४. महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा	६६,०००
५. उत्कल विश्वविद्यालय	१,७००
६. भारत इतिहास संशोधक मंडल, पूना	७,०००
७. धर्म कोश मंडल, वाई	२०,०००

संस्था	कुल अनुदान जो दिया गया
८. विश्वेश्वरानन्द वैदिक अनुसंधान संस्थान, होशियारपुर	१,५०,०००
९. वैदिक संशोधन मंडल, पूना	४२,५००
१०. भंडारकर ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना	३०,०००
११. केन्द्रीय संस्कृत शिक्षा परिषद्, हैदराबाद	१०,०००
१२. संस्कृत शब्दकोष विभाग, डेकन कालेज, पूना	३,२९,२२१

(ऐतिहासिक सिद्धान्तों के आधार पर संस्कृत शब्दकोश तैयार करने के लिये)

बुनियादी प्रशिक्षण कालेज, अगरताला

†१५७४. **श्री दशरथ देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा के बुनियादी प्रशिक्षण कालेज, अगरताला में १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में अभी तक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कक्षा में कितने-कितने विद्यार्थी हैं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :**

वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या
१९५६–५७	२७
१९५७–५८	१६
१९५८–५९	५

बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

†१५७५. **श्री दशरथ देब :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में प्राइमरी तथा मिडल स्कूलों के शिक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण का कोर्स दो वर्ष का कर दिया गया है ;

(ख) क्या इस पाठ्यक्रम में उद्योग सम्बन्धी शिक्षण भी सम्मिलित है; और

(ग) यदि नहीं; तो क्या उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये त्रिपुरा में कोई और संस्था है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग) . जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा के लिये पम्पिंग सेट

†१५७६. **श्री दशरथ देब :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में त्रिपुरा में छोटी सिंचाई के लिये आदिम जातीय कल्याण योजना के प्रयोजन हेतु कितने पम्पिंग सेट खरीदे गये थे;

(ख) आदिम जातीय लोगों को इस प्रकार के कितने पम्पिंग सेट बेचे गये हैं या मुफ्त बांटे गये है; और

(ग) क्या उन लोगों में इस प्रकार के और अधिक पम्पिंग सेटों की मांग है?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) ४०।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, नहीं।

त्रिपुरा में बुनियादी स्कूल

†१५७७. **श्री दशरथ देब :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अभी तक त्रिपुरा के कितने प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूलों को बुनियादी स्कूलों के रूप में बदल दिया गया है ;

(ख) उक्त अवधि में त्रिपुरा में बुनियादी शिक्षा पर कितनी राशि खर्च की गयी थी; और

(ग) क्या उसके परिणामों और प्राप्तियों का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). लोक-सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २६]**

त्रिपुरा में बुनियादी शिक्षा

†१५७८. **श्री दशरथ देब :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या त्रिपुरा में बुनियादी शिक्षा के लिये कोई मंत्रणा समिति है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जी, नहीं।

त्रिपुरा की आदिम जातियों का कल्याण

†१५७९. **श्री दशरथ देब :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के अधीन १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में (१) झूमिया को बसाने, (२) शिक्षा, (३) कृषि तथा पशु पालन (आर्थिक उत्थान), (४) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य (जिसमें पीने का पानी भी सम्मिलित है), (५) सहकारी समितियां, (६) कुटीर उद्योग, (७) बहु प्रयोजनीय खण्ड, (८) आवास, (९) संचार, (१०) मुख्यायुक्त की विवेकाधीन निधि के लिये कितनी-कितनी राशि निर्धारित की गयी है;

(ख) १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक कितनी-कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(ग) क्या आदिम जातिय कल्याण योजनाओं की कार्यान्विति के लिये कोई अलग निदेशालय है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन योजनाओं को कैसे कार्यान्वित किया जाता है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि १९५६-५७ १९५७-५८ और १९५८-५९ में राज्य तथा केन्द्र द्वारा चलायी गयी योजनाओं के लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और उन पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ग) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) ये सभी योजनायें विभिन्न विभागों के प्रमुखों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। उन पर जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर नजर रखते हैं। और इस काम में एक आदिम-जातीय कल्याण पदाधिकारी सहायता करता है।

त्रिपुरा में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक

†१५८०. **श्री दशरथ देव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में ऐसे कितने प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक हैं जिन्हें १९५६-५७ और १९५७-५८ की किन्हीं अवधियों का अभी तक वेतन नहीं मिला है ;

(ख) त्रिपुरा में ऐसे कितने प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक हैं जिन्हें उक्त अवधि में अभी तक कोई वेतन वृद्धि नहीं मिली है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये तालिका

†१५८३. **श्री विमल घोष :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किये जाने क लिये तैयार की गयी तालिका में अवकाश प्राप्त न्यायिक पदाधिकारी भी सम्मिलित किये जा सकते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) जी हां। परन्तु शर्त यह है कि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधिश बनाने के लिये उपयुक्त व अर्ह हों।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राजनीतिक दलों का सम्मेलन

†१५८४. **श्री राम कृष्ण :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के चुनावों पर होने वाले खर्चों की वृद्धि की रोक थाम करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नई दिली में हाल ही में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किस किस दल ने भाग लिया था ;

(ग) उसमें क्या क्या उपाय लागू करने के लिये सुझाव दिये गये थे ; और

(घ) सम्मेलन द्वारा उनके सम्बन्ध में अन्त में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि उपमंत्री (श्री हजार नवीस)** : (क) २८ नवम्बर, १९५८ को भारत में चारों मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का चुनाव आयोग के कार्यालय में सम्मेलन हुआ था । उसमें इस सम्बन्ध में भी विचार किया गया था कि चुनाव सम्बन्धी खर्चों को घटाया कैसे जाये ।

(ख) उस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत के साम्यवादी दल, प्रजा समाजवादी दल और अखिल भारतीय जनसंघ के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे ।

(ग) और (घ). चुनाव सम्बन्धी खर्चों की रोकथाम करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में चर्चा अधूरी ही रह गयी थी । राजनीतिक दल इस पर और अधिक विचार करना चाहते थे । फिर यह निर्णय किया गया था कि वे अपने सुझाव यथाकाल चनाव आयोग को भेज देंगे ।

तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

†१५८५. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा की ग्रेड ३ से ग्रेड २ में पदोन्नति के लिये निम्न-लिखित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न अर्हता सेवा अवधियां विहित कर दी गई हैं :—

(१) वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किये जाने वाले पदाधिकारी ; और

(२) सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर नियमित अस्थायी कर्मचारी वर्ग में सम्मिलित किये गये पदाधिकारी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) प्रश्न में जैसा पूछा गया है, सरकार ने इस प्रकार की अवधियां नहीं निर्धारित की हैं । वास्तविक पदोन्नतियां तो संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, क्योंकि आयोग ही उनकी योग्यता के अनुसार उनका चुनाव करता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) नियम

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं औषधी तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २९ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११९ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—११२२/५८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

याचिका समिति

कार्यवाही-सारांश

†**श्री बर्मन :** (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं याचिका समिति के छठे सत्र में हुई (इक्कीसवीं और बाईसवीं) बैठकों की कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

याचिका समिति

पांचवां प्रतिवेदन

†**श्री बर्मन :** मैं याचिका समिति का पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव :** मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से एक सन्देश प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने राज्य सभा द्वारा ९ दिसम्बर, १९५८ की अपनी बैठक में पारित किए गए अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक, १९५८ की एक प्रति संलग्न की है ।

अधिकृत लेखा पाल विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया

†**सचिव :** मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक, १९५८ सभा-पटल पर रखता हूं ।

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के बारे में याचिका

†**सचिव :** लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम १६७ के अधीन मुझे सूचना देनी है कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार, दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८, (संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में) के सम्बन्ध में एक याचिका मिली है ।

विवरण

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ के सम्बन्ध में याचिका

हस्ताक्षरकर्त्ताओं की संख्या	जिला अथवा नगर	राज्य
१	दिल्ली	दिल्ली

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

मतविभाजन के आंकड़ों की शुद्धि

†अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह बताना है कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, १९५८ के खण्ड ५ पर श्री नौशीर भरूचा के संशोधन संख्या ३६ पर ११ दिसम्बर, १९५८ को हुए मतविभाजन के आंकड़ों में गलती रह गई थी। सभा ने निर्णय कर लिया है और इस गलती से उस पर किसी प्रकार का असर नहीं होने वाला है। परन्तु फिर भी ठीक स्थिति रिकार्ड में होनी चाहिये। संशोधन के पक्ष में ५६ के स्थान पर ५५ मत होने चाहियें।

समिति के लिए निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

†श्री ब० गो० मेहता : (गोहिलवाड) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उपनियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उपनियम (३) द्वारा अपेक्षित रीति से ३० अप्रैल, १९५९ को समाप्त होने वाले कार्य-काल की शेष अवधि के लिये श्री विजयराम राजू के त्यागपत्र के कारण अचानक रिक्त हुए स्थान पर प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४ की उपधारा (२) के खण्ड (क) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य के रूप में उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुनें।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि जो संसद् सदस्य इस बोर्ड में चुनें जायेंगे वे अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५३ के अधीन अनर्ह नहीं होंगे। अधिनियम की धारा २(ख) में बताए गए प्रतिकर भत्ते के अतिरिक्त या उससे अधिक कोई फीस अथवा पारिश्रमिक उन्हें नहीं मिलेगा। वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम की धारा ६(२)(ग) के अधीन बनाये गये नियमों में इसका ध्यान रखा जायेगा कि इस प्रकार निर्वाचित संसद् सदस्यों को मिलने वाला भत्ता प्रतिकर भत्ते से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त विचाराधीन विधेयक के पारित होने के बाद भी जो नियम बनायें जायेंगे उनमें यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रतिकर भत्ते से अधिक फीस अथवा भत्ता दिए जाने की व्यवस्था न हो।

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री महन्ती (ढेंकानाल) : क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के लिए छूट की व्यवस्था है ?

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : छूट दिए जाने तथा छूट न दिए जाने के बारे में अलग-अलग अनुसूची हैं।

†श्री महन्ती : मैं इसका विरोध करता हूं। सरकार को किसी विशेष बोर्ड के सदस्य को अनर्हता की छूट देने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार इस सभा अथवा अध्यक्ष महोदय में निहित है। अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष महोदय एक समिति नियुक्त करेंगे जो समय समय पर इस प्रश्न पर विचार करेगी कि किस बोर्ड के सदस्यों को छूट दी जाये तथा किसको नहीं। यह बताने से कोई फायदा नहीं कि इससे कोई आर्थिक लाभ होता है अथवा नहीं। सरकार इस प्रकार सभा और अध्यक्ष महोदय के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है।

†अध्यक्ष महोदय : खण्ड ३ में बताया गया है कि केवल प्रतिकर भत्ता दिए जाने पर सामान्यतः अनर्हता नहीं मानी जायेगी। इसके अपवाद भी हैं जो अनुसूची १ तथा २ में रखे गये हैं। जो प्रश्न अभी उठा है वह सामान्य खण्ड में आता है। साथ ही वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम में ऐसा उपबन्ध है कि बोर्ड में कुछ संसद् सदस्य चुने जायेंगे। इस प्रकार इस सभा द्वारा की गई किसी भी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

†श्री अ० कु० सेन : श्री महन्ती द्वारा संसद् की प्रतिष्ठा के प्रति व्यक्त किये गये विचारों का मैं आदर करता हूं। परन्तु फिर भी मैं समझ नहीं सका कि उनके तर्कों का आधार क्या है। श्रीमान्, आपने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। संसद् ने वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की है कि नौवहन बोर्ड में चार संसद् सदस्य रखे जायें। इसके अतिरिक्त वर्तमान अधिनियम में, जो अभी निरसित नहीं हुआ है, इस सदस्यता के लिये छूट की व्यवस्था है तथा जो विधेयक इस समय राज्य सभा में है उस में भी छूट की व्यवस्था है। सरकार तो केवल स्थिति स्पष्ट कर रही है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का शायद यह सुझाव है कि ऐसे मामलों में समिति नियुक्त हो जाने पर समिति का परामर्श लिया जाये। इस समय कोई समिति नहीं है।

†श्री अ० कु० सेन : इस सुझाव पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४ की उपधारा (२) के खण्ड (क) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य के रूप में उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

जीवन बीमा निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): श्री मोरारजी देसाई की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जीवन बीमा निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

संक्षेप में, मैं इसको, वापस लेने के कारणों पर प्रकाश डालता हूं। सभा को याद होगा कि जीवन बीमा निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक इस उद्देश्य से पुरस्थापित किया गया था कि जीवन बीमा निगम की विनियोजन योग्य निधि को विनियोजित करने का काम एक विनियोजन बोर्ड को सौंप दिया जाये। बाद में जीवन बीमा निगम की निधि के विनियोजन के प्रश्न पर पुनः विचार किया गया तथा सरकार ने यह निर्णय किया कि बीमा अधिनियम की धारा २७ क को कुछ रूपभेद के साथ निगम पर लागू किया जाये। इसीलिए बीमा अधिनियम की धारा २७क निगम पर लागू की गई और एक नवीन विनियोजन नीति की घोषणा की गई जिसको सभा-पटल पर रखा जा चुका है। इस पर सभा में विस्तृत रूप से चर्चा भी हो चुकी है और उस नीति का मोटे तौर पर उसने समर्थन किया है। इस कारण यह आवश्यक समझा गया कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाये।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जीवन बीमा निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक १९५७ को वापस लेन की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक*

†रेलवे उपमंत्री (श्री जगजीवन राम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में रेलवे के लिये कुछ सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं और उक्त वर्ष के लिये स्वीकृत राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में रेलवे के लिये कुछ सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं और उक्त वर्ष के लिये स्वीकृत राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†श्री जगजीवन राम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

---

*भारत के असाधारण गजट भाग २ दिनांक १५-१२-५८ में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

†मूल अंग्रेजी में

विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक*

†**श्री जगजीवन राम:** मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में रलवे के लिये कुछ सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं और उक्त वर्ष के लिये स्वीकृत राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में रेलवे के लिये कुछ सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं और उक्त वर्ष के लिये स्वीकृत राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री जगजीवन राम** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक*

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : श्रीमान, मैं समझता हूं कि अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व मुझ नियम ३३८ के निलम्बन का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय विधि मंत्री को मैंने ऐसा करने की अनुमति दे दी है। अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक १९५८ इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि १९५३ के अधिनियम की अवधि दिसम्बर १९५८ में समाप्त हो रही है और जब तक वह विधेयक जिस पर राज्य सभा विचार कर रही है और जिसमें इस विधेयक के उपबन्ध शामिल हैं, पारित नहीं हो जाता तब तक इसको लागू रखना आवश्यक है इसलिए इस विधेयक द्वारा इसकी एक वर्ष की अवधि बढ़ाई जा रही है। चूंकि हम पिछले विधेयक पर यहां चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैंने यह उचित समझा कि नियम ३३८ के अधीन नियम का निलम्बन करने की सभा की अनुमति ले ली जाये क्योंकि एक सत्र में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता जो मुख्यत: उस प्रश्न के समान हो, जिस पर सभा उसी सत्र में विनिष्चय कर चुकी है। हम एक अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक पारित कर ही चुके हैं।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस प्रस्ताव पर कि अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३३८ को लागू न किया जाये।"

---

*भारत के असाधारण गजट भाग—२ अनुभाग—२ दिनांक १५-१२-५८ में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

†श्री अ० कु० सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनर्हता निवारण अधिनियम १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†श्री रं ा (तेनालि): हम एक विधेयक पारित कर चुके हैं जिसमें दिया है कि अनर्हताओं आदि से छूट सिर्फ अगले सितम्बर तक ही लागू होगी। तब इसको वर्ष की अवधि के लिए लागू क्यों किया जा रहा है।

†श्री अ० कु० सेन : यदि हम इसकी अवधि एक वर्ष की भी करते हैं तो उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि उस विधेयक में एक उपबन्ध के द्वारा उसके लागू होने पर इस अधिनियम का निरसन स्वयंमेव हो जायेगा।

†श्री अ० चं० गुह (बारसाट): मैं समझता हूं कि सभा यह जानने की अधिकारी है कि पहले पारित किए गए विधेयक का क्या हुआ।

†श्री अ० कु० सेन : माननीय सदस्य जानते होंगे कि विधेयक इस सभा में पारित हो जाने से ही अधिनियम नहीं बन जाता है। दूसरी सभा को इसे पारित करना होता है तथा राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। यदि दूसरी सभा द्वारा पारित किए जाने से पूर्व ही अधिनियम व्यपगत होने दिया जाता है, तो बहुत से सदस्य अनर्ह हो जायेंगे। इसीलिए इसकी अवधि बढ़ाई जा रही है।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनर्हता निवारण अधिनियम १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†श्री अ० कु० सेन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उड़ीसा बाट तथा माप (दिल्ली निरसन) विधेयक*

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): मैं प्रस्ताव करता हूं कि उड़ीसा बाट तथा माप अधिनियम, १९४३ का, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू होने के सम्बन्ध में निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उड़ीसा बाट तथा माप अधिनियम, १९४३ का, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लाग होने के सम्बन्ध में, निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†श्री सतीश चन्द्र : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के असाधारण गजट भाग--२ अनुभाग--२ दिनांक १५-१२-५८ में प्रकाशित।

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें

वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की यह मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२२	आदिम जाति क्षेत्र . . .	४०,८१,०००
३१	अफीम	२८,०५,०००
५९	दिल्ली	१,९५,००,०००
७२	श्रम और रोजगार मंत्रालय . .	१,५०,०००
९९	अणुशक्ति विभाग . . .	१,००,०००
१०६	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय .	४,४३,५०,०००
११०	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२६,८४,०००
१२८	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय	५,००,०००

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मांगें सभा के सामने हैं। मैं माननीय मंत्री का ध्यान नियम २१६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अनुपूरक अनुदानों सम्बन्धी चर्चा को उनकी मदों तक ही सीमित रहना चाहिये और मूल अनुदानों पर या उन से सम्बन्धित नीति पर चर्चा नहीं होगी। यही बात कटौती प्रस्तावों पर भी लागू होगी। मैं सभी को चर्चा के लिये पर्याप्त अवसर दूंगा।

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : चूंकि राज्य-सभा में वैदेशिक-कार्य सम्बन्धी वाद-विवाद है, इसलिये यदि इस सभा में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों को पहले ले लिया जाये, तो अच्छा हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले हम वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों को ले लें, और फिर सभी मांगों पर एक साथ चर्चा करलें। इसी बीच में मेरे पास सुझाव भी आजायेंगे कि किन-किन मांगों को किस समूह में एक साथ रखकर चर्चा की जा सकती है।

†**श्री महन्ती** (ठेंकानाल) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में सिर्फ इसीलिये बोलने को खड़ा हूं कि देश की सीमाओं पर पाकिस्तान के साथ जो तनातनी बढ़ रही है, उस से एक नयी समस्या पैदा हो रही है

नेहरू-नून करार देश के हित में नहीं है . . . .

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : अनुदानों की अनुपूरक मांगों की चर्चा में सरकारी नीति विषयक मामले नहीं आते।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका उल्लेख केवल प्रासंगिक है।

†**श्री महन्ती** : संसद् को अधिकार है कि वह देखे कि नेहरू-नून करार की कार्यान्विति का देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं मंत्रालय की आलोचना नहीं करना चाहता।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

नेहरू-नून करार के बाद, अब जनरल अयूब खां ने एक वक्तव्य दिया है कि सीमा पर होने वाले झगड़ों की जिम्मेदारी भारत पर है। मैं इसी प्रश्न के कुछ पहलूओं की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : एक औचित्य प्रश्न है। यह अनुपूरक मांग केवल नेफा से सम्बन्धित है, भारत-पाक सम्बन्धों से नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन मांगों का विषय केवल नागा पहाड़ियां ही हैं।

†**श्री महन्ती** : तो मुझे बाद में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर दिया जाये।

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—**

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
२२	८	श्री ले० अचौ सिंह	नेफा में सड़क संचार को सुधारने के लिये एक वृहत योजना तैयार करने की वांछनीयता।	१००
२२	९	श्री ले० अचौ सिंह	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा ही सम्भरण-कार्य करने की सम्भावना।	१००
११०	२०	श्री ले० अचौ सिंह	आदिम जाति क्षेत्रों में खाद्यान्नों के समाहार तथा वितरण के लिये एक सहयोजित नीति की आवश्यकता।	१००

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : ये कटौती प्रस्ताव नेफा क्षेत्र में खाद्यान्नों के समाहार तथा वितरण और उसे विमानों द्वारा तुएनसांग क्षेत्र में पहुंचाने के बारे में हैं। इन पर कुल ६७.६५ लाख रुपये व्यय के लिये हैं।

नेफा क्षेत्र के बड़े सुदूरस्थ स्थानों में प्रशासकीय इकाइयां स्थापित की गई हैं। वहां विमानों द्वारा खाद्यान्न पहुंचाने पर हमें बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है।

इसीलिये, मेरा सुझाव है कि नेफा क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिये एक वृहत् योजना तैयार की जानी चाहिये। अभी तक दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस दिशा में बहुत ही कम प्रगति हो पाई है। हम निर्धारित समय पर सड़क निर्माण के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पायेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

चीन की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इस सम्बन्ध में बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। हमें भी वही तरीके अपनाने चाहियें। नेफा क्षेत्र में सड़क-निर्माण का कार्य सेना को सौंपा जाना चाहिये। नेफा की आदिम जातियों की भावी समृद्धि का दारोमदार सड़क-निर्माण पर ही है।

सरकार को अब नेफा क्षेत्र की आवश्यकताओं का काफी ज्ञान हो गया होगा। सरकार ने इसके बारे में, नेफा क्षेत्र में खाद्यान्न की स्थिति के बारे में, जो व्याख्यात्मक टिप्पणियां जुटाई हैं, उनसे हमें कोई भी ठीक जानकारी नहीं मिलती। हमें खाद्य वितरण का पूरा विवरण बताया जाना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि सरकार को नेफा की आदिम जातियों को कृषि-उत्पादन के लिये उत्साहित करना चाहिये। उन्हें कृषि के वैज्ञानिक तरीके सिखाये जाने चाहियें।

विमान द्वारा खाद्यान्न पहुंचाने का काम इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को ही सौंपा जाना चाहिये। अभी तक वह काम एक निजी समवाय कर रहा था। यदि इंडियन एयर लाइन्स के पास इस काम के लिये आवश्यक उपकरण न हों, तो सरकार को वे उपकरण 'इण्डामेर' से ले लेने चाहिय। इससे सरकार को काफी राजस्व मिल जायेगा।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : माननीय सदस्य ने अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए कई बातें कही हैं।

मैं शुरू में ही बता देना चाहती हूं कि उन्होंने अपने भाषण में जितनी भी चीजें बताई हैं, सरकार उन सभी को सर्वाधिक प्राथमिकता देती है। उन्होंने नेफा क्षेत्र में सड़क संचार के विकास की बात कही है, सरकार उसे बहुत अधिक प्राथमिकता दे रही है। सभी डिवीजनल प्रधान कार्यालयों तक सभी मौसिमों में चलने वाली सड़कें बनाने और उनको एक दूसरे से मिलाने की योजना तैयार की जा चुकी है। अन्य प्रशासकीय इकाइयों तक जाने वाली जीप गाड़ी के लायक सड़कों, घोड़ों-खच्चरों की सड़कें, इत्यादि को सुधारने की भी योजना मौजूद है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन पर ११२ लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव था, जिसमें से केवल ७१.५९ लाख रुपये इन मदों पर खर्च किये गये थे। सभी मौसिमो में चलने वाली २२९ मील की सड़कों, अच्छे मौसिम में चलने वाली २२६ मील की सड़कों, २५६ मील के अश्वपथों, २०७ मील के खच्चर चलने योग्य सड़कों और २,५४१ मील की पैदल चलने योग्य सड़कों पर।

माननीय सदस्य ने सड़क-निर्माण के लिये सेना की सहायता लेने की बात कही है। सरकार इससे बेखबर नहीं है। सेना के इंजीनियरों को दो सड़कें बनाने का काम सौंपा गया था। एक सड़क तो किमिन से जिरो तक, सुबन्सिरी फ्रांटियर डिवीजन के प्रधान कार्यालयों को मिलाने के लिये थी और दूसरी सड़क थी—फुटहिल्स—बौमडिल्ला, कामेन्ग फ्रांटियर डिवीजन के प्रधान कार्यालयों को मिलाने के लिये। इनमें से पहली सड़क तो पूरी बन चुकी है, और दूसरी का काम भी काफी आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा, तिरप फ्रांटियर डिवीजन के डिवीजनल प्रधान कार्यालयों—खेला—को भी एक नयी सड़क द्वारा संयोजित कर दिया गया है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये जो लक्ष्य रखा गया है, वह लगभग १५३.२५ लाख रुपयों के व्यय का है, जिसमें ९२ मील लम्बी नयी सड़कों का निर्माण, २४१ मील लम्बी वर्तमान मंजूरशुदा सड़कों को पूरा करना, और १६६७ मील लम्बी खच्चर-सड़कों तथा पैदल सड़कों का निर्माण और उनकी मरम्मत करना भी शामिल है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमति लक्ष्मी मेनन]

इसलिये मैं समझती हूं कि यह कहना उचित नहीं है कि सरकार इन को प्राथमिकता नहीं दे रही है। नागा जनता भी भारत क नागरिक है और सरकार उस को समूचे देश की प्रगति और विकास के स्तर पर ही लाने के लिये प्रयत्नशील है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि विमान द्वारा खाद्यान्न पहुंचाने का काम किसी निजी समवाय को नहीं सौंपा जाना चाहिये। उन्हें यह जानकर खुशी होगी कि मार्च, १९५८ से यह काम अब इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को ह सौंप दिया गया है।

नेफा प्रशासन ने खाद्यान्नों के समाहार और वितरण के लिये एक उपयुक्त संगठन स्थापित कर दिया है, जो नेफा के सम्भरण तथा परिवहन निदेशक के नियंत्रण में काम करता है। उसका प्रधान कार्यालय जोरहाट में है, और मोहन बाड़ी में भी एक कार्यालय है। इसी संगठन द्वारा सरकारी कर्मचारियों और आदिम जातियों की जनता से सम्बन्धित राजनीतिक अधिकारियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।

इसलिये, माननीय सदस्य ने अपने कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए जो बातें कही हैं, वे सही नहीं है। उन्होंने जो भी कमियां बताई हैं, सरकार उन को पूरी कर चुकी है।

उन्होंने चीन की प्रगति का मुकाबला भारत की प्रगति से किया था। माननीय सदस्य तो स्वयं ही काफी अध्ययनशील हैं, वे जानते ही हैं कि चीन और भारत की परिस्थितियां सर्वथा भिन्न हैं। हम लोकतांत्रिक ढांचे में काम कर रहे हैं, और इसलिये स्वाभाविक है कि हमारे देश की प्रगति धीमी रहेगी। हमारी प्रगति देश की जनता के स्वयं-प्रेरित सहयोग पर ही निर्भर रहती है। यदि माननीय सदस्य नेफा क्षेत्र की जनता को सरकार के साथ अधिक सहयोग करने के लिये प्रेरित करें, तो बहुत जल्द कई समस्यायें हल हो जायेंगी।

मैं कटौती प्रस्तावों का विरोध करती हूं।

†**श्री ले० अवो सिंह** : नेफा के असैनिक सम्भरण निदेशक का कार्यालय कहां स्थित है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जोरहाट में।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ८, ९ और २० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२२	आदिम जाति क्षेत्र	४०,८१,०००
११०	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२६,८४,०००

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : अणु शक्ति विभाग से सम्बन्धित मांग पर कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोलना चाहते ।

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : उसे मतदान के लिये रख दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित मांग मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९९	अणुशक्ति विभाग	१,००,०००

†अध्यक्ष महोदय : अब हम मांग संख्या १०६ और १२८ लेंगे ।

†श्री वें० प० नायर (क्विलोन) : अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कपास खरीदने के लिये १.४८ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है । ऐसे करार देश के हित में नहीं हैं ।

इस अमरीकी सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य, उनके अपने प्रकाशन में, यह बतलाया गया है कि इस कार्यक्रम से अमरीका को अपने उत्पादों के लिये बाजार ढूँढने में सहायता मिलती है ।

इसलिये हमें ऐसे करारों के बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिये । अमरीका इसे अपने देश में कृषि-उत्पादों के मूल्य न गिरने देने के लिये इस्तेमाल करता है ।

वर्तमान स्थिति हमारा सूती कपड़ा उद्योग मुख्यतया आयात की जाने वाली कपास पर ही निर्भर करता है । वह महीन कपड़ों के उत्पादन के लिये कपास का आयात करता है । हमारे अपने देश में कपास का उत्पादन औसतन ४०—५० लाख टन होता है । उससे हम मोटा कपड़ा तैयार करते हैं । लेकिन होता यह है कि हम केवल मोटे कपड़े का ही निर्यात करते हैं । हम अपने घरेलू उपयोग के लिये ही महीन कपड़ा तैयार करते हैं ।

इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश के उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है । उत्पादन में और हमारी निर्यात-आय में वृद्धि होने पर भी, इन विभिन्न करारों के अन्तर्गत, हमें कपास का आयात करना पड़ता है ।

इस पी० एल० ४८० के अन्तर्गत दी जाने वाली अमरीकी सहायता हमें लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नहीं की जाती । अमरीका इस देश को इस लिये रुपयों की मुद्रा में कर्ज दे रहा है कि हमारे निजी समवाय अतिरिक्त अमरीकी कपास को खरीद सकें ।

मेरा सुझाव है कि हमें अफ्रीकी-एशियाई देशों से कपास आयात करनी चाहिये, और वह भी वस्तु-विनिमय के आधार पर । इससे अफ्रीकी-एशियाई देशों का आर्थिक सहयोग भी बढ़ेगा । इसलिये सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करने की बात पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन इस मांग से इसका क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मांग में इसका उल्लेख है ।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	राशि
				रुपये
१०६	१८	श्री तंगामणि	अमरीका से लम्बे रेशे वाली कपास का आयात	१००
१०६	१९	श्री तंगामणि	देश में लम्बे रेशे के स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन न देना ।	१००

†**श्री तंगामणि** : मेरे दोनों कटौती प्रस्ताव एक ही विषय के सम्बन्ध में हैं—लम्बे रेशों की कपास का आयात और देश में उसके स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन न देना ।

श्री वें० प० नायर इस प्रश्न के सम्बन्ध में काफी कुछ कह चुके हैं। वस्त्र जांच समिति के प्रतिवेदन में भी इसके आयात का उल्लेख है। इस अनुपूरक मांग में १४८ लाख रुपयों की आवश्यकता इसी आयात के संबंध में की गई है। वर्ष १९५६ में हमारा निर्यात लगभग ६७ करोड़ रुपयों का था जो अब कम होता जा रहा है। लेकिन लम्बे रेशे की कपास का हमारा आयात लगभग ४५ करोड़ रुपयों का होता है। हमारी अधिकांश निर्यात आय इसी में चुक जाती है। हम अमरीका से लम्बे रेशे की जो कपास आयात करते हैं, उसी के टक्कर की, उतनी ही अच्छी कपास हमें उगान्डा से मिल सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश में लम्बे रेशे की कपास का उत्पादन कितना होता है। उसे कम्बोडियन कपास कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राजपाल्यम, तेनी और कोयम्बटूर क्षेत्रों में जहां यह पैदा की जाती है, सरकार ने इसके उत्पादकों को क्या और कितना प्रोत्साहन दिया है? ऐसी कपास और कहां-कहां होती है? क्या इसके उत्पादन पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबन्ध भी है? मैं यह जानकारी हासिल करना चाहता हूं। यदि सरकार स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन नहीं देगी, तो हमें विदेशों पर निर्भर रहना ही पड़ेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार से बार-बार कहा जाये कि वह देश को कपास के मामले में आत्म-निर्भर बनाये। लेकिन इस मांग की राशि तो उस व्यय की है, जिसका पहले से अनुमान नहीं था, और जिसके बिल भेजे जा चुके हैं। खैर, इस प्रश्न के सभी पहलू सभा के सामने आयेंगे ।

†**श्री महन्ती** : संसद् से, इन अनुपूरक मांगों के जरिये, सार्वजनिक क्षेत्र की कई योजनाओं का अनुमोदन करने के लिये कहा जा रहा है, लेकिन इन योजनाओं का छानबीन करने का अवसर सभा को नहीं दिया जा रहा है। हम से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और रांची में बनने वाले ढलाई कारखाने की योजना का अनुमोदन करने के लिये कहा जा रहा है। रांची के कारखाने के

†मूल अंग्रेजी में

संबंध में भारत सरकार ने चैकोस्लोवाकिया की एक फर्म के साथ करार किया है। क्या हमारे देश के विशेषज्ञ उस काम को नहीं कर सकते थे ?

कारखाने के सिलसिले में शुरूआती जानकारी इकट्ठी करने वाले विदेशी विशेषज्ञों को वेतन तथा भत्तों के रूप में तीन लाख रुपये अदा किये जा रहे हैं। हमें सार्वजनिक क्षेत्र के लिये एक आधार संहिता तैयार करनी चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र को संसद् की मंजूरी के बिना ऐसे करार नहीं करने चाहियें।

इसी प्रकार इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्रालय ने एक अन्य निगम के द्वारा जापान सरकार के साथ भी एक करार किया है ; शायद लोह अयस्क के निर्यात के बारे में।

मेरी शिकायत यह है कि संसद् को इन करारों की छानबीन करने का अवसर क्यों नहीं दिया जाता ? सभा को इन निगमों की कार्यवाहियों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिये। मैं यह भी नहीं जानता कि सरकारी निगम कुल कितने हैं। सभा को उनके संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिये।

मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि वह इन सभी योजनाओं का ब्यौरा सभा को बतायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : पिछली बार मैंने एक सुझाव दिया था, और उसी के अनुसरण में, इन अनुपूरक मांगों के साथ ब्यौरेवार विवरण संलग्न कर दिये गये हैं।

अब इस संबंध में माननीय सदस्य ने जो और जानकारी चाही है, यदि माननीय मंत्री उसे अभी जुटा सकें तो अभी, नहीं तो बाद में जुटा दें। सभा को नयी सेवाओं और योजनाओं का विवरण, और उनकी आवश्यकताओं के संबंध में जानना ही चाहिये। ऐसी जानकारी बड़ी उपयोगी रहेगी। यह जानकारी विवरण के या एक ज्ञापन के रूप में दी जानी चाहिये।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : इस परियोजना विशेष से संबंधित जानकारी तो कई बार सभा के सामने रखी जा चुकी है। प्रश्नों के उत्तरों में, और भी कई अन्य प्रकार से, यह जानकारी जुटाई गई है। अपने उत्तर में मैं और अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : नयी मांग पेश करते समय, उससे संबंधित योजनाओं का सभी ब्यौरा सभा के सामने आना चाहिये।

इस्पात कारखानों, इत्यादि के बारे में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उनके उत्तर दिये गये हैं। कभी कहा जाता है कि सूचना प्राप्त नहीं है और कभी यह कि सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इस प्रकार सभा का समय बर्बाद करने से, यह कहीं अच्छा होगा कि मांग पेश करते समय, आरम्भ में ही सारा ब्यौरा बता दिया जाये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : इस अनुपूरक मांग की इस मद की ओर हमारा ध्यान इसीलिये आकर्षित हुआ है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना से संबंधित है। इस्पात कारखानों की स्थापना के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इसलिये इस परियोजना का और अधिक ब्यौरा सभा के सामने आना चाहिये। अनुपूरक मांग के साथ जो टिप्पणी संलग्न है, उसमें बताया गया है कि यह परियोजना भारी मशीनें बनाने के उस कारखाने से ही सम्बद्ध है जो रूसी सहायता से खड़ा किया जा रहा है। हमारे देश के औद्योगीकरण के लिये ऐसे कारखाने का बड़ा महत्व है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमति रेणु चक्रवर्ती]

इसलिये इस ढलाई घर को भारी मशीनें बनाने वाले इस कारखाने के साथ एकीकृत कर दिया जाना चाहिये। यह एक बड़ी महत्व की चीज है और हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसीलिये मैं कहती हूं कि टिप्पणी में पर्याप्त ब्यौरा नहीं जुटाया गया है।

भारी मशीनें बनाने के इस कारखाने की परियोजना के इतिहास में बड़े उतार-चढ़ाव आये हैं। द्वितीय योजना के प्रारूप में इसके लिये काफी राशि रखी गई थी, बाद में जब द्वितीय योजना सभा के सामने आई तो उसकी औद्योगिक परियोजनाओं में यह कारखाना शामिल नहीं था। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब इसे फिर सम्मिलित कर लिया गया है। यह भी कहा गया है कि ढलाई घर का ही ब्यौरा जुटाया जा रहा है। हमें इससे पता ही नहीं चलता कि भारी मशीनें बनाने के कारखाने की अब क्या स्थिति है।

ढलाई घर की परियोजना के संक्षिप्त विवरण में कहा गया है कि उस के लिये १० करोड़ पये की मशीनों का आयात करना पड़ेगा, और १९६०–६१ में काफी अदायगी करनी पड़ेगी। इससे तो परिणाम यही निकलता है कि यह ढलाई घर १९६२–६३ में ही चलना शुरू करेगा। तब, फिर भारी मशीनें बनाने का कारखाना कब अपना काम शुरू करेगा?

जहां तक मैं समझी हूं नाहन ढलाई घर की क्षमता कोई अधिक नहीं है। सरकार को हमें बताना चाहिये कि उसकी क्षमता कितनी है।

मैं जानना चाहती हूं कि इस ढलाई घर को भारी मशीनें बनाने के कारखाने के साथ किस सीमा तक एकीकृत किया गया है, और वह एकीकरण अब किस अवस्था पर है। यदि हम पहले से इन दोनों को क्रमशः एकीकृत करने की योजना बनालें, तो बाद में उस पर अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा।

मैं पूछती हूं कि इस सरकारी समवाय की स्थापना में कठिनाई क्या पड़ रही है। इतनी महत्व-पूर्ण परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये जरूरी है कि सरकारी समवाय की स्थापना तत्काल हो। इन परियोजनाओं को हमने अन्य योजनाओं के साथ कहां तक एकीकृत किया है?

इतने महत्वपूर्ण विषय की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया ही जाना चाहिये था।

†**श्री मुरारका** (झुंझुनू) : इस अनुपूरक मांग में छः बड़ी परियोजनाओं का उल्लेख है। उसमें से कुछ के लिये निगम भी बन चुके हैं। कुछ निगम बनाने के लिये पूंजी की राशियां स्वीकृत की जा रही हैं।

पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है कि इन निगमों के लिये पूंजी की राशियां स्वीकृत करते समय सभा को उन पर विचार करने का अवसर मिलना ही चाहिये। लेकिन अब, यहां राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लिये अनुपूरक मांग के द्वारा कुल पांच लाख रुपये की स्वीकृति ली जा रही है, जबकि उस पर कुल ३२ करोड़ पये व्यय होगा। बाद में, उस निगम को ऋण या अतिरिक्त पूंजी के रूप में अधिक धन दे दिया जायेगा।

मैं निगमों के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन हमें उन पर विचार करने का अवसर तो दिया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन इन मांगों के साथ इन परियोजनाओं का पूरा ब्यौरा नहीं जुटाया गया है। रांची के ढलाई घर के लिये 'टैक्नोएक्सपोर्ट' के साथ जो करार अगस्त, १९५८ में हुआ था, उसकी शर्त के मुताबिक ३० दिन के अन्दर ही पांच प्रतिशत की अदायगी की जानी थी। सितम्बर में हमने जब अनुपूरक मांग के संबंध में चर्चा की थी, तब इस अदायगी का वचन दिया जा चुका था। वास्तव में अदायगी भी की जा चुकी थी। लेकिन फिर यह मांग दिसम्बर में अभी क्यों रखी गई है? फिर इस पुस्तिका में योजना की पूरी लागत, संचित निधि, विदेशी सहायता, इत्यादि का ब्यौरा ही नहीं दिया गया है।

हमसे परियोजनाओं के सलाहकारों की फ़ीस के लिये राशियां स्वीकृत करने को कहा जाता है, लेकिन उनकी फीसों का ब्यौरा हमें मालूम ही नहीं होता।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं यह नहीं मानता कि कारखाना बनाने के स्थान को चुनने के बारे में आरम्भिक जानकारी जुटाने के लिये तीन लाख रुपये खर्च करना ठीक है। इस मांग की स्वीकृति देने से पहले सभा को यह सारा ब्यौरा मालूम होना चाहिये था।

हैवी इलैक्ट्रिकल (प्राइवेट) लिमिटेड, भोपाल की कुल लागत २८ करोड़ रुपये होगी। इसका काम आरम्भ होने पर इसमें प्रतिवर्ष ६.२ करोड़ रुपये की वस्तुएं तैयार होंगी। यह कहां तक मितव्ययतापूर्ण रहेगा? हम प्रशिक्षण योजनाओं पर ही एक करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है इन इस्पात कारखानों के आरम्भ होने के बाद चार-पांच वर्षों तक भी हमारे पास इतने प्रविधिक कार्यकर्त्ता नहीं होंगे कि उनका काम संभाल लें। उसके लिये हमें विदेशी टेक्नीशियन बुलाने पड़ेंगे।

मैं यह नहीं कहता कि विदेशों से टेक्नीशियन न बुलाये जायें। लेकिन जब हम इतनी बड़ी राशि खर्च करते हैं, तो उसका पूरा ब्यौरा तो सभा के सामने आना चाहिये।

इस परियोजना पर कुल ५ करोड़ रुपये व्यय होंगे और अभी तक २४९ लाख व्यय किये जा चुके हैं। लेकिन इनका कोई भी ब्यौरा सभा के सामने नहीं आया है।

प्रागा टूल्स के लिये ७० लाख रुपये मांगे गये हैं। इस पर जितनी पूंजी लगनी है, उसके अनुपात से इसका उत्पादन बहुत ही थोड़ा रहेगा। आंकड़ों के मुताबिक इस फैक्टरी पर कुल डेढ़ करोड़ रुपये की लागत होगी, और इसका वार्षिक उत्पादन ४७ लाख रुपये के मूल्य की वस्तुओं का ही होगा। तब फिर यह फैक्टरी आत्मनिर्भर कैसे बन पायेगी? माननीय मंत्री को इस फैक्टरी की आर्थिक संभावनाओं से सभा को परिचित कराना चाहिये।

'प्रागा टूल्स' के संबंध में, अक्तूबर, १९५६ में निर्णय किया गया था राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ही उस पर ७० लाख रुपये व्यय करेगा। लेकिन दिसम्बर, १९५८ में सरकार ने अपनी राय बदल दी कि वह राशि सरकार खुद ही विनियोजित करेगी। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसका कारण बतायें। 'प्रागा टूल्स' को 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' के साथ मिलाया क्यों नहीं जा रहा है? उसमें कठिनाइयां क्या हैं?

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जिन परियोजनाओं को अपने हाथ में लेगा, उन पर कुल मिलाकर ३१.९ करोड़ रुपये लगेंगे। लेकिन अभी उसके लिये केवल ५ लाख रुपयों की स्वीकृति देने को ही कहा जा रहा है। इस संबंध में, भारत और जापान के सम्मिलित अनुरोध पर, अमरीका

[श्री मुरारका]

ने दो करोड़ डालर का ऋण भी दिया है। लेकिन सभा को न तो उस योजना का, और न ऋण के करार की शर्तों का ही ब्यौरा बताया है।

बताया गया है कि इस निगम की पूंजी १५ करोड़ रुपये होगी। लेकिन हमें यह तो बताया जाना चाहिये कि इस पर किस वर्ष में कितने व्यय की आवश्यकता पड़ेगी।

अभी तक हमारे देश में ये सरकारी निगम स्वायत्त निकायों की अच्छाइयां अपने में पैदा नहीं कर पाये हैं, हां विभागीय रूप से काम करने की सारी बुराइयां उनमें मौजूद हैं। संसद् को उन पर पूरी तौर से चर्चा करने का अवसर तो दिया जाना चाहिये। एक ऐसी प्रथा बनाई जानी चाहिये कि जब भी संसद् के पृथक् अधिनियमन के द्वारा कोई नया निगम स्थापित किया जाये, तो संबंधित मंत्रालय को सभा के सामने उसकी संस्थापना का औचित्य सिद्ध करना चाहिये। यह बहुत आवश्यक है।

हो सकता है कि इन सभी बातों का इन मांगों से सीधा संबंध न हो, लेकिन इसका संबंध ढः सरकारी निगमों से था। इसीलिये मैंने इस अवसर पर उनके संबंध में अपने विचार प्रकट किये हैं, जिससे कि भविष्य में हमें उनको स्वीकृति देने से पहले उनका पूरा ब्यौरा मालूम हो सके।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन् ने एक नीति का फैसला किया कि देश के अन्दर हमें समाजवादी ढांचा बनाना है और उस नीति के फैसले के तहत रोजाना नई-नई प्राइवेट कम्पनियों के तहत या कारपोरेशन्स (निगमों) के नाते सरकारी कम्पनियां कारोबार चलाने के लिये आगे बढ़ाई जा रही हैं। मुझे तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होता अगर सरकार ५ के बजाय १० कम्पनियों के लिये पैसा मांगे और मुझे तो उनको बढ़ावा देने में बड़ी खुशी होती। लेकिन साथ ही मैं इस बात में श्री महन्ती और मुरारका जी से सहमत हूं कि यह मिनिस्ट्री ऐम्पायर (साम्राज्य) है, ऐम्पायर बनाना चाहती है तो उसके लिये मेरा कहना है कि ऐम्पायर के लिये ऐम्परर भी अच्छा और ठीक होना चाहिये क्योंकि अगर उस की देखभाल ठीक से न हो तो वह सही नहीं चलता है और यही कारण है कि लोग आज ऐम्पायर की अपेक्षा प्रजातंत्रवाद के हक में ज्यादा राय रखते हैं।

अभी सदन ने पार्लियामेंट के मेम्बरों के लिये डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी कानून पास किया और सदन के बहुत से माननीय सदस्यों का यह ख्याल था कि सदन के सदस्यों को रोजाना के काम-काज में दखल नहीं देना चाहिये या उनका सहयोग नहीं होना चाहिये। लेकिन एक बात साफ है कि अगर उनको हमें अच्छे ढंग से चलाना है और ठीक बढ़ावा देना है तो यह जरूरी होगा कि सदन की तरफ से ऐसी समितियां हों जो कि जो भी नई कम्पनियां बनें या जो कम्पनियां चालू हों, उनके कारोबार को देखें, और जांच पड़ताल करें, उनको इसका मौका होना चाहिये क्योंकि सदन की मंजूरी से जो खर्च होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा अब इन कारपोरेशंस के मातहत खर्च होता है और इसलिये उनसे संबंधित जो डिमांड्स होती हैं उनकी मंजूरी बगैर जानकारी देना यह देश और सदन के हित में नहीं होगा। सरकार की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि सदन के सदस्यों को पूरी तौर पर वाकफियत दें।

इसके अतिरिक्त मुझे अमरीका से जो कपास खरीदी गई है, उसके बारे में भी कुछ निवेदन करना है। आपको याद होगा कि पिछले सेशन के आखिरी दिन पंजाब के सदस्यों की तरफ से कपास के खरीदने के संबंध में पहले काफी सवाल हुये और फिर आध घंटे के मोशन के ऊपर इस

विषय पर बहस हुई थी और यहां यह सवाल उठा था कि पंजाब के किसान जो देश के हित के लिये लौंग स्टेपुल (लम्बे रेशे वाली) कपास पैदा करते हैं, उनकी कपास को उठाने का कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है और वह कपास को अपने पास ही डाले रखने के लिये मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ तो हमें शिकायत है कि हमारे पास बाहर से सामान मंगाने के लिये बहुत थोड़ा पैसा है। दूसरी तरफ पंजाब के किसानों को शिकायत है कि उनको बढ़ावा मिलना तो दूर रहा बल्कि जो उन्होंने देश के लिये कपास पैदा की है उसको भी उठाया नहीं जाता है। मुझे अमरीका से कपास खरीदने में कोई ऐतराज नहीं बशर्ते कि इस देश के किसान जितनी कपास अपने देश में पैदा करते हैं, उनकी उस कपास को उठा लिया जाय और उनको घाटा न पड़ने दिया जाय। यह तो देश के हित में है कि यहां पर अधिक कपास पैदा की जाय। इसके अलावा यह भी ध्यान रखने की चीज है कि लम्बे स्टेपुल की कपास की पैदावार शार्ट स्टेपुल की कपास के मुकाबले बहुत थोड़ी है और जो लम्बे स्टेपुल की कपास पैदा करने वाले हैं अगर उनको नुकसान पहुंचा तो अब इस देश के किसान आप जानते हैं कि ज्यादातर अनपढ़ हैं और इससे उनके दिमाग में यह चीज आजायेगी कि लम्बे स्टेपुल की कपास की शायद देश को जरूरत नहीं है और उनको तो नुकसान होगा ही मगर सरकार का भी बहुत ज्यादा रुपया इस बात का किसानों में प्रचार करने के लिये खर्च होगा कि लम्बे स्टेपुल की कपास पैदा की जाय।

अभी मेरे एक माननीय मित्र ने इस बात की शिकायत की थी और वह यह जानना चाहते थे कि सरकार क्या बढ़ावा देती है। मुझे इस बात की शिकायत है कि सरकार के जो एक्शंस हैं, उनसे किसानों के दिलों को एक तरह से चोट पहुंचती है और वह पैदावार ज्यादा बढ़ाने के बजाय उसको घटाने की तरफ चलेंगे. . . . .

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : आप कह दीजिये कि कांग्रेस को वे वोट न दें।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : यह भला सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं?

चौ० रणवीर सिंह : खाली एक एक्शन अगर ठीक न हो, किसी एक आध चीज में गलती हो जाय तो उसके लिये सरकार के और जो सैकड़ों गुण हैं, उन पर पानी फेर देना और उसकी मुखालफत करने लगना, यह कोई अकलमंदी नहीं है। यह मेरे बस की तो बात नहीं है कि मैं एक गलती के कारण ९९ गुणों को भूल जाऊं। आप भले ही ऐसा कर सकते हों, तो करें।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये गये:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	राशि
१०६	३	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के विस्तार की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	राशि
१२८	६	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा की सुकिन्द्रा खानों से जापान को लौह अयस्क का सम्भरण करने की वांछनीयता	१०० रुपये
१२८	७	श्री प्र० के० देव	भारत-जापान करार के अन्तर्गत सम्भलपुर से टिटलागढ़ तक रेलवे लाइन के निर्माण की आवश्यकता	१०० रुपये

†श्री प्र० के० देव (कालाहांडी): यह अनुपूरक मांग राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लिये एक समवाय स्थापित करने के सम्बन्ध में है। इस का मुख्य प्रयोजन है रूरकेला के समीप किरिबुरू के लौह अयस्क निक्षेपों का लाभ उठाकर, जापान सरकार को हर वर्ष २० लाख टन लौह अयस्क सम्भरण करना और विशाखापत्तनम के विस्तार के लिये सम्भलपुर और टिटलागढ़ के बीच रेलवे लाइन डालना। उचित योजनीकरण तो यह होगा कि इसके लिये किरिबुरू को मुख्य लोहे की खान से लौह अयस्क न लिया जाये, बल्कि अन्य छोटे-मोटे निक्षेपों से काम लिया जाये, क्योंकि देश में अन्य बड़े-बड़े इस्पात कारखानों को इसी से लोहा मिलेगा।

सुकिन्द खानों का पता अभी हाल में चला है। इनमें बड़ी अच्छी किस्म का लौह अयस्क है। इनमें लगभग ८०० लाख टन लौह अयस्क है। ये समुद्री तट के निकट हैं। इसलिये जापान को यहीं से लौह अयस्क भेजा जाये, और वह भी परादिप पत्तन से भेजना अधिक सस्ता पड़ेगा। इससे उड़ीसा को एक पत्तन भी मिल जायेगा।

पूना के केन्द्रीय जल तथा शक्ति गवेषणा केन्द्र ने परादिप पत्तन के उपयोगी होने के पक्ष में अपना प्रतिवेदन दिया है। उसका कहना है कि इस पत्तन के समुद्र में ४० फीट तक की गहराई रह सकती है। जापानी इंजीनियरों ने भी ऐसा ही मत प्रकट किया है। इसलिये हमें परादिप को पत्तन बनाने और उसके जरिये जापान को लौह अयस्क बनाने की योजना पर विचार करना चाहिये। फ्रांस से आने वाले विशेषज्ञों ने तो यहां तक कहा था कि ७ करोड़ की लागत से परादिप पत्तन का निर्माण करने पर हर वर्ष ४० लाख टन माल का आयात निर्यात किया जा सकता है। इसलिये इस पत्तन के निर्माण की योजना को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

†श्री पाणिग्रही (पुरी): राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना किरीबुरू खानों से जापान को लौह अयस्क का सम्भरण करने के लिये की गई है। अमरीका ने उसे २०० लाख

†मूल अंग्रेजी में

डालर का ऋण दिया है। जापान सरकार ने इन खानों के विकास के लिये ८० लाख डालर का ऋण दिया है। इसी निगम के लिये हमसे इस राशि को स्वीकृति देने के लिये कहा जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि हमें इससे लाभ कितना होगा? क्या इस करार में यह शर्त भी है कि हमें अमरीकी ऋण से खरीदी जाने वाली सारी मशीनें जापान से ही खरीदनी पड़ेंगी, या हम कहीं से भी खरीद सकते हैं?

इन खानों के विकास के लिये जो सलाहकार रखे जायेंगे, उनके कृत्य क्या रहेंगे? कहा जा रहा है कि एक जापानी फर्म को सलाहकार नियुक्त किया जा रहा है। क्या इस सम्बन्ध में भारतीय फर्मों से परामर्श किया गया था?

यह भी कहा जा रहा है कि जापान सरकार ने ८० लाख डालरों का ऋण इसी शर्त पर दिया है कि जापानी फर्म को ही सलाहकार नियुक्त किया जाये। क्या यह सच है?

मैं मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उड़ीसा में भी एक उड़ीसा खनिज निगम है। पता नहीं यह कहां तक सही है कि सरकार ने उसके ५ लाख रुपये के शेयर खरीदे हैं। यह उड़ीसा निगम खुद भी जापान को लौह अयस्क का निर्यात करता है। क्या भारत सरकार उड़ीसा को दो भागों में बांट रही है? क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इस काम को नहीं कर सकता?

मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जापानी फर्म के लिये साथ ही किसी भारतीय फर्म को भी सलाहकार नियुक्त किया है या नहीं, जो भारतीय हितों पर नजर रख सके?

†**श्री० ले० अवधेश सिंह :** मैं सभा का ध्यान सरकारी उपक्रमों और अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं में किये जाने वाले विनियोजनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रांची के ढलाई घर की स्थापना के लिये ४६.३० लाख रुपयों की व्यवस्था है। व्याख्यात्मक टिप्पणी में कहा गया है कि यह ढलाई घर रूसी सहायता से स्थापित होने वाले भारी मशीनें बनाने के कारखाने से सम्बद्ध होगा। लेकिन वह अभी शुरू भी नहीं हुआ है। हमें उसकी क्षमता, इत्यादि के बारे में कोई ब्यौरा ही नहीं बताया गया है।

हमारे मशीन बनाने का उद्योग बड़ी चींटी की चाल से चल रहा है। इस उद्योग के लिये कोई विकास परिषद् भी नहीं है। इस उद्योग में निजी क्षेत्र असफल रहा है, इसलिये सरकार को ही इस दिशा में पहलकदमी करनी पड़ेगी। इस उद्योग के बल पर हम बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं। इसलिये इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये।

भोपाल के भारी विद्युत उपक्रम के लिये १६५ लाख रुपयों की मांग रखी गई है। इसके निर्माण की पहली अवस्था में ही हमें २८ करोड़ रुपये लगाने पड़ेंगे। निर्माण १९६० में शुरू होगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ है। इसके उपकरण की खरीद के लिये यथाशीघ्र विदेशी मुद्रा जुटाई जानी चाहिये।

'प्रागा टूल्स निगम' में विनियोजन के लिये ७० लाख रुपयों की आवश्यकता है। सरकार को इस निगम के अधिकांश शेयर नहीं खरीदने चाहियें। हमारे पास 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' तो इस काम के लिये पहले से मौजूद ही है। उसकी पूरी क्षमता का उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। हमें औजारों की उत्पादन लागत कम करने की कोशिश करनी चाहिये, जिससे जनता को सस्ते औजार मिल सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ने० अचो० सिंह]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की शेयर पूंजी के लिये पांच लाख रुपये मांगे गये हैं। यह निगम देश के विभिन्न खनिजों के विकास में सहायता देगा, हालांकि अभी फौरी तौर पर यह उड़ीसा की लौह अयस्क की खानों का ही विकास करेगा। मनीपुर क्षेत्र में अभी-अभी तांबे और निकिल के निक्षेप मिले हैं। अच्छा हो यदि सरकार उनके विकास का कार्य आरम्भ कर दे।

सरकार ने राष्ट्रीयकृत उपक्रमों के प्रशासन के सम्बन्ध में प्रथम लोक-सभा की प्राक्कलन समिति के सोलहवें प्रतिवेदन की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। द्वितीय लोक-सभा की प्राक्कलन समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन में भी कई सिफारिशें की गई थीं। खेद की बात है कि उनको भी सरकार ने नहीं माना।

यदि सरकार उन सिफारिशों को कार्यान्वित कर दे, तो इन राष्ट्रीयकृत उपक्रमों के प्रशासन पर जनता का काफी विश्वास जम जायेगा, और सभी में एक उत्साह पैदा हो जायेगा। फिर वे उपक्रम भी अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने लगेंगे। मेरा सुझाव है कि इन उपक्रमों को समवाय अधिनियम के अन्तर्गत लोक सीमित समवायों की भांति ही चलाया जाना चाहिये।

श्री आसर (रत्नागिरि) : मैं खास तौर पर एक विषय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज हमारे सामने फारिन एक्सचेंज की कठिनाई है और इसलिये हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे यहां स्क्रेप होता है उसके एक्सपोर्ट पर सरकार ने बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। गवर्नमेंट की फाल्टी पालिसी के कारण जो देश में स्क्रेप होता है उससे हम फारिन एक्सचेंज प्राप्त नहीं कर सकते। आज हालत यह है कि हमारे देश में कुल एक लाख टन स्क्रेप का उपयोग होता है। लेकिन अगर सरकार की पालिसी में सुधार किया जाये तो आज देश में दस लाख टन स्क्रेप मिल सकता है। इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा स्थान है लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता इसलिये आज यह कठिनाई में है।

आज गवर्नमेंट ने स्क्रेप का भाव २५ रुपया टन रखा है लेकिन यह भाव निश्चित करते समय यह विचार नहीं किया गया कि इस भाव में स्क्रेप किस तरह मिल सकता है। स्क्रेप तो कचरा होता है और उसको एकत्र करने के लिये मजदूरी देनी पड़ती है और इसको लाने के लिये मोटर का यह रेल का किराया भी देना पड़ता है। यह सब होते हुये भी यह २५ रुपये का रेस्ट्रिक्शन क्यों रखा गया है यह मेरी समझ में नहीं आता।

जब हम स्क्रेप इकट्ठा करते हैं और वह पैक होकर हमारे गोदामों में आता है तो वह १२० या १४० रुपया टन पड़ता है लेकिन हमने स्क्रेप के एक्सपोर्ट पर २५ रुपया टन का रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, इसलिये उसे एक्सपोर्ट करने में लाभ नहीं हो सकता। आज विदेशों में इसका भाव १७५ से १८० रुपया प्रति टन है और हमारे यहां २५ रुपया टन का रेस्ट्रिक्शन है और अच्छे माल पर १०० रुपया तक है। इस कारण और इस ओर ध्यान न दिये जाने के कारण परिणाम यह हो रहा है कि स्क्रेप को जमीन में डाला जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप स्क्रेप पर ही बोलेंगे ?

श्री आसर : हमने इस देश में स्क्रेप का लोहा बनाने के लियेकोई सुविधा नहीं रखी है। न कोई ब्लास्ट फरनेस बनायी है कि हम इसका लोहा बना सकें।

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : इसका इस अनुपूरक मांग से कोई संबंध नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने भी उनसे यही इशारा किया था कि आज की डिमांड का स्क्रेप से ताल्लुक नहीं है ।

सरदार इकबाल सिंह (फिरोजपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस देश में कपास के इम्पोर्ट के लिये जो १,४८,००,००० रुपया रखा गया है, उसी सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं । एक तो मैं इस पर इस देश में कपास पैदा करने वाले के नाते बोलना चाहता हूं और दूसरे जिस ढंग से कपास इम्पोर्ट की जाती है और उस पालिसी से जो नुकसान किसानों को होता है वह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

हमारे देश से जो कपास एक्सपोर्ट की जाती है और जो हमारे यहां इम्पोर्ट की जाती है वह एक एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर की जाती है । इसलिये सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक इस एडवाइजरी कमेटी में इस देश के किसान के नुमायन्दे, कपास पैदा करने वालों के नुमायन्दे, नहीं होंगे तब तक यह कमेटी अपना मकसद पूरा नहीं कर सकेगी । आप कहेंगे कि हम कपास तो कारखानों के लिये लाते हैं इसमें किसान का क्या काम है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इस कपास को लेने वाले हैं उनका इसमें इंटरेस्ट होता है कि ये बाहर से कपास उस वक्त देश में आवे जिस वक्त कि यहां पर कपास की मंडी शुरू होती है, जिसका नतीजा यह होता है कि बाजार मन्दा हो जाता है और यहां के कपास पैदा करने वाले को कम पैसा मिलता है । आपको यह चीज़ रोकनी चाहिये । इस पालिसी का नतीजा यह होता है कि जब पंजाब का और दूसरे सूबों का कपास का मारकेट शुरू होता है तो इस इम्पोर्ट की वजह से मारकेट डल हो जाता है और जब सीजन खत्म हो जाता है तो फिर मारकेट अप हो जाता है । इसका नतीजा न सिर्फ यह होता है कि हमको ज्यादा फारिन एक्सचेंज देना पड़ता है, बल्कि इसका यह नतीजा भी होता है कि यहां के किसान को जो पैसा मिल सकता है उससे वह महरूम हो जाता है । इसके जवाब में यह कहा जायेगा कि हमने जो कपास इम्पोर्ट की है वह १.२ इंच से ऊपर की है जो हमें मदद में मिली है ।

चौ० रणवीर सिंह : मदद नहीं कर्ज है ।

सरदार इकबाल सिंह : जो हो लेकिन यह किसान के लिये नुकसान देह है । मैं चाहता हूं कि यह मदद इस तरह न ली जाये कि किसान को नुकसान पहुंचावे और हमारे मारकेट को मन्दा कर दे ।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि आज से तीन महीने पहले हमने कहा था कि पंजाब में हजारों गांठें कपास की पड़ी हैं आप खरीदिये । तो सरकार ने कहा कि हम पैसा कहां से लायें, लेकिन आज जब कारखानेदार चाहते हैं तो आप ने एक करोड़ ४८ लाख रुपया इम्पोर्ट के लिये मुहय्या कर दिया । यह कपास इस तरह इम्पोर्ट किया जाता है कि किसान को पूरा पैसा न मिल सके ।

पंजाब में और दूसरे सूबों में जो कपास पैदा करते हैं साल खत्म होने पर लांग स्टेपिल काटन के ६ लाख बेल सरप्लस होते हैं और इनके अलावा दो तीन लाख बेल जिनिंग फैक्टरीज के पास भी होते हैं । अगर हम इम्पोर्ट को इस तरह रेग्युलेट करें कि वह इंटरनल मारकेट खत्म होने के बाद शुरू हो तो किसान को नुकसान न हो । इसके अलावा गवर्नमेंट को पहले से मिलों को यह नहीं बताना

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये कि फलां मिल को इम्पोर्टेड काटन में से इतनी बेलें मिलेंगी। क्योंकि इसका नतीजा यह होता है कि उनको मालूम हो जाता है कि इतनी बेल्स तो हमारे लिये रिजर्व हो गयीं इसलिये वे यहां नहीं खरीदते। वह लोग तो इस तरह से इम्पोर्ट करवाना चाहते हैं ताकि यहां का मारकेट मन्दा हो जाये और वे उससे फायदा उठा सकें।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पिछले दिनों यहां पर दुनिया का काटन का सबसे बड़ा एक्सपर्ट हारलेंड आया था और उसने इस देश का दौरा किया था औ उसने कपास पैदा करने की टैकनालाजी पर रिपोर्ट भी दी है। उसका कहना है कि हिन्दुस्तान में लांग स्टेपिल काटन बहुत जल्दी पैदा की जा सकती है जिससे कि यहां के इंटरनल कंजम्पशन को पूरा किया जा सकता है। इसलिये अगर सरकार इस एक करोड़ ४८ लाख की रकम को बाहर से काटन इम्पोर्ट करने के बजाय किसानों को टैकनिकल मदद देने पर सर्फ करती जैसा कि हारलेंड रिपोर्ट में कहा गया है तो दो साल में हिन्दुस्तान लांग स्टेपिल काटन के मामले में सेल्फसफीशेंट हो जाता। लेकिन आप किसान को इस तरह की मदद नहीं देना चाहते। आप इसलिये बाहर से इम्पोर्ट करते हैं कि इस तरह से आपको मदद मिलती है। लेकिन इसका यह नतीजा होता है कि यहां का इंटरनल मारकेट डंप हो जाता है।

तीसरे मैं लैंग्थ की बात करता हूं। हिन्दुस्तान में जो कपास होता है उसका ए सपोर्ट कोटा उस वक्त एलाऊ करते हैं जब कि हिन्दुस्तान की मार्किट को उस एक्सपोर्ट कोटा से फायदा न हो और साथ ही साथ हिन्दुस्तान का जो किसान है, उसको फायदा न हो। पंजाब में जो कपास पैदा होती है वह सारी की सारी अक्तूबर से लेकर मार्च तक मार्किट में आ जाती है। उसका कोटा आप एलाऊ करते हैं जाकर अगस्त में या उसके बाद। इस तरह से आपने इंटरनल प्रोडक्शन को रेग्युलेट किया और साथ ही इस तरह से इम्पोर्टस को रेग्युलेट किया जिस तरह से आप अब करते हैं, तो यह देश के हित में नहीं होगा। गलत ढंग से आप यह सारा काम कर रहे हैं और इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो गैप है वह दिन-बदिन बढ़ता ही जाता है और आपको करोड़ों रुपया फारेन ए सचेंज के रूप में खर्च करना पड़ता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इंटरनल कोटास की जो डिफ्रेंट क्वांटिटीस हैं और जो एक्सपोर्ट कोटा है, उसको अच्छी तरह से रेग्युलेट किया जाना चाहिये। अगर आपने ठीक ढंग से एक्सपोर्ट किया, ठीक ढंग से इम्पोर्ट किया तो इसका नतीजा यह होगा कि एक तो आपको फारेन एक्सचेंज मिलेगा या फारेन एसक्चेंज आपका बचेगा और दूसरा इसका यह भी लाभ होगा कि किसानों की हालत सुधरेगी, उनको इससे फायदा पहुंचेगा।

आपने कहा है कि हम १.२ इंच की कपास लेंगे। आप इस तरह की कपास लें या कोई दूसरी, इसका मिल में ही इस्तेमाल होना है और सब से बड़ी बात जो है कोटास को सिस्टेमैटिकली देने की है ताकि किसानों को नुकसान न हो। मैं कहता हूं कि यह जो आपने एक करोड़ ४८ लाख रुपया खर्च किया इसको बचाया जा सकता था और दो सालों में हिन्दुस्तान में ही इस तरह की कपास को पैदा किया जा सकता था अगर आप ठीक ढंग से काम करते। लेकिन एक तरफ तो आप मार्किट को डिप्रेस करते हैं, दूसरी ओर फारेन ए सचेंज की कमी करते हैं और तीसरे किसान को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में जब तक एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की एडवाइजरी कमेटी रहेगी, जिनके कि सैलफिश इंटिरेस्टस हैं, तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिस किस्म का कपड़ा बनाता है वह यही कहेगा कि उसी किस्म की मुझे कपास चाहिये और उसी तरह का केस बनायेगा। इस वास्ते इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): श्रीमान मैं इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय द्वारा रखे गये इस प्रस्ताव का आशय बहुत संक्षेप में बतलाना चाहता हूं। मुझे यह सब बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि हमने इस समय यह प्रस्ताव सभा के सामने क्यों रखा है। हमारी नीति यह है कि हमारे औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची 'क' के अन्तर्गत आने वाली सभी धातुओं का निपटारा सरकार, अवसर आंने पर, एक साथ ही कर सके। इस उद्देश्य को लेकर हम एक राष्ट्रीय धातु विकास निगम की स्थापना करना चाहते हैं। इस निगम को हम १५ करोड़ रुपये की पूंजी से प्रारम्भ करना चाहते हैं।

हम इस १५ करोड़ रुपये को तीन परियोजनाओं में लगाना चाहते हैं। एक किरिबुरु में लोह अयस्क के विकास के लिये, दूसरे सारबलपुर और टिटलागढ़ के बीच १११ मील लम्बी रेलवे लाइन बनाना और तीसरे विजागापटम में पत्तन तथा तटीय सुविधाओं का विस्तार तथा विकास करना। इस प्रकार खनिजों के लिये हम केवल ५ लाख रुपया ही जिसको कि हम किरिबुरु परियोजना पर लगाना चाहते हैं, हमने इसके लिये १५ करोड़ रुपया इस लिये रखा है क्योंकि अन्ततोगत्वा हम इस निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र में लोह अयस्क अतिरिक्त अन्य सभी धातुओं के विकास की परियोजनाओं को भी लाना चाहते हैं। अभी हमें जापान के साथ हाल ही में हुये एक करार के कारण २० लाख टन लोह अयस्क देने का प्रबन्ध करना है। बाद में हम गन्धक, तांबा इत्यादि अन्य धातुओं का भी प्रबन्ध करेंगे। फिलहाल हमें केवल जापान को २० लाख टन लोह अयस्क देने की चिन्ता है। इसके लिये हमें ५ लाख रुपये चाहियें जिसमें से ४·५ लाख रुपये किरिबुरु के ईर्द गिर्द खनन कार्यों तथा खोज में लग जायेंगे। इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय में इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स को तत्काल इस लौह अयस्क के खोजने का आदेश दे दिया है। उन्होंने यह कार्य शुरू भी कर दिया है। हम इस व्यय के लिये सभा की स्वीकृति चाहते हैं। शेष ५० हजार रुपये राष्ट्रीय खान विकास निगम के रजिस्ट्रेशन तथा अन्य प्रकीर्ण कार्यों पर व्यय होंगे। इस लिये मैंने सभा से ५ लाख रुपये की राशि तत्काल मांगी है।

हम एक बहुप्रयोजनीय खान परियोजना बना रहे हैं। इस का हम सब से पहले उड़ीसा और बिहार के कुछ भागों में लोह अयस्क की खोज में से प्रारम्भ कर रहे हैं। मुझे इसके अतिरिक्त इस विषय में और कुछ नहीं समझाना है क्योंकि शेष नीति को सभा पहले ही भली भांति जानती है।

कुछ सदस्यों ने यह पूछा है कि क्या हम इससे केवल जापान से ही मशीनरी खरीदेंगे इसका उत्तर 'हां' में है। हम केवल जापान से ही इसलिये मशीनरी खरीदेंगे क्योंकि हमने उनसे एक करार किया है जिसके अनुकरण में उहोंने हमें मशीनरी तथा उपकरण खरीदने के लिये चेन का ऋण देना स्वीकार किया है। इस प्रकार हम उस ऋण में से ही मशीनरी खरीदेंगे।

†श्री पांगिग्रही: क्या हमने उनसे बाजार भाव पर सौदा किया है ?

†श्री के० दे० मालवीय: अभी हमें कीमतें तय करनी हैं। हम तुलनात्मक कीमत ही देंगे। हम उन्हें उचित मूल्य से अधिक दाम नहीं देना चाहते।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन (मुकन्दपुरम): क्या आप को अपने मन पसंद की चीज लेने का मौका नहीं दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री के० दे० मालवीय : हमने जापान सरकार से कुछ ऋण प्राप्त करने की बात चीत चलाई थी । हम यह चाहते हैं कि हम यथा सम्भव शीघ्र लोह अयस्क तैयार कर सकें । यदि हमें उचित दामों पर अच्छे किस्म का अयस्क मिल सके तो हमें इंकार करने का क्या फायदा ? हमें यह देखना है कि हम उनसे क्या ले सकते हैं तथा किस दाम पर ।

हमने उनसे यह पूछा था कि आप किन शर्तों पर हमें परामर्श दे सकते हैं । उनकी भली भांति छानबीन करने पर हमें वे शर्तें बिल्कुल तुलनात्मक तथा सही दिखाई दीं । यदि सरकार चाहे तो वह अन्य परामर्शदाताओं से भी पूछ सकती है कि क्या अमुक साथी द्वारा दिया गया परामर्श सही है अथवा नहीं । हमें पक्का विश्वास है कि जापानी मशीनरी बड़ी अच्छी किस्म की होगी । हमें इस बात का व्यर्थ भय नहीं करना चाहिये कि वह हमें अच्छे किस्म की मशीनरी नहीं देंगे ।

†श्री पाणिग्रही : हमने परामर्शदाताओं को कितना रुपया दिया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : हमें उनके परामर्श की छानबीन करने के बाद उनको उतना रुपया देना पड़ता है जितना कि तय किया जाता है । अभी हमने १६ लाख रुपये देने का वचन दिया है । किन्तु आशा है इसमें कुछ चीजों के निकल जाने के कारण कुछ कमी आ जाये ।

जहां तक खनन के टेकनिक का प्रश्न है राष्ट्रीय खनन विकास निगम इस कार्य को करने के लिये स्वतः समर्थ है । हमने ये परामर्शदाता केवल परियोजना का ब्यौरा, नक्शे तथा उपकरण आदि के बारे में राय देने के लिये नियुक्त किये हैं । इसलिये हमें जापानी परामर्शदाताओं की नियुक्ति के बारे में अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या निगम जापानी परामर्शदाताओं की सेवाओं पर नियंत्रण रख सकेगा अथवा नहीं ?

†श्री के० दे० मालवीय : जहां तक उन की परामर्श का प्रश्न है हमारे ऊपर कोई रोक नहीं । हम उसे माने या न मानें । यह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से योग्यता के आधार पर नियुक्त किये गये हैं ।

†पंडित कृ० चं० शर्मा (हापुड़) : क्या विधि मंत्रालय ने इस करार का अनुमोदन कर दिया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : वित्त मंत्रालय ने सभी आवश्यक बातें देख ली हैं ।

†पंडित कृ० चं० शर्मा : उसने किन किन बातों का ध्यान रखा है ।

†श्री के० दे० मालवीय : जब कभी कोई कंपनी बनाई जाती है अथवा किसी परामर्शदाता को नियुक्त किया जाता है उस संबंध में कुछ निश्चित बातों का विचार रखा जाता है । ये बातें आर्थिक, प्राविधिक तथा वैधिक प्रकार की होती हैं । हमने इन सभी पहलुओं से करार पर विचार कर लिया है । हमें यह करार बिल्कुल तुलनात्मक तथा उचित एवं लाभकारी जचा है तथा हम समझते हैं इससे हमारे उद्देश्य की भली भांति पूर्ति हो सकेगी ।

†श्री प्र० के० देव : सुकिंडा की खानों की क्या स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री के० दे० मालवीय : उस परियोजना पर खनन कार्य पर ५ करोड़ रुपये व्यय लगेगा । इसमें से ३.७५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी । इसकी मशीनरी उपकरण आयेंगे । और शेष १.२५ करोड़ रुपये भारतीय मुद्रा में सिविल निर्माणों पर लगेगा ।

यह परियोजना हमारी पहली परियोजना है। इसके इलावा हम अन्य कार्य भी करेंगे। जैसे हम रेलवे लाइन बनाने पर तथा पत्तन तथा तट सुविधाओं के विकास तथा निर्माण कार्यों पर ३२ करोड़ रुपया खर्चना चाहते हैं इस संबंध में विस्तृत योजना क्या होगी इसका विवरण देना मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है ।

हमें लोह अयस्क के खनन के लिये इस समय केवल ५ लाख रुपये चाहियें जिसका ब्यौरा मैं पहले दे चुका हूं ।

कुछ सदस्यों ने यह पूछा है कि उड़ीसा खान विकास निगम का क्या हाल है उसने जापानी कंपनियों को सप्लाई के लिये कितना लोह अयस्क दिया है । उड़ीसा खान निगम उड़ीसा सरकार हमारी साझेदार है। इसी प्रकार यदि उड़ीसा सरकार अथवा किसी अन्य राज्य की सरकार इस प्रस्तावित राष्ट्रीय निगम में हिस्सा लेना चाहती हो तो हम उस पर विचार करने को तैयार हैं । राष्ट्रीय निगम सरकार की एक विशेष नीति का पालन करने के लिये बनाया जा रहा है । जब कि उड़ीसा निगम एक सीमित निगम है । उसका कार्य केवल उड़ीसा राज्य के धात्विक अयस्कों का विकास करना है । यदि वह निगम कुछ लोहा देना चाहें तो हम ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने को भी तैयार हैं ।

जहां तक प्रदीप के पत्तन के विकास का प्रश्न है हमारा मंत्रालय उसके लिये बड़ा उत्सुक है। हमने इस सम्बन्ध में राज्य मंत्रालयों, वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग को पत्र भेजे हैं ताकि इस बंदरगाह का जल्दी से विकास हो सके ।

५ करोड़ रुपये में से हम अगले दो वर्ष में कुछ करोड़ रुपये व्यय करेंगे । शेष योजना की शेष अवधि के दौरान में । इस प्रकार हमें दो वर्ष में २ करोड़ रुपये से अधिक नहीं चाहिये और इस समय तो केवल ५ लाख रुपये ही चाहियें। मैं समझता हूं अब श्री मुरारका के प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है कि हमें इस समय १५ करोड़ रुपये में से केवल ५ लाख रुपये ही क्यों चाहियें । मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

†श्री मनुभाई शाह : श्रीमान् मैं अमेरिकन कपास के आयात के बारे में आलोचना सुन कर बड़ा प्रसंन्न हुआ हूं । श्री वी० पी० नायर ने लोक विधि ४८० की चर्चा करते समय एफ्रो-एशयाई देशों से आयात की लम्बी चौड़ी चर्चा की है। इस सभा को भली भांति विदित है कि अफ्रीका, सूडान, टांगानिका तथा पूर्वी अफ्रीकन देशों से आने वाली कपास ऊंचे दर्जे की कपास होती है । मध्यम दर्जे की कपास के लिये हमें अमेरिकन देशों से ही कपास मंगानी पड़ती है । यह कहना कि हमने अमेरिका में कीमतों को न गिरने देने के लिये कपास खरीदी है सर्वथा गलत है। अमेरिका की सरकार भले ही किसानों को सहायता देने के लिये उनसे वस्तुएं खरीदती हो परन्तु हमारे सामने कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था । हमने तो व्यापारिक आधार पर ही क्रय किया है। हमने इस आयात में कम से कम विदेशी मुद्रा व्यय करने का ध्यान रखा है और हमने केवल उतनी ही कपास ली है जितनी कि भारतीय उत्पादन के लिये परमावश्यक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

जिन शर्तों पर हमको अमेरिका से यह पी० एल० ४८० मिडलिंग कपास मिली उन शर्तों पर हमें यह विश्व में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती थी । यह हमें एक दीर्घ कालीन ऋण के रूप में मिली है जिसका भुगतान भी बहुत छोटी छोटी किस्तों में करन पड़ेगा ।

श्री तंगामणि आदि कुछ लोगों ने यह कहा है कि इस कपास के आयात पर खामखाह क्यों इतना रुपया व्यय कर रहे हैं जबकि हम यहीं पर किसानों को कुछ सहायता देकर कपास का उत्पादन बढ़ा सकते हैं । इस सम्बंध में मुझे यह कहना है कि पिछले १० वर्षों में हमने नकदी कमाने वाली फसलों में बड़ी उन्नति की है । पटसन में २०-२५ लाख गांठों के स्थान पर अब हम ६० से ६५ लाख गांठें उत्पन्न करने लगे हैं । इसी प्रकार कपास में २० से २४ लाख गांठों के स्थान पर ४० से ५० लाख गांठों का उत्पादन होने लगा है किन्तु हमारे देश में सूत की कमी के कारण औद्योगिक विकास के कार्य में काफी बाधा पड़ रही है । केवल किसानों को कुछ रुपया दे देने से ही हम अपने यहां सी० ओ० २ अथवा वरिष्ठ २८० या २८९ या सी–आइलैंड अथवा कम्बोडिया या १′ से १$\frac{1}{8}$″ स्टेपल कपास नहीं पैदा कर सकते । हम अधिकतम प्रयत्न कर रहे हैं । मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इनमें से जिस जिस किस्म की कपास का देश में उत्पादन बढ़ता जायेगा हम उसका आयात करना बन्द कर देंगे ।

†चौ० रणवीर सिंह : देश में उपलब्ध कपास को खरीदने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं इसका उत्तर थोड़ी देर बाद देता हूं । हां, तो मैं यह बता रहा था कि हम कम से कम आयात करना चाहते हैं बल्कि कुछ वस्तुओं का आयात तो हमने बिल्कुल बन्द कर दिया है । हम केवल उन्हीं देशों से आयात करेंगे जिनमें हमें भुगतान करने तथा विदेशी मुद्रा इत्यादि संबंधी अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें तथा जो देश थोड़ी सी थोड़ी अवधि में हमारी आवश्यकताएं पूरी कर सके ।

कुछ सदस्यों ने इस प्रसंग में कृषि नीति के प्रश्न को उठाया है । मैं कह सकता हूं कि पिछले दस वर्षों में हमारी कृषि नीति, विशेषकर कपास के बारे में नीति, बड़ी दृढ़ तथा दूर-देशी की नीति रही है ।

कपास के क्रय की नीति के बारे में हमने कपास की अधिकतम तथा न्यूनतम कीमतें निश्चित की हुई हैं । जब कभी इनसे अधिक या कम कीमतें होने लगती हैं तो सरकार तत्काल उचित उपायों द्वारा उत्पादकों की सहायता करने को तैयार रहती है । सरकार की इस नीति से कपास और पटसन के उत्पादन को बड़ा प्रोत्साहन मिला है । इसके बारे में हमें आज तक कोई शिकायत नहीं मिली । यदि इनकी अधिक पैदावार हो जाती है तो हम इनके निर्यात की भी अनुमति दे देते हैं ।

ऐसी कपास के बारे में जिसकी देश में मांग से अधिक पैदावार होती है, सरकार ने एक दीर्घ-कालीन निर्यात नीति बनाई हुई है । हम इस वर्ष ऐसी कपास का भारी मात्रा में निर्यात करने की अनुमति दे रहे हैं । आज तक कभी भी इतना बड़ा कोटा नहीं निर्यात किया गया । निर्यात नीति

---

†मूल अंग्रेजी में

की उदघोषणा के बारे में हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि यह नीति ऐसे समय पर घोषित की जाये कि इसके वास्तविक उत्पादकों को लाभ पहुंच सके ।

इस सम्बन्ध में हमने कई कदम उठाये हैं । हमने कृषिकार किसानों की सहकारी समितियां बनाई हैं तथा उनको सीधे निर्यात करने की अनुमति दी है । इस बार हमने यह नीति ऐसे समय पर घोषित की है कि किसानों, सहकारी संस्थाओं, आढ़तियों तथा निर्यातकर्ताओं सभी ने इसकी पूरी पूरी प्रशंसा की है ।

†श्री बर्मन (कूच बिहार–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : पटसन की क्या स्थिति है ?

†श्री मनुभाई शाह : पटसन के बारे में हमने अभी कुछ ही दिन पहले निर्यात नीति की घोषणा की है । हमने इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन इत्यादि की सहायता से इस प्रकार व्यवस्था की है कि इस बार निम्न कोटि की जूट का अधिक उत्पादन होने के बावजूद भी उसकी कीमतों में विशेष कमी नहीं हुई है । हाल ही में जूट की कुछ कीमतें कुछ कम हुई हैं । मगर हम इनके स्थिर करने के लिये शीघ्रोपाय कर रहे हैं ताकि इसकी कीमतें अधिक आर्थिक स्तर से नीचे न गिरें ।

†श्री तंगामणि : क्या लांगस्टेपल कपास बोने के लिये कोई विशेष सहायता दी जा रही है यदि हां, तो प्रत्येक राज्य इसके लिये कितना अनुदान दे रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : कर्नाटक तट तथा मंगलौर में इस वर्ष सी-आइलैंड प्रकार की कपास की बहुत अधिकता रहेगी । कर्नाटक में सी० ओ० २, कम्बोडिया तथा सी-आइलैंड प्रकार की कपास बोई गई है । कुछ वर्षों में इन क्षेत्रों में इस प्रकार की कपास की मात्रा काफ़ी बढ़ जायेगी । इसके लिये हम प्रविधिक परामर्श, तकावी ऋण आदि दे रहे हैं तथा फार्मों पर इनका प्रदर्शन भी कर रहे हैं । राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों की ओर से इस विषय में वित्तीय तथा प्रविधिक दोनों प्रकार की सहायता दी जा रही है । इसके अलावा भारतीय केन्द्रीय कपड़ा समिति द्वारा भी सहायता दी जा रही है ।

मेरे मंत्रालय की मांग के एक बड़े भाग के सम्बन्ध में श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने एक प्रश्न उठाया कि क्या चेकोस्लेवाकिया का संयंत्र, जो कि हमारी भारी मशीन निर्माण सयंत्र का एक उपांग है, ऐसा है कि वह हमारे देश की आवश्यकतानुसार हमारे इस्पात सयंत्रों के उत्पादन के अनुकूल है या नहीं । मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि यही कारण है कि जिसके आधार पर ढलाई का यह संयंत्र जिसे हम पहले लगाना चाहते थे, बिल्कुल बदल दिया गया है और हमने चेकोस्लेवाकिया सरकार से जो नया ढलाई सयंत्र लेना चाहते हैं वह भारी मशीन निर्माण सयंत्र के, जिसे हम रूसी सहायता से लगा रहे हैं, प्रत्येक पहलू को विचार में रखेगा, ताकि चेकोस्लेवाकिया सयंत्र में सभी आवश्यक मशीनों की ढलाई या निर्माण हो सके । यह एक एकीकृत परियोजना होगी और इसी कारण हमने इस सयंत्र को लगाने के लिये रांची नामक स्थान चुना है ।

३ लाख रुपये की बात उठाई गई और श्री महन्ती ने नाहन ढलाई कारखाने का प्रश्न उठाया । हमारे पास केवल नाहन का ढलाई कारखाना ही नहीं है बल्कि हमारे यहां अनेक हजारों ढलाई कारखाने हैं जिनमें १ पौण्ड, ५ पौण्ड तथा १ मन का उत्पादन होता है । १ टन की ढलाई का कार्य काफी महत्वपुर्ण समझा जाता है, जब कि मैं सभा को कई बार बता चुका हूं कि यह सयंत्र ३० टन कुटाई तथा ११० टन ढलाई का सामान तैयार करेगा । एशिया तथा यूरोप के बहुत थोड़े देश ही इतना करने का दावा कर सकते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

अतः यह कोई छोटा ढलाई कारखाना नहीं होगा। इस सम्बन्ध में नाहन ढलाई कारखाने का इसका कोई मुकाबला नहीं है। सच तो यह है कि यह एक बहुत बड़ा ढलाई कारखाना होगा। मुझे आश्चर्य है कि नाहन ढलाई कारखाने से इस कारखाने की तुलना की जा रही है। नाहन का कारखाना तो एक पुराने ढंग का कारखाना है। किसी देशी राजा ने उसे स्थापित किया था और बाद में हम उसे चलाते रहे क्योंकि उससे बहुत से लोगों को रोजगार मिला हुआ था। नाहन कारखाने को एक बहुत खराब हालत से सुधार कर हमने उसे एक मजबूत तथा लाभप्रद कारखाना बना दिया है। नाहन में हम रांची के लिये आवश्यक भारी मशीनें तो क्या छोटी मशीनें भी नहीं बना सकते जब कि इस सयंत्र से हम आगामी ६ या ७ वर्षों बाद हर दो वर्ष में एक पूरा इस्पात सयंत्र तैयार किया करेंगे। इन बातों को ध्यान में रख कर यदि सभा विचार करे तो उसे पता लगेगा कि चेकोस्लोवाकिया को हमने जो ३ लाख रुपये दिये हैं वह कुछ अधिक नहीं हैं।

†श्री महन्ती : हमने आंकड़े इकटठे करने के लिये धन दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन ३ लाख रुपयों के बदले में हमें क्या आंकड़े मिल रहे हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : यह कोई सामान्य आंकड़े नहीं हैं। सभा को पता है कि भोपाल में भी मिट्टी के भूगर्भीय तत्वों को जानने के लिये हमें जमीन के भीतर लोहे के गार्डर गाड़ने पड़े थे। जब हम इतनी बड़ी मशीन लगाने जा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिये कि उसकी नींव काफी पक्की हो ताकि मशीन जमीन में धंस न जाये। इससे बहुत हानि होगी। यह किताबों से आंकड़े इकटठे करने की बात नहीं है। हमें वहां बर्मे द्वारा खोदाई तथा परीक्षात्मक गड्ढे खोदने पड़ेंगे जिससे चेकोस्लेवाकिया तथा रूस के विशेषज्ञ हमारी मदद करेंगे।

†श्री महन्ती : क्या सरकार करार की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : यह एक बहुत बड़ी परियोजना है। विभिन्न मदों के लिये अलग अलग करार नहीं हैं। जब यह समवाय है तो समवाय के वशेषज्ञों तथा निदेशकों पर हम सबको विश्वास करना होगा। जब इस परियोजना पर ३० करोड़ से १०० करोड़ रुपये की लागत लगने वाली है तो यदि हम इस भारी सयंत्र को लगाने के लिये ३ लाख रुपये किसी मित्र देश को दे रहे हैं तो . . . .

†श्री महन्ती : जब हमसे यह राशि स्वीकार करने की मांग की जा रही है तो क्या हम सरकार से यह नहीं मांग कर सकते कि करार की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाये ?

†श्री मनुभाई शाह : सभा सर्वशक्तिमान संस्था है। मैं बताना चाहता हूं कि हम सभा से कुछ भी छिपाना नहीं चाहते क्योंकि इस उद्योग की स्थापना में करदाताओं का ही धन व्यय किया जा रहा है। आप जानते हैं कि एक सम्पूर्ण करार है। आये दिन विभिन्न मदों पर चर्चा होती रहती है और हमारे लिये या किसी के लिये यह संभव नहीं है कि हम हर बात के सम्बन्ध में आनुषंगिक, अनुपूरक या पूरक करार सभा के सामने रखते जायें। पर यदि माननीय सदस्य इस परियोजना में दिलचस्पी लेते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं।

मूल प्रश्न यह था कि क्या यह परियोजना भारी मशीन निर्माण सयंत्र के साथ एक एकीकृत योजना के रूप में होगी। इस सम्बन्ध में मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यह एक पुर्ण एकीकृत परियोजना होगी जो कि हमारे इस्पात उद्योग, खनिज, तेल उद्योग, सीमेण्ट उद्योग तथा चीनी उद्योग के लिये आवश्यक बड़ी मशीनें तथा अन्य वस्तुयें तैयार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि क्या इस समस्या के सम्बन्ध में सरकार की सरकारी क्षेत्र व गैर-सरकारी क्षेत्र की नीति आदर्श नीति का कुछ प्रभाव पड़ा है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि सरकार कोई भेदभाव नहीं मानती। सरकारी क्षेत्र बहुत महत्वपुर्ण है और भारतीय जनता के हाथ में यह एक बहुत बड़ा साधन है जिसके द्वारा वह अपनी इच्छानुसार समाज का निर्माण कर सकता है जिसमें छोटे से छोटे व्यक्ति को भी पूर्ण सामाजिक न्याय प्राप्त हो। जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं सभा में कई बार बता चुका हूं कि हम इसे महत्वपूर्ण मानते हैं और हमें इससे कोई विरोध नहीं है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन बढ़ाने के लिये हम हर प्रकार की मदद देने को तैयार हैं। हम देश की आर्थिक दशा को अधिक से अधिक उन्नत बनाना चाहते हैं। अतः भेदभाव की कोई बात नहीं है। हमने तो संसद की आज्ञानुसार उन क्षेत्रों में सरकारी परियोजनायें शुरू की हैं जिनमें ये परियोजनायें नहीं थीं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : रांची में स्थापित किये जाने वाले भारी मशीन निर्माण सयंत्र की क्या स्थिति है ?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक इस सयंत्र का सम्बन्ध है इसके ब्यौरे के सम्बन्ध में अभी बातचीत चल रही है। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के सम्बन्ध में मैं पहले ही कहना चाहता था कि ब्यौरेवार बातचीत के दौरान में हम यह नहीं बता सकते कि परियोजना का वास्तविक स्वरूप क्या होगा ? हम चेकोस्लेवाकिया, रूस या अमरीका के विशेषज्ञों से बातें करते हैं और यद्यपि वे बड़े विशेषज्ञ होते हैं फिर भी वे पहले से हमें सारी बातों का अन्तिम परिणाम नहीं बता सकते। भारी मशीन निर्माण सयंत्र के सम्बन्ध में रूस ने, यह बताने के लिये कि योजना क्या होगी, निर्माण कैसे होगा तथा क्या रूप रेखा होगी, १२ से १८ महीने तक का समय मांगा है। अतः मैं माननीय सदस्य तथा सभा को आश्वासन देता हूं कि ज्योंही हमें सारी जानकारी उपलब्ध होगी हम सभा के सामने रखेंगे।

पहली अवस्था में भारी मशीन निर्माण सयंत्र प्रति वर्ष ४५,००० टन का उत्पादन करेगा। दूसरी अवस्था में उसका उत्पादन ८०,००० टन होगा और अन्तिम अवस्था में १,६०,००० टन हो जायेगा। भारी मशीन निर्माण सयंत्र के लिये आवश्यक ढलाई तथा कुटाई का काम उस कारखाने में होगा जो चेकोस्लेवाकिया के सहयोग से बनाया जा रहा है। इस चेकोस्लेवाकियन कारखाने में उत्पन्न सामान उक्त सयंत्र के अतिरिक्त अन्य कारखानों के भी काम में आवेगा। भारी मशीन निर्माण सयंत्र का पूर्ण स्वरूप हमारे सामने तैयार नहीं है हमने केवल मोटी रूपरेखा तैयार कर ली है। हमने यह निश्चय कर लिया है कि इस सयंत्र से क्या मशीनें तैयार होंगी। इस सम्बन्ध में हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि रूसी विशेषज्ञ हमें अग्रिम प्रतिवेदन नहीं भेजते।

मशीनी औजारों का भी प्रश्न उठाया गया। श्री मुरारका ने कहा कि जब हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाना है तो प्रेग टूल्स कारखानों को एक अलग निगम बनाने का क्या औचित्य है। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि यह ऐतिहासिक आवश्यकता के कारण हमें करना पड़ रहा है। यह प्रेग टूल्स कारखाने हैदराबाद सरकार के पास पिछले १० या १२ वर्षों से था और चूंकि यह अच्छी तरह नहीं चल रहा था अतः हमने इसे अपने अधीन ले लिया। श्री संजीव रेड्डी तथा उसके पुर्व श्री राम कृष्ण राव इस सम्बन्ध में हमें लिखते रहे थे। हमने कारखाने तथा उसके स्थान का परीक्षण कराया और हम इस निश्चय पर पहुंचे कि यदि हम इसे अपने हाथ में ले लें तो थोड़े ही समय में हम इसे लाभप्रद बना लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भनुभाई शाह]

सभा को प्रसन्नता होगी कि अभी लगभग १२ महीने पूर्व हमने इस कारखाने को अपने हाथों में लिया है और इस समय इसमें लाभ हो रहा है। इसका उत्पादन दूना बढ़ गया है। इसमें मध्यम श्रेणी के मशीनी औजार तैयार होते हैं। हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने में जिस प्रकार के औजार तैयार होते हैं वैसे औजार इसमें नहीं बनेंगे। अतः इन दोनों निगमों को आपस में मिला देना संभव नहीं होगा। इन दोनों समवायों का स्वरूप भी बिल्कुल भिन्न है। एक तो पूर्णतया सरकारी है। प्रेग टूल्स में यद्यपि हमने अधिकांश अंश ले लिये हैं फिर भी गैर-सरकारी व्यक्तियों के हाथों में अभी इसके बहुत से अंश हैं। दोनों में भिन्न-भिन्न प्रकार के मशीनी औजार तैयार होंगे।

अब मैं भोपाल की भारी बिजली परियोजना को लेता हूं। इस सम्बन्ध में यह आलोचना ठीक ही है कि यद्यपि विनियोजन २१ करोड़ तक पहुंच गया है पर उत्पादन लग भग ६.२ करोड़ तक ही पहुंचा है। यदि हम सरकारी क्षेत्र को परियोजनाओं, मुख्यतया बुनियादी तथा भारी उद्योगों में, विनियोजन तथा उत्पादन के अनुपात को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि उनका उत्पादन १ रुपये में एक-तिहाई ही रहा है। किन्हीं किन्हीं मामलों में आधा भी है। सर्वाधिक प्रयत्न के बाद ७० प्रतिशत या ७५ प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ पाता है। सिन्दरी कारखाने तथा अन्य इस्पात कारखानों के सम्बन्ध में इसी प्रकार का हमारा अनुभव है। पर मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इन बातों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। यह ६.२ करोड़ का उत्पादन तो एक शिफ्ट का उत्पादन है जब कारखाने की प्रथम स्थिति पूर्ण हो जायेगी तो हमारे पास प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो जायेंगे और तब हम दो शिफ्ट चलायेंगे और हमारा उत्पादन ५० प्रतिशत या ७५ प्रतिशत बढ़ जायेगा। यह कोई असाधारण बात नहीं है। ऐसे मामलों में उत्पादन का अनुपात कुछ कम ही रहता है।

भोपाल परियोजना के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने पूछा कि इस परियोजना में हमने अपेक्षित प्रगति क्यों नहीं की। इसका कारण यह है कि संसाधनों की कमी। योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के सामने हम एक बार फिर अपनी मांग पेश कर रहे हैं कि, देश में विद्युतीकरण के लिये बड़े-बड़े टरबाइनों, ब्वायलरों, रेक्टीफायरों, जेनरेटरों आदि की जो आवश्यकता पड़ेगी उनके उत्पादन के लिये योजना आयोग हमें अतिरिक्त विनियोजन दे। आशा है कि योजना आयोग हमें भारी बिजली परियोजना के लिये अधिक राशि देगी। इस परियोजना के द्वितीय तथा तृतीय चरण के मिलाने के लिये हम प्रयत्नशील हैं और प्रथम चरण पूर्ण होते ही हम द्वितीय तथा तृतीय चरण को लेंगे।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई प्रत्येक बात का उत्तर मैं दे चुका हूं। एक बात यह कही गई कि जब कि कोई नई परियोजना शुरू करने का विचार हो तो उसे सभा के सामने अवश्य रखा जाना चाहिये। मैं इस बात का स्वागत करता हूं और अनेक बार हमने सभा के सामने ऐसी परियोजनायें रखी हैं। हमारे पास जो जानकारी होती है वह हम सभा के सामने रखते हैं। यदि माननीय सदस्य या सभा अधिक रुचि लेगी तो समय-समय पर हम अधिकाधिक जानकारी सभा के सामने रख सकेंगे। हम कोई बात छिपाना नहीं चाहते। इस समय हमने ज्ञापन इसलिये नहीं प्रस्तुत किया क्योंकि अध्यक्ष महोदय का आदेश था। यदि किसी अवसर पर विस्तृत ज्ञापन की आवश्यकता होगी तो हम उसे प्रस्तुत करने को तैयार हैं। अतः ऊपर मैंने जो बातें बताई हैं उसके बाद मैं सभा से यही कहूंगा कि चूंकि सरकारी क्षेत्र एक नया तथा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तथा गैर-सरकारी क्षेत्र से इसका कोई वैमनस्य नहीं है, अतः सभा को चाहिये कि वह इसे अधिकाधिक समर्थन प्रदान करे। लगातार कटु आलोचना से सरकारी क्षेत्र की प्रगति के लिये उपयुक्त

वातावरण नहीं तैयार हो पायेगा । मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह आश्वस्त रहे कि जब कि कोई जानकारी अपेक्षित होगी हम देने को तैयार हैं । इसकी सफलता की तुलना अन्य क्षेत्र की सफलता से नहीं की जानी चाहिये ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि रुई की कितनी गांठों का आयात किया जा रहा है और वह रुई कितने लम्बे रेशे की है।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सब बातें समय-समय पर गजट में प्रकाशित की जाती हैं। इनमें कुछ छिपाने की बात नहीं है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : आयात की गई रुई का मूल्य हमारी देशी रुई के मूल्य की तुलना में कैसा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हर प्रकार की रूई के मूल्य भिन्न-भिन्न हैं। अच्छी किस्म की रूई के दाम अधिक होते हैं। किसी देश की फसल तथा विश्व बाजार पर मूल्य प्रायः निर्भर होता है। यदि माननीय सदस्य किसी एक किस्म की या सभी किस्म की रुई के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो मैं उन्हें प्रसन्नता पूर्वक जानकारी दूंगा।

†**सरदार इकबाल सिंह** : हमारे देश में रुई का मौसम नवम्बर से जून के अन्त तक होता है। इस अवधि में रुई का आयात करने से हमारे देश के किसानों के बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः मेरी आपत्ति यह है कि हम ऐसे समय पर रुई का आयात क्यों करते हैं जब हमारे यहां रुई का मौसम होता है ?

श्री मनुभाई शाह : रूई का आयात सारे साल होता है। समय-समय पर नीति तथा कोटे की घोषणा की जाती रहती है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आयात की गई रुई के मूल्य तथा भारत के वायदा बाजार तथा तैयार बाजार की रुई के मूल्य में कोई संबंध नहीं होता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या ३, १८ और १९ का सभा के सामने मतदान के लिए रखूंगा कटौती प्रस्ताव संख्या १६ और १७ नियम विरुद्ध हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ३, १८ और १९ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्रालय संबंधी कटौती प्रस्ताव संख्या ६ और ७ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ६ और ७ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१०६	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	४,४३,५०,००० रु०
१२८	इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय	५,००,००० रु०

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम गृह-कार्य मंत्रालय--दिल्ली की मांग को लेंगे।

†**श्री स० म० बनर्जी :** सब मांगें एक साथ ली जा सकता हैं अन्यथा हम लोगों को समय नहीं मिलेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी:** श्रम मंत्रालय की मांगों पर कटौती प्रस्ताव संख्या १४ और १५ हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कटौती प्रस्ताव संख्या १२, १३, १४ और १५ नियम विरुद्ध हैं। हम मांगों की चर्चा कर सकते हैं। सभी मांगें एक साथ ली जायेंगी।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांग संख्या ९, श्रम मंत्रालय की मांग संख्या ७२ तथा वित्त मत्रालय की मांग पर बोलूंगा।

मांग संख्या ९ के संबंध में मुझे यह कहना है कि हम ठेकेदा ों के चक्कर में बहुत सी राशि बरबाद कर रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि ठेके देते समय प्रतिरक्षा मंत्रालय को ठेकेदारों पर काफी निगरानी रखनी चाहिए।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

अब मैं श्रम मंत्रालय की मांग को लेता हूं। भारत १९५८ प्रदर्शनी में श्रम मंत्रालय का मंडप बहुत अच्छा है। उसमें तरह-तरह की जानकारी दी गयी है। पर मैं श्रम उपमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे श्रमिकों में असंतोष न फलायें। इन्दौर में एक भाषण देते समय उन्होंने केरल के मजदूरों के वेतन तथा इन्दौर के मजदूरों के वेतन की तुलना की। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि इस प्रकार की बातें कही जायें बल्कि आवश्यकता यह है कि सभी मजदूरों को एक झण्डे के नीचे संगठित किया जाये।

मांग संख्या ११७ में १५ करोड़ रुपये की सहायता राज्यों को देने की बात कही गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को कितनी राशि इसमें से दी जा रही है ? बुन्देलखण्ड क्षेत्र में माताटोला परियोजना का काम इसलिए रुका पड़ा है कि केन्द्र की सहायता नहीं मिल पाई है। इसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए रिहन्द बांध का निर्माण भी बहुत आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं के लिए इस १५ करोड़ की राशि में से कितना धन उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरूदासपुर): सबसे प्रथम मैं मांग संख्या ९ पर चर्चा करना चाहता हूं। २ लाख की अनुपूरक मांग का बहुत अधिक महत्व नहीं है, परन्तु प्रश्न तो मांग की प्रकार का है। दोषी ठेकेदारों के १६ कारण बताये गये हैं, और वे मुकदमे बाजी के शौकीन दिखाई देते हैं। समझ में नहीं आता कि सरकार ऐसे ठेकेदारों को क्यों काम देती है जो कि अपेक्षित कार्य को नहीं कर सकते, और किसी न किसी प्रकार से मंत्रालय को मुकदमे बाजी में फंसाये रखते हैं। मेरा विचार है कि इनके स्थान पर काम श्रम सहकारी संस्थाओं को दिया जाना चाहिए। क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि इस प्रकार के ठेके देने से पूर्व किसी वकील का परामर्श लिया गया था, क्योंकि हर बार अदालत अथवा

†मूल अंग्रेजी में

न्यायाधिकरण के समक्ष सरकार को परेशान होना पड़ता है। सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा और ठेकेदारों के स्थान पर कार्य के लिए अन्य अभिकर्ता ढूंढ़ निकालने होंगे।

अब मैं अफीम से सम्बन्धित मांग संख्या ३१ की ओर आता हूं। अफीम का उत्पादन काफी हुआ है। आश्चर्य यह है कि एक ओर हम नशाबन्दी की नीति अपना रहे हैं और दूसरी ओर अफीम की खेती काफी हो रही है। मेरा मत यह है कि यदि डाक्टरी कामों के लिए अफीम की आवश्यकता है तो ठीक है, परन्तु यदि देश की खपत के लिए यह उत्पादन बढ़ रहा है तो इसे समाप्त किया जाना चाहिए। मेरा मत तो यह भी है कि अफीम का निर्यात भी बन्द कर देना चाहिए ताकि अन्य देशों को भी इसके हानिकारक प्रभावों से बचाया जाये।

अब मैं श्रम मंत्रालय की मांग की ओर आता हूँ। माननीय श्रम उपमंत्री के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उसके लिए मुझे खेद है। जिम्मेदार लोगों को इस प्रकार की बातें करना शोभा नहीं देता। मेरा कहना है कि श्रम उप मंत्री तथा श्रम मंत्रालय ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने प्रदर्शनी द्वारा बहुत ही सुन्दर कार्य किया है। उसमें किसी राजनीतिक दल के प्रभुत्व का प्रश्न नहीं, वह तो सारे भारत का सामूहिक चित्र है, जिससे हम सब समान रूप से प्रेम करते हैं। हमें इस मामले पर भी इसी दृष्टि से देखना चाहिए। अपने मत को व्यक्त करने अथवा उसका प्रचार करने का अधिकार तो सब को ही है। मंत्री महोदय को भी ऐसा करने का अधिकार है। मेरा निवेदन है कि प्रदर्शनी में श्रम मंत्रालय के मंडप पर जो खर्च किया गया है वह व्यर्थ नहीं गया, उसका बहुत लाभ हुआ है। मैं उसके लिए श्रम मंत्रालय को मुबारकबाद देता हूं।

वेतन बोर्डों का जो प्रस्ताव श्रम मंत्री ने दिया है, वह भी केवल एक राज्य का प्रश्न नहीं है, उससे सारे भारत का सम्बन्ध है। इसलिए मेरा मत है कि किसी प्रकार का दलगत भाव इस मामले में आना ही नहीं चाहिए और हमें प्रत्येक दिशा में अपनी एकता का सबूत देना चाहिए। यद्यपि भाखड़ा नंगल और चंडीगढ़ में जो कुछ खर्च हो रहा है वह पंजाब से सम्बन्धित दिखाई देता है परन्तु वास्तव में यह अखिल भारतीय महत्व का है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इन १५ करोड़ रुपये में से कितना पंजाब को दिया गया है। मेरे विचार में इसमें से सभी राज्यों को थोड़ा बहुत दिया जायेगा।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुजा) : प्रतिरक्षा सेवाओं सम्बन्धी मांग संख्या ९ के सम्बन्ध में जो कुछ मेरे मित्र श्री दी० चं० शर्मा ने कहा है मैं उस से सहमत हूं। कई एक मामलों में तो जो सौदे ठेकेदारों से तय हुए उनकी शर्तें इस प्रकार गलत ढंग से तय हुई थी कि सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा और ऐसे मामलों के निर्णय मंत्रालय के विरुद्ध गये। परन्तु उन अधिकारियों का क्या हुआ जो कि इस सब के लिए जिम्मेदार थे। राज्य के हित को जो हानि हुई उसके लिए क्या किया गया।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : परन्तु जिन मामलों में सरकार के पक्ष में निर्णय हुआ वे हमारे समक्ष नहीं हैं।

†**श्री पुन्नूस** : यह ठीक है परन्तु सरकारी धन से सम्बन्धित किसी भी मामले में सरकार की हार नहीं होनी चाहिये। इस मामले में लोक लेखा समिति और लोक समिति

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पुन्नूस]

ने भी सरकार को सचेत रहने का परामर्श दिया है । क्या अधिकारियों ने इस ओर कुछ ध्यान दिया है । यही तो बात है जिसके लिए कि सविस्तार अध्ययन की आवश्यकता है । इन समस्त मामलों को विस्तार से सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए । हमें आशा करनी चाहिए कि इससे सरकार की आंखें खुलेगी और भविष्य में ठेकेदारों द्वारा काम करवाने की नीति में परिवर्तन किया जायेगा ।

श्रम मंत्रालय की मांग के सम्बन्ध में मैं केवल दो शब्द ही कहूंगा । श्री बनर्जी ने श्रम उपमंत्री महोदय के सम्बन्ध में जो कुछ कहा उस पर श्री दी० चं० शर्मा ने जो आपत्ति की है, उसे हम उनकी बजुर्गी के कारण स्वीकार करते हैं । परन्तु श्रम उपमंत्री ने इन्दौर में जो कुछ कहा वह स्पष्टतः दलगत भावना से ही प्रेरित थी । उन्हें भी हालात से शिक्षा ले कर ऐसी बातें कहने में थोड़ा संकोच करना चाहिए । मैं चाहता हूं कि इस सदन में ऐसे अवसर नहीं आने चाहिए जब कि मंत्रियों अथवा उप-मंत्रियों का इस प्रकार उल्लेख करने की आवश्यकता पड़े ।

श्री जाधव (मालेगांव) : चेयरमैन साहब, मुझे डिमांड नम्बर ५९ और डिमांड नंबर ११७ पर कुछ कहना है । डिमांड नम्बर ५९ दिल्ली के बारे में है। और यह करीब १ करोड़ ९५ लाख की मांग है । दिल्ली में टरमिनल टैक्स जारी किया गया है । यह क्यों जारी किया गया है यह हमें देखना पड़ेगा । दिल्ली में मकानों की बहुत किल्लत है और यहां पर स्लम बढ़ रहे हैं । इसके लिए जो रकम प्लान में रखी गयी थी वह बहुत कम है और मकानों की किल्लत को और स्लम्स को दूर करना है इस वास्ते यह टरमिनल टैक्स जारी किये गये हैं ।

दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और यहां पर मकानों की किल्लत होना और स्लम्स होना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है । स्लम्स को हटाने के लिए करीब २० करोड़ रुपया रखा गया था लेकिन दिल्ली का शहर उसमें शामिल नहीं किया गया था ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : अनुपूरक मांगों की चर्चा करते हुये हम सीमा कर के सामान्य प्रश्न पर चर्चा नहीं कर सकते । कर तो पहले ही थे । केवल इतना है कि अब कुछ धन राशि दिल्ली नगर निगम को दी जा रही है । इसलिए सीमा कर के सम्बन्ध में चर्चा करना उचित नहीं होगा, न ही गन्दी बस्तियों का प्रश्न लाना ठीक होगा । इस पर चर्चा हो चुकी है कि यह राशि नगर निगम को दी जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त आज की चर्चा का विषय दिल्ली प्रशासन भी नहीं । अनुपूरक मांगों का जहां तक सम्बन्ध है, इन्हें इसलिये लाया गया है क्योंकि नगर निगम को कुछ राशि दी जानी है और कुछ अन्य स्थानीय प्राधिकारों को दी जानी है । इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा रहा । हम ५० लाख का अनुदान उन्हें दे रहे हैं । अतः इसके साथ दूर से सम्बन्धित प्रश्नों का अब यहां कोई औचित्य नहीं है । हम कोई नई सेवा के लिये रुपया नहीं मांग रहे ।

श्री जाधव : यह जो डिमांड चल रहा है उसको काहे के लिए काम में लाया जायेगा यह तो सवाल हमारे सामने है ही । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को भी

†मूल अंग्रेजी में

और कारपोरेशन को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा । गवर्नमेंट ने इस दिशा में जिस तरह से कदम उठाया है वह काफी नहीं है । गवर्नमेंट के पास और कारपोरेशन के पास इन स्लम्स के पूरे फिगर नहीं हैं । अभी अभी एक सरवे किया गया है । पेपर में शाया हुआ है कि दिल्ली में करीब ३० हजार हटमेंटस हैं । लेकिन गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली और अहमदाबाद में करीब करीब २० फीसदी लोग स्लम्स में रहते हैं । तो इसके लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा ।

दूसरी बात यह है कि दिल्ली में सफाई की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा । अगर हम दिल्ली की सफाई की तरफ और लेपर्स की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो यह राजधानी के लिए और कारपोरेशन के लिए बहुत शर्म की बात होगी । इस तरफ कई तरफ से इशारा किया गया लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ नहीं है ।

मकानों की तरफ भी गवर्नमेंट ने कदम उठाया है लेकिन गये पांच साल में जिस तरीक से लोन दिये हैं उनसे इतने मकान नहीं बना पाये हैं जितने कि बनने चाहिए । गवर्नमेंट के पास इंटेरिम प्लान है । गवर्नमेंट इस तरफ कदम उठा रही है लेकिन इस सवाल को गवर्नमेंट को जिस नजरिये से देखना चाहिए उससे नहीं देख रही है यह कहने में मुझे दुःख होता है ।

दूसरे मझे डिमांड नम्बर ११७ के बारे में कहना है। डेवेलेपमेंट के बारे में, जो काम हुआ है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं । हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारे प्लान के बारे में इशारा किया है वह इशारा मैं गवर्नमेंट के सामने रखना चाहता हूं । उन्होंने कहा है :

> "कि पंचवर्षीय योजना जन योजना है और इसे कार्यान्वित करने के कार्य में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने को एक भागीदार समझना चाहिए ।"

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य पुनः सामान्य प्रश्न पर आ रहे हैं हमें सामान्य नीति की चर्चा यहां नहीं करनी ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : सभापति महोदय, मैं डिमांड नम्बर ९ के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि जिसके संबंध में मेरे मित्र श्री बनर्जी ने और दूसरे मित्रों ने पहले भी कहा है ।

पहली बात इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो शताब्दियों से ठेकेदारों को काम देने की प्रथा चली आ रही है इस पर विचार किया जाना चाहिये। अम्बाला में लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से फौज के जवानों के सहयोग से मकान बनाये गये हैं। अगर इसी चीज को देश में और अधिक मात्रा में फैलाया जाये तो इससे बहुत लाभ हो सकता है और बहुत सा भ्रष्टाचार और रुपये का अपव्यय जो होता है वह बच सकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ठेके देने के बजाये मजदूरों की सहकार समितियां बनायी जायें और उनको निर्माण कार्य के ठेके दिये जायें। इससे भी बहुत फायदा गवर्नमेंट को और मजदूरों को हो सकता है ।

इसके बाद जो १५, १६ ठेकों का विवरण दिया गया है उसके संबंध में मुझे यह कहना है, जैसा कि मैंने पिछली दफा भी निवेदन किया था, कि पता नहीं हमारे मंत्रालय में फाइलें इतनी सुस्ती से

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भक्त दर्शन]

क्यों चलती हैं कि एक मेज से दूसरी मेज पर पहुंचने में उनको वर्षों लग जाते हैं। इस संबंध में मैं इस डिमांड के डी० ३ का एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक होटल का लीज़ एक फर्म को १ दिसम्बर १९४६ को दिया गया। वह कांट्रेक्ट ३० जून १९४८ को समाप्त हो गया। उसके बाद सन् १९५० में उस फर्म ने गवर्नमेंट पर दावा किया और अब सन् १९५८ में सोचा जा रहा है कि इस मामले में समझौता कर लिया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि इसके पहले यह समझौता क्यों नहीं किया गया। खैर देर आयद दुरुस्त आयद। आखिरकार हमारे मंत्रालय को यह खयाल हो आया कि समझौता कर लिया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों को इतने वर्षों तक क्यों पड़े रहने दिया जाता है।

जैसा मैंने पहले निवेदन किया ठेकेदारी प्रथा को जहां तक जल्दी हो सके समाप्त कर दिया जाये। लेकिन जब तक ठेकेदार मौजूद हैं तब तक क्यों न समय पर उसके बिलों की अदायगी की जाये? अगर आपने एक सिद्धांत को माना है तो क्यों नहीं आप उस पर पूरे तौर पर अमल करते हैं? क्यों आप दस दस साल तक उनके बिलों को लटकाये रखते हैं? इसका कोई अर्थ मालूम नहीं देता है।

आगे चल कर सी (२) में बताया गया है कि आलू की सप्लाई के बारे में एक कांट्रेक्ट दिया गया था और रेट फिक्स करने के लिये एक अधिकरण, एक ट्रिब्यूनल नियुक्त किया गया था। लेकिन उस ट्रिब्यूनल की सिफारिशों को न मान करके अधिक रेट पर कहीं और से आपने उसकी खरीद की गयी। इसका नतीजा यह हुआ कि वह पार्टी अदालत में गई और वहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला हुआ। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि अपील में जाना चाहिये। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि और रुपया बरबाद न किया जाये और अपील में न जाया जाये। सिद्धांततः यह बड़ी खराब बात है कि आप स्वयं ट्रिब्यूनल की नियुक्ति करें और उसके बाद उसके निर्णय को न मानें और जब आपके विरुद्ध फैसला हो जाये उसके बाद फिर अपील की सोचें यह किसी भी हालत में उचित नहीं जान पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इस पर भी पुनः विचार किया जाना आवश्यक है।

अब मैं डिमांड नम्बर ७२ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जब बनर्जी साहब भाषण कर रहे थे उस समय कुछ गर्मा गर्मी वाली बातें इस संबंध में कह दी गई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब माननीय जाधव जी भाषण कर रहे थे और वह एक ऐसे मुद्दे पर बोल रहे थे जोकि इस डिमांड के अन्दर नहीं आता था, तो आपने उन्हें रोक दिया था लेकिन अब श्री बनर्जी बोल रहे थे, तब चाहे वह तथ्य की बात हो चाहे कोई और, जब वह एक तरह से इसकी सीमाओं के अन्दर नहीं आती थी तो आपको, सभापति महोदय, यह व्यवस्था देनी चाहिये थी कि कोई भी सीमा के बाहर न जाये और देखना चाहिये था कि कोई भी सीमाओं का उल्लंघन न करे। तथ्य यह है कि जो भी शब्द कहे गये हैं, मैं उन्हें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं। एक ओर तो बनर्जी साहब की ओर से यह कहा जाता है कि हम आयोजना को सफल देखना चाहते हैं, उसके लिये अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं और दूसरी ओर अगर हमारे माननीय उपश्रम मंत्री ने किसी एक शब्द का प्रयोग कर दिया और हो सकता है कि वह स्लिप हो या उसमें वह सच्चाई से विश्वास करते हों, तो उस पर इतनी आपत्ति नहीं उठानी चाहिये थी। मैं उनकी वकालत नहीं करना चाहता लेकिन मैं अपने मित्र बनर्जी साहब से तथा दूसरे मित्रों से कहना चाहता हूं कि उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें केवल भाषण ही नहीं देने हैं, हमें केवल अपना शाब्दिक सहयोग ही प्रदान नहीं करना है या शाब्दिक सहानुभूति ही प्रकट नहीं करनी है बल्कि रचनात्मक रूप से सहयोग देना हमारा कर्त्तव्य है। इसी से ज्यादा लाभ की आशा की जा सकती है।

इसमें १ लाख ५० हजार रुपये की लागत से एक पैविलियन का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में मैं केवल दो एक बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि क्या हमने इस पर विचार किया है कि कोई ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो पैविलियन बन रहे हैं ये केवल सन् १९५८ की प्रदर्शनी के लिये ही न हों बल्कि प्रतिवर्ष जो प्रदर्शनियां आयोजित करने का विचार है, उनमें भी इनसे काम चल सके। अगर आगे भी इनसे काम चल सकता है तब तो मैं समझता हूं कि सारा सदन इससे सहमत होगा कि इस रुपये को खर्च कर दिया जाना चाहिये और इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि मुझे भी प्रदर्शनी में दो एक बार जाने का मौका मिला है। वहां मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां भी मैंने देखा चाहे वे प्रवेश द्वारा हों चाहे और जगहें अंग्रेजी के बोर्ड ही देखने को मिले। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से तथा गृह मंत्री जी से तथा उनके द्वारा उद्योग और व्यापार मंत्री से, जोकि इस समय यहां नहीं हैं, अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम अब तो वह स्टेज आ गई है कि जब हमको द्विभाषी होना पड़ेगा, इतने में तो समझौता करना होगा और इसमें प्रत्येक समझदार व्यक्ति सहमत भी होगा कि जहां पर कोई बोर्ड लटकाये जायें, वहां पर हिन्दी तथा अंग्रेजी समान रूप से चले। हर जगह पर हिन्दी तथा अंग्रेजी समान रूप से चलनी चाहिये। प्रवेश द्वारों पर तथा दूसरे रास्तों पर जितने भी साइन बोर्ड लगायें जायें हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में लगाये जाने चाहियें। मैं समझता हूं हमारा श्रम तथा नियोजन मंत्रालय इस संबंध में दूसरों के लिये आदर्श स्थापित करेगा। मुझे प्रसन्नता हुई कि हमारे रक्षा मंत्रालय का जो पैविलियन है उसमें हिन्दी का काफी प्रयोग किया गया था और जो कठिन शब्द थे उनको इंग्लिश में भी लिखा गया है और हिन्दी में भी उनका प्रयोग किया गया है। मैं आशा करता हूं आगे से सभी पैविलियनों पर हिन्दी का भी प्रयोग किया जायेगा।

तीसरी बात मुझे डिमांड नम्बर ११७ के बारे में कहनी है। यह डिमांड १७ करोड़ ५० लाख रुपये की है, १५ करोड़ की नहीं है। इसमें २ करोड़ ५० लाख रुपये जो कि पहले से ही बचत के रूप में हैं, उनकी पूर्ति होगी। अतः १५ करोड़ की अब मांग की जा रही है। यह रुपया राज्यों को सहायता के रूप में या उधार दिया जायेगा। किस आधार पर यह रुपया दिया जायेगा, यह मैं जानना चाहता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। जब भी यहां पर पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में वाद-विवाद होता है या किसी और विषय पर विचार होता है तो हमेशा ही कहा जाता है कि जो पिछड़े हुये इलाके हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की इच्छा के बावजूद भी जो पिछड़ते हुये इलाके हैं वे और पिछड़े जा रहे हैं और आगे बढ़े हुये इलाके हैं वे और भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के बारे में मेरे मित्र बनर्जी साहब ने कहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की स्थापना के लिये कोशिश की जाती रही है लेकिन देखा जाता है कि इनको वहां स्थापित न करके कभी दुर्गापुर में, कभी रांची में और कभी भोपाल में पहुंचा दिया जाता है। विशेषज्ञों की आज यह. . . .

एक माननीय सदस्य : हिन्दुस्तान में तो ये हैं।

श्री भक्त दर्शन : हिन्दुस्तान में तो हैं इससे कोई इन्कार नहीं करता है।

खैर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विशेषज्ञों के सामने हमारे मंत्री लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके सामने वे लाचार हो जाते हैं फिर चाहे वे विदेशी विशेषज्ञ हों और चाहे स्वदेशी। कोई भी

[श्री भक्त दर्शन]

सम्मत्ति वे दे दें हमारे मंत्रियों को मुदाखलत करने का साहस नहीं होता है। इस वास्ते मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, इस विषय पर भी प्रकाश डालें।

हमारे बनर्जी साहब ने यमुना जल विद्युत योजना का जिक्र किया है इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में लगभग तीन करोड़ रुपये की एक योजना पर्वतीय जिलों के विकास के लिये यहां पर केन्द्रीय सरकार को भेजी है। प्लानिंग कमीशन से जब सवाल किया गया तो उसकी ओर से बताया गया कि कोई प्रोपोज़ल्स नहीं आई ह। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हाल में यहां आये थे और मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने मुझे बताया कि २ करोड़ ९१ लाख रुपये की योजना भेजी गई है और सैद्धांतिक रूप से उसको मान भी लिया गया है। मैं चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री महोदय इस पर भी प्रकाश डाल सकें, तो डालने की कृपा करें।

†**श्री प्र० के० देव** : प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांग संख्या ९ के सिलसिले में मामले का सविस्तार अध्ययन करने पर यह कहना ही पड़ता है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का पुर्नगठन किया जाना चाहिए और मैं इस बात पर जोर देता हूं। इसके साथ ही मैं श्री दी० चं० शर्मा का इस मामले में समर्थन करता हूँ कि अफीम की खेती बिलकुल बन्द कर देनी चाहिए।

†**निर्माण, आवास तथा सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : मैं इसलिए हस्तक्षेप कर रहा हूँ क्योंकि प्रतिरक्षा मंत्रालय को किये गये सम्भरण के मामले में हमारे मंत्रालय का सम्बन्ध है। लकड़ी के व्यापारियों का हमारे प्रति व्यवहार अच्छा नहीं रहा। हो सकता है इसका कारण लकड़ी की कमी हो परन्तु हमारा अनुभव उनके बारे में अच्छा नहीं रहा। अब हम अपनी खरीद का ७५ प्रतिशत राज्यों के वन विभागों द्वारा कर रहे हैं और व्यापारियों से केवल १५ प्रतिशत की खरीद करते हैं। परन्तु इससे पूर्व स्थिति बिलकुल उलटी थी। पहले हम बर्मा के व्यापारियों से अपनी आवश्यकता की सामग्री खरीदा करते थे, परन्तु अब हम सब खरीद राज्यों के टिम्बर विभागों के द्वारा सीधा करते हैं। हमारा विचार है कि आगे इस प्रकार की बातें नहीं होंगी।

जिन अधिकारियों की भूल के कारण हम कई एक मामलों में असफल रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का जहां तक प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हम हजारों मामलों में से केवल ८ और ९ में ही हारे हैं। अतः सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कोई बात दिखाई नहीं देती। वास्तव में विधि मंत्रालय के परामर्श के अनुसार हमारा मामला वजनदार था, परन्तु मध्यस्थों ने अपने निर्णय में कहा कि ठेकेदारों को इतनी-इतनी राशि दे दी जाये। अतः हमारे लिए अदालत में जाना सम्भव न रहा। परन्तु अब सम्भरण करार में हमने मध्यस्थ निर्णय संबंधी खंड को बदल दिया है।

श्री भक्त दर्शन ने प्रधान मंत्री की टिप्पणी के बारे में जो कुछ कहा है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन ह कि प्रधान मंत्री ने इमारती काम ठेकेदारों को देने के बारे में कहा है। यह सम्भरण ोकों से भिन्न बात है। सम्भरण के सम्बन्ध में सीधे खरीद करना सम्भव नहीं। अतः हमें टेंडर मांगने पड़ते हैं। परन्तु कई बार टेंडर देने वालों का व्यवहार ठीक नहीं रहता और हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परन्तु ऐसी बातें तो सहन करनी ही पड़ती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: इस सम्बन्ध में मैं कुछ गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। मेरे सहयोगी महोदय ने ८, ९ मामलों का उल्लेख किया है। वास्तव में यह मामले १६ हैं जिनमें से ८ और ९ मामले सम्भरण के हैं।

मैं यहां बताना चाहता हूं कि १३, १४ करोड़ रुपये प्रत्यक वर्ष इमारतों पर खर्च होते हैं। उसमें हजारों ठेकेदारों को काम मिलता है। यदि उनमें से १६ ठेकेदार दोषी निकल भी आते हैं तो यह कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं।

मैं सिर्फ २, ३ मामलों का उल्लेख करना चाहता हूँ, मैं यह नहीं कहता कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। अनुभवों से हमने काफी शिक्षा प्राप्त की है। मैं शीलांग के ठेकेदार का मामला लेता हूं। १९५० में मूल ठेका आरम्भ हुआ और हमारा झगड़ा हो गया। ठेकेदार अपना काम समाप्त न कर सका और हमें अपने प्रयत्नों से काम समाप्त करना पड़ा। हमने ठेकेदार से लगभग ४७०० रुपये की मांग की। लेकिन ठेकेदार ने उल्टे हमसे ६७०० रुपये की मांग की। इसलिये हमें मध्यस्थ निर्णय के लिए जाना पड़ा। उन्होंने फैसला किया कि ठेकेदार को सिर्फ १०३२ रुपये दिये जाने चाहिएं। लेकिन वास्तव में इस ठेके में हमने ५०० रुपया बचाया। पहले तो पंचाट में कारण भी नहीं दिये जाते थे, केवल निर्णय हो जाता था। अब प्रत्येक मद पर पंचाट दिया जाया करेगा।

अब मैं एक परस्पर फेसले वाले मामले का उल्लेख करूंगा। यह ९५००० रुपये का मामला था। ठेकेदार का १,५९,००० पये का दावा था। इस के की बात स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व १९४६ में हुई थी। कई अधिकारी उसके बाद इंगलेण्ड चले गये। और उनकी गलतियों का उत्तर हमें देना पड़ रहा है। हमने मामलों को लम्बा न करके विधि मंत्रालय के परामर्श के अनुसार फैसला करना मान लिया और १,५९,००० रुपय के स्थान पर ९५,००० रुपये पर फैसला कर लिया।

हर मामल में हमारा ही दोष है, ऐसी बात नहीं है। यह ठीक है कि कई अवसरों पर ठेकेदारों ने ठीक काम नहीं किया। परन्तु बहुत से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। श्री भक्त दर्शन ने एक ठेकेदार द्वारा बनाये गये ओडीटोरियम की इमारत की बहुत प्रशंसा की है। उसका डिजाइन हमने बनाया था और इमारत ठेकेदार ने बनाई है। उसने ३५ दिन में काम समाप्त कर दिया। सारा काम हमारी इच्छा के अनुसार हुआ है और कोई झगड़े की बात नहीं है। परेशान करने वाले कुछ ही लोग होते हैं और जीवन के प्रत्येक अंग में ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। उनके आधार पर यह कह देना कि सारे ठेकेदार बुरे हैं, ठीक और उचित नहीं कहा जा सकता।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): माननीय सभापति जी, माननीय मेम्बर श्री भक्त दर्शन ने प्रदर्शनी में जो हमारा लेबर सेक्शन है उसका जिक्र करते हुए फरमाया कि अगर वहां हिन्दी होती तो अच्छा था। लेकिन शायद उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया ह कि इस पैविलियन में हर वह चीज जो इंग्लिश में लिखी गई है, साथ-साथ हिन्दी में भी लिखी गई है। जहां तक प्रदर्शनी की उपयुक्तता का सम्बन्ध है, उसके बारे में तो तमाम माननीय सदस्यों ने और श्री डी० सी० शर्मा साहब ने भी फरमाया कि वह बहुत अच्छी है, सब उसे पसन्द करते है, उपयोगी है, जरूरी है और मुल्क को भी उससे काफी फायदा हो रहा है क्योंकि दूसरे मुल्कों के भी तमाम लोग उसे देख रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं उन कुछ बातों के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं जिनको मेरे बहुत अच्छे दोस्त, सामने वालों ने कहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को कहा, जितनी नाराजगी से कहा, जिस परेशानी से कहा, उससे मालूम होता है कि कुछ सच्ची और जरूरी बातें मुल्क में की गई हैं, तभी वह ज्यादा नाराज हुए हैं। वह तो नाराज होंगे ही। जहां तक उनकी नाराजगी और हमारे अमल का ताल्लुक है, वह दो चीजें हैं——पूर्व और पश्चिम। कभी-कभी जब वह खुश हो जाते हैं तो मैं घबरा जाता हूं कि कहीं मैंने गलती तो नहीं की है। उसूल गलत, रास्ता गलत, तरीका गलत। इसी लिहाज से उन्होंने इन्दौर के बारे में तमाम चीजें कहीं हैं। हिन्दुस्तान की जनता का खुद को प्रतिनिधि कहते हैं, उसमें काम करते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन फिर भी उसकी जबान से अलग रहना चाहते हैं। ताज्जुब की बात है। खैर मेरी अर्ज यह थी कि इन ैर में मैंने जो कुछ कहा वह सब कुछ लिखा तो गया नहीं। जिस तरीके से पार्लियामेंट में जो बात कही जाती है उसको शब्द ब शब्द लिखा जाता है, उस तरह से पब्लिक मीटिंग में तो होता नहीं है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

वहां तो यह सवाल खड़ा हुआ, किसी ने कोई बात पूछी उसका जवाब मैंने दे दिया। उसमें केरल गवर्नमेंट के बारे में सवाल आया और वहां की टेक्स्टाइल मिल और इंदौर के वेतनों में सरखामिनी की गई, तो मैंने क ह दिया। उन्होंने पूछा कि वहां की टेक्स्टाइल मिल जो ह उसमें किसकी मालिकी है। मैंने कहा गवर्नमेंट की। उसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। और अगर सच्ची बात कहने में कोई गुनाह है तो ऐसा गुनाह मैं रोज करूंगा।

श्री भक्त दर्शन : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भाषण श्री बैनर्जी ने दिया था, जिसका जवाब मंत्री दे रहे हैं, चूंकि वह अंग्रेजी में था और जिनको वह सुनाना चाहते हैं वे उसको अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं, इसलिये अगर मंत्री जी अंग्रेजी में बोलें तो अच्छा हो।

†**सभापति महोदय** : वह जिस भाषा में चाहें बोल सकते हैं।

श्री आबिद अली : मेहरबानी। मैं यह अर्ज कर रहा था कि वह तो हैं ही नहीं, वह तो चले गये। बात यह है कि हमेशा ऐसे लोग मैदान छोड़ कर बहुत जल्दी भाग जाया करते हैं। तो यह तो एक मामूली चीज है। तो मैं यह अर्ज करता हूं कि मैं क्या करूं ? झूठ बोलूं, गलत बोलूं, बेईमान हो जाऊं। अगर मुझे यह लगता है कि कम्यूनिस्ट और कम्यूनिज्म एक खतरा हैं इस मुल्क के लिये तो मैं यह कहता रहूंगा, हमेशा कहूंगा, हर एक मजदूर को. . . .

†**श्री वासुदेवन नायर** (तिरुवल्ला) : माननीय मंत्री अंग्रेजी में बोलें तो ठीक रहेगा।

†**सभापति महोदय** : मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। यदि सभा के सदस्य उनसे प्रार्थना करते हैं तो यह उनके ऊपर है कि जिस भाषा में चाहें बोलें।

श्री आबिद अली : मैं अर्ज कर रहा था कि इतना हिन्दी में कह दूं फिर अंग्रेजी में बोलूंगा :

"गुजरी तेरी किश्ती हजार तूफान से,
हनूज हसरते तूफां नहीं तो कुछ भी नहीं।"

---

†मूल अंग्रेजी में

हम इन्कलाबी हैं, हम ने बहुत से तूफान देखे हैं और हमेशा तूफान देखते रहेंगे। हसरत हमारी यही है कि हमेशा तूफान का मुकाबला करते रहें, और उन में यह भी एक तूफान है।

(इस समय कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर जाते दिखाई दिये)

अब तो वे जा ही रहेहैं, अच्छा ही है। .हिन्दी और हिन्दुस्तानी हर चीज से, हर हिन्दुस्तान की चीज से यह हजरात घबराते हैं, उन को सब चीजें परदेशी ही पसन्द रहेंगी। तो मेरी अर्ज यह थी कि तूफान हमेशा रहना चाहिये, यानी इन्कलाब होना चाहिये और इन्कलाब का मुकाबला करना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा : लेकिन बहुत भी नहीं होना चाहिये।

श्री आबिद अली : कभी कभी ओवरडोज की जरूरत होती है।

तो मेरी अर्ज यह थी कि अगर इस मुल्क में हमारे मजदूर भाई पूरा सहयोग न दें तो हमारी प्लेन कामयाब नहीं हो सकती, यह हर एक जानता है। इसके लिये हम कोशिश करते हैं। यह बात भी सच है कि हमारे यहां के मजदूर कम्यूनिस्ट नहीं है। कहीं-कहीं के मजदूर कुछ वक्त के लिये गलत असर में चले जाते हैं। उन मजदूरों को उस गलत असर से बचाना एक जरूरी चीज है। जब-जब मौका आता है हम उसकी कोशिश करते हैं। अगर इस के अमल में मजदूरों को सच्ची बातें बताने के दौरान हमारे कुछ दोस्त नाराज हो जाते हैं तो उन की खुशी।

श्री दी० चं० शर्मा : मजदूरों को ही नहीं, हम को भी सच्ची बातें बतलानी चाहिये।

श्री आबिद अली : मेरी इन्दौर की स्पीच का जिक्र करते हुए मेरे मुकाबिल वालों ने कहा कि जो कोड आफ कांडक्ट बना है, मैंने उस के खिलाफ कहा है। मैं माफी मांगूगा यहां और बाहर, हर जगह, अगर मैंने कोड के किसी हिस्से की मुखालिफत की हो, या उसके खिलाफ कोई काम किया हो। मैं सुनने, समझने और माफी मांगने के लिये तैयार हूं।

अब यह कहना कि यह हजरात फाइव इअर प्लेन की कामयाबी चाहते हैं, इस तरह पर उन्होंने फरमाया और बहुत अच्छी तरह मैंने सुना, सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, लेकिन जब हम अमल को देखते हैं तो उस के खिलाफ लगता है, और इसी वजह से वह नाराज हैं कि वह जो कह जाते हैं, वादे कर जाते हैं और उस पर जिस तरह से अमल करते हैं, उसकी सरखामी होती है। बड़ा फर्क लगता है। इस फर्क को हम जब समझाने की कोशिश करते हैं, तो इस की वजह से अगर यह मेहरबान हजरात नाराज हो जायें तो मुझे उस की सजा देने की कोशिश न करें क्योंकि मैं गुनहगार नहीं हूं।

मेरे भाई ने जिक्र किया पैविलियन का, एग्जिविशन का, मोबाईल एग्जिविशन का। उन को पैविलियन में कोई एतराज नहीं, एग्जिविशन पर कोई एतराज नहीं, लेकिन चूंकि उन को उस के जरिये से इन्दौर पहुंचना था, इस लिये उन्होंने एग्जिविशन को मिलाने की कोशिश की और उस को अच्छी तरह से निभाया है। उस की मैं कदर करता हूं: लेकिन मुश्किल यह जरूर है कि :

"आप से तर्के मोहब्बत हमें मंजूर नहीं,
इस लिये कर्ज रखने का हमारे यहां दस्तूर नहीं"।

बात यही होती है कि सुन तो लेते हैं और सब्र भी कर लेते हैं, लेकिन जब कर्जे को अदा करने लगते हैं तो परेशानी हो जाया करती है, लेकिन कर्ज हम नहीं रखते क्योंकि तर्के मोहब्बत हमें मंजूर नहीं। हमारे दोस्त ने फरमाया कि मैं डिप्टी मिनिस्टर गवर्नमेंट आफ इंडिया का नहीं, बल्कि डिप्टी मिनिस्टर आई० एन० टी० यू० सी० का हूं। शान है, हम आई० एन० टी० यू० सी० में हमेशा रहने वाले हैं। हम कांग्रेस वाले हैं, हम आई० एन० टी० यू० सी० वाले हैं, हमें फख्र है, हम उस की इज्जत करते हैं क्योंकि वह हिन्दुस्तान के मजदूरों की खिदमत करती है। कांग्रेस ने हिन्दुस्तान को आजाद किया और आई० एन० टी० यू० सी० हिन्दुस्तान के लिये सब कुछ हासिल करेगी, जिस के लिये आजादी हासिल की गई है। इस लिये आई० एन० टी० यू० सी० बनी और इस लिये हम उस के बने हैं और हमेशा हम वहां रहने वाले हैं। अगर यह चीज हमारे माननीय सदस्यों को नाराज करती है, जैसाकि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, तो वह जरूर नाराज होंगें क्योंकि उन का रास्ता दूसरा, और आई० एन० टी० यू० सी० का रास्ता दूसरा, उनका रास्ता मजदूरों को तबाह करने वाला और हमारी आई० एन० टी० यू० सी० का रास्ता मजदूरों को बनाने का और उस की मारफत हिन्दुस्तान को बनाने का है। तो उन में और हम में काफी फर्क है और यह फर्क कहीं ला कर मिलाया नहीं जा सकता। इस लिये मैंने इस बात की जरा सफाई कर दी है ताकि आइन्दा कभी हमारे मेहरबान जो उस तरफ बैठा करते हैं इन मामलात को गलत तरीके से न समझें।

समझ लें कि दूध क्या है और पानी क्या है। नमक को दूध से अलग रखना पड़ता है नहीं तो वह दूध को खराब कर दे। नमक को दूध में नहीं डाला जा सकता क्योंकि उस हालत में वह दूध नहीं रहेगा। अगर नमक को दूध में डाला गया तो वह दूध नहीं रहेगा बल्कि कुछ और ही हो जायगा। इसलिए दूध को नमक से अलहिदा रखना पड़ता है।

मेरी उन माननीय सदस्य से यह गुजारिश है कि मुमकिन है कि आई० एन० टी० यू० सी० की वजह से, उसमें खिदमत करने की वजह से और उन वर्कर्स की ताकत की वजह से मुझे डिप्टी मिनिस्टर आफ लेबर बनाया गया है, तो मैं उनसे गद्दार तो नहीं हो सकता हूं, न सिर्फ उन मजदूरों से जो कि आई० एन० टी० यू० सी० में है बल्कि हिन्दुस्तान से तमाम अन्य मजदूरों से भी जोकि उसमें नहीं हैं और जिनका कि वह प्रतिनिधित्व नहीं करती, हालांकि आई० एन० टी० यू० सी० ही मजदूरों की वाहिद नुमायिन्दा जमात है और यही सबब है कि जब लेबर कान्फ्रेन्सेज और ट्राइपार्टाइज कान्फ्रेंसेज होती हैं और उनमें आई० एन० टी० यू० सी० जो चीज कहती है उसी का समर्थन इन ए० आई० टी० यू० सी० और हिन्द मजदूर सभा की तरफ से किया जाता है। अन्य मजदूर जमातों की ओर से वहां पर आई० एन० टी० यू० सी० का समर्थन किया जाता है लेकिन बाहर आकर यह पार्टियां उसकी मुखालफत किया करती हैं। उन कान्फ्रेंसेज में जिनमें यह जमातें बैठती हैं, वहां पर तो आंख की शर्म उन्हें इस बात के लिए मजबूर करती है कि यह आई० एन० टी० यू० सी० जो चीज कहती है उसका वे वहां समर्थन करें। हमारे दोस्त जो ए० आई० टी० यू० सी० और हिन्द मजदूर सभा की तरफ से जाते हैं हालांकि वे वहां पर तो समर्थन करते हैं लेकिन बाहर वे ही लोग पार्टी पालिटिक्स में पड़ कर और मजदूरों का शोषण करने के लिए और लूट खसोट करने के लिए जब वह जौक के फंदे में फंस जाते हैं तब वे आई० एन० टी० यू० सी० को गालियां दिया करते हैं।

सभापति महोदय, यह जो कुछ मैंने अर्ज़ किया, उसका उस डिमांड से जोकि हाउस के सामने है, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं था, न उसकी उस स्पीच से ताल्लुक था और न ही मेरी इस स्पीच से ताल्लुक है, बात तो यह सच है। लेकिन मैं तो उसी बात का जवाब दे रहा था जिसको कि आपके पहले जो सभापति महोदय कुर्सी पर विराजमान थे और जिन्होंने कि उन माननीय सदस्य को वह सब कहने की इज़ाजत दी। इसलिए मुझे मौका मिल गया कि थोड़ी और सफाई कर दूं। मुमकिन है कि वह थोड़ा नाराज़ हो गये हों लेकिन मुझे उनको जवाब देना पड़ा, मजबूरी थी।

†**श्री बे० गोपाल रेड्डी** : वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित दो मांगें हैं। अफीम और ऋण सम्बन्धी। दोनों विषयों पर चर्चा हो चुकी है। मैं इन्हीं दोनों मामलों पर कुछ शब्द कहूंगा।

यह सच नहीं है कि हम अफीम देश में उपयोग के लिये रखना चाहते हैं। हमने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था और तदनुसार १९४९ से प्रतिवर्ष हम १० प्रतिशत की कटौती कर रहे हैं। १९५९ तक अफीम का उपभोग केवल उन लोगों को छोड़ कर जिन्हें डाक्टरी प्रमाण पत्र के अधीन अफीम दी जाती है, अफीम का उपभोग बिल्कुल बन्द हो जायेगा। इसलिये देश में उपभोग के लिये अफीम रखने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। वस्तुतः अफीम का क्षारों तथा अन्य औषधियों में उपभोग किया जाता है। दूसरे देशो में अफीम की मांग है और हम अधिक से अधिक अफीम प्राप्त कर औषधियों के प्रयोजन के लिये उसका निर्यात करना चाहते हैं। १९५०-५१ में हमने २०४ टन का निर्यात किया था १९५५-५६ में यह बढ़ कर ४११ टन हो गया। हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें इसका मूल्य अधिक मिले। १९५६ में हमें एक यूनिट मारफीन के लिये १.२६ डालर मिलता था, जब इसकी कीमत बढ़ कर १.४५ डालर हो गई है। हमें अफीम के निर्यात से ३.३ करोड़ रुपये की आय है। चालू वर्ष में अफीम के लिये २.४२ करोड़ रुपये मंजूर हुए। अब हम २८ लाख रुपये की अनुपूरक मांग रख रहे हैं। यह राशि सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली राशि है। कानून के अधीन किसान इसे सरकार के अलावा और किसी को नहीं बेच सकते हैं। जब उन्होंने अधिक अफीम दी है तो हमें सभी खरीदना आवश्यक है। पिछले साल वह प्रति बीघा ६ पौंड के हिसाब से दे रहे थे। लेकिन अच्छी फसल होने के कारण उन्होंने इस वर्ष लगभग ७ पौंड प्रति बीघा के हिसाब से दी है। चोरी छिपे माल ले जाने के कार्यों में रोक लगाने से भी वह अधिक अफीम देने में समर्थ हो गये हैं। अतः दूसरे देशों को निर्यात करने के लिये हमें अधिक अफीम खरीदनी पड़ी।

श्री भक्त दर्शन : यह हमारे देश की जो अफीम है उसको कौन से देश के लोग ज्यादा पसन्द करते हैं। और वह कहां जाती है?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मेरे विचार से यह यूरोपीय देशों को जाती है। यह अफीम खाने के लिये नहीं अपितु औषधियों के प्रयोजन के लिये भेजी जाती है। मूल विधेयक में माननीय सदस्यों ने हमें २.४२ करोड़ मंजूर किये हैं आशा है कि वे इस प्रयोजन के लिये २८ करोड़ और देने में आनाकानी नहीं करेंगे।

अब मैं राज्यों को दी जाने वाली सहायता के प्रश्न पर आता हूं। यह धारणा पैदा हो गई है कि केन्द्र कुछ राज्यों के प्रति अन्य राज्यों से अधिक पक्षपात करता है। तथा

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

सभी राज्यों से समान बर्ताव नहीं करता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से विस्तृत परामर्श करने का काम योजना आयोग करता है। प्रतिवर्ष राज्यों के वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री दिल्ली आते हैं और प्रत्येक राज्य सरकार से विस्तृत चर्चा करने के उपरान्त अनुदान तथा ऋण के रूप में योजना व्यय को पूरा करने के लिये कुछ राशि निश्चित की जाती है। योजना के अतिरिक्त व्यय के लिये भी कुछ राशि दी जाती है। पिछली बार पंजाब के एक सदस्य ने यह शिकायत की थी कि पंजाब के साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में श्री स० म० बनर्जी ने यही प्रश्न उठाया है। मेरे पास विभिन्न राज्यों को ऋण और अनुदान के रूप में दी गई राशि के आंकड़े हैं। इसमें वे आंकड़े शामिल नहीं हैं जो अध्यापकों के भत्ते और मंहगाई भत्ते के रूप में दी गई हैं। मैं पंजाब और उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को पढ़ता हूं। उत्तर प्रदेश को ऋण सहायता २०.८ करोड़, अनुदान सहायता १०.५७ करोड़ दी गई है। इस प्रकार १९५८–५९ में कुल ३०.६५ करोड़ की सहायता दी गई। पंजाब को १४.४८ करोड़ के ऋण और ४.५३ करोड़ के अनुदान की सहायता दी गई। इस प्रकार कुल १९.२१ करोड़ रुपये की सहायता दी गई। संभव है अन्य राज्य सरकारें भी यह अनुभव कर रही हों कि उन्हें पूरी सहायता नहीं मिल रही है। इस सम्बन्ध में केन्द्र की अपनी कठिनाइयां हैं। अपने सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद भी हमें घाटे की अर्थव्यवस्था अपनानी पड़ती है। पिछले वर्ष हमारी घाटे की अर्थव्यवस्था ४९५ करोड़ की थी। इस वर्ष भी २५० से ३०० करोड़ के लगभग घाटे की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। इस प्रकार सदैव घाटे की अर्थ-व्यवस्था कर राज्यों को सहायता देते रहना ठीक नहीं है। योजना आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य सरकारों को करारोपण या छंटनी इत्यादि कर अपने लिये संसाधन स्वयं जुटाने चाहियें। यद्यपि कुछ राज्यों ने अपने वचन का पालन किया है तथापि कुछ राज्य अपने वचन का पालन नहीं कर सके हैं। इस समय हम इस मामले में विस्तृत चर्चा करने में असमर्थ हैं तथापि यह कहना गलत है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ विरोधी व्यवहार किया जा रहा है। यदि भाखड़ा नंगल परियोजना का अखिल भारतीय महत्व है तो सभी परियोजनाओं का अखिल भारतीय महत्व है। कोई भी परियोजना चाहे वह निवेली परियोजना हो या कोई औद्योगिक परियोजना, वे किसी विशेष राज्य की नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत की हैं। वे हमारे भारत की सम्पत्ति हैं जिन पर हमारा देश गर्व कर सकता है। हम पंजाब, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी या पूर्वी राज्यों के प्रति कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं। यथासम्भव हम उनकी सहायता करने का प्रयत्न करते हैं।

श्री भक्त दर्शन : १७ करोड़ ५० लाख रुपये का श्रीमान जी क्या ब्रेक अप बता सकते हैं?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** राज्य सरकारें उक्त १७ करोड़ रुपये व्यय कर चुकी हैं। चालू वर्ष में उसकी पूर्ति की जा रही है। यह व्यय बजट बनने के बाद किया गया है। और दिये गई वचनों के अनुसार यह राशि चुकाई जा रही है। इस लिये यह राशि इस वर्ष की नहीं है। केन्द्र उत्तर प्रदेश या पंजाब का विरोधी नहीं। न यह ही तथ्य है कि उत्तरी राज्यों को दक्षिणी राज्यों से अधिक दिया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभापति महोदय द्वारा निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
३१	अफ़ीम	२८,०५,०००
५९	दिल्ली	१,९५,००,०००
७२	श्रम और रोजगार मंत्रालय	१,५०,०००

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक

†**सभापति महोदय :** अब हम दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक पर अग्रेतर चर्चा प्रारम्भ करेंगे। श्री वाजपेयी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति महोदय, मकान किरायों पर नियंत्रण करने के लिय जो यह विधेयक लाया गया है, मुख्यतः उसके दो उद्देश्य हैं। एक तो स्टेन्डर्ड रेंट तय करना और दूसरे किरायेदारों की बेदखली रोकना। मुझे यह देखकर खेद हुआ है कि इस विधेयक के अन्तर्गत किरायेदारों की बेदखली के सम्बन्ध में जो भी धाराएं रक्खी गई हैं, वे पुराने कानूनों से कुछ अधिक हैं और व्यापक हैं। सबसे बड़ी बात जिसकी कि ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह है कि इस विधेयक की ५५वीं धारा अर्थात् क्लाज ५५ में, ऐसे किरायेदारों को जो कि दिल्ली टेनेन्ट्स टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन ऐक्ट १९५६ के अन्तर्गत आते हैं, उनको अधिकार दिया गया है कि अगर वे पहले बेदखल कर दिये गये हों और उनके खिलाफ डिग्री हो गई हो तो उनकी डिग्री के मामले को दिल्ली टेनेन्ट्स टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन ऐक्ट १९५६ के अन्तर्गत फिर से रिओपेन किया जा सकेगा। अब ऐसे हजारों किरायेदार हैं जिन्हें किराया न देने के अपराध में अथवा कुछ छोटे मोटे अन्य कारणों से जिनके खिलाफ डिग्री हो गई थी, लेकिन बाद में कुछ आपस में कम्प्रोमाइज़ हो गई और वह नियमित रूप से किराया देने लगे, वे उन्हीं मकानों में अभी तक बने हैं, लेकिन अगर यह कानून पास हो गया और उसमें इस तरीके का संशोधन नहीं किया गया कि दिल्ली अजमेर रेंट कंट्रोल ऐक्ट १९५२ के अन्तर्गत जिन किरायेदारों के खिलाफ डिग्री हुई हो, उन्हें बेदखल न किया जाय, तो मैं समझता हूं कि यह उन किरायेदारों के साथ बड़ा अन्याय होगा। ५५वीं धारा में इस तरह की छूट दी गई है मगर वह छूट केवल दिल्ली टेनेन्ट्स टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन ऐक्ट १९५६ के अधीन जो बेदखल किये गये हैं, उन्हीं को दी गई है। मेरा निवेदन यह है कि इस छूट को बढ़ाना चाहिए और दिल्ली अजमेर रेंट कंट्रोल ऐक्ट १९५२ के अन्तर्गत जिन किरायेदारों के खिलाफ बेदखली की डिगरियां हुई हैं मगर जो किरायेदार अभी तक बेदखल नहीं किये गये, एविक्ट नहीं किये गये और जो नियमित रूप से किराया दे रहे हैं, उनको बेदखल नहीं करना चाहिए। इस सम्बन्ध में सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने एक संशोधन उपस्थित किया है और मैं समझता हूं कि सरकार उस संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

यदि यह सम्भव न हो कि उनकी बेदखली या उनकी जो डिग्री हुई है, उसको रोक दिया जाय, उनकी बेदखली खत्म कर दी जाय तो मेरा निवेदन है कि ५५वीं धारा के अन्तर्गत जो उस डिग्री को रिओपेन करने की सुविधा दी गई है, वही सुविधा दिल्ली अजमेर रेंट कंट्रोल ऐक्ट १९५२ के अन्तर्गत पड़ने वाले मामलों पर भी लागू होनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वाजपेयी]

बेदखली के सम्बन्ध में और भी धाराएं हैं। जैसे यदि कोई किरायेदार ६ महीने तक अपना मकान खाली रक्खे तो उस को बेदखल किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि किसी किरायेदार को बेदखल करने की सबसे बड़ी कसौटी यह होनी चाहिये कि वह समय पर किराया देता है या नहीं। अगर कोई किरायेदार किसी विशेष कारण से, उदाहरण के लिए वह जेल में हो, या अस्पताल में हो, ६ महीने तक मकान उसको खाली रखने के लिए बाध्य होना पड़ता है किन्तु वह किराया नियमित रूप से देता जाता है तो मैं समझता हूं कि उसको मकान से निकाला नहीं जाना चाहिए। ६ महीने की यह अवधि मेरी समझ में कम है और इसको बढ़ाने पर विचार किया जाय।

१४वीं धारा के सब सेक्शन (ई) में जिसके कि सम्बन्ध में पहले भी काफी विवाद होता रहा है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि अगर मकान मालिक अपने रहने के लिए या अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य के रहने के लिए जो उस पर निर्भर करता है, अगर उसे अधिक मकान की जरूरत हो, तो वह मकान को खाली करा सकता है यदि उसे और कोई स्थान रहने के लिए नहीं मिलता।

मेरा निवेदन यह है कि इसमें जो शब्दावली रखी गयी है उसमें पुराने कानूनों के अन्तर्गत भी बहुत विवाद हुआ करता था, और जो आंकड़े मकान मालिको और किरायेदारों ने प्रवर समिति के सामने रखे हैं उनमें भी यह प्रकट होता है कि मकान मालिक और किरायेदार में अगर किसी बात पर सबसे अधिक झगड़ा होता है जोकि अदालत तक जाता है तो वह यही है कि मकान मालिक को बोनाफाइडी परपज़ के लिए अपने मकान की आवश्यकता है। अब इस विधेयक के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि मकान मालिक अपने लिए या अपने परिवार के लिए मकान खाली करा सकता है अगर खुद उसको रहने की जरूरत है। अब सवाल यह होता है कि किराये दार जो मकान मालिक को जानता नहीं, जो उसके परिवार के सदस्यों से परिचित नहीं, उसके ऊपर यह भार डाला जाता है कि वह इस सम्बन्ध में आपत्ति खड़ी करे। मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। १९४७ के कानून के अन्तर्गत मकान मालिक से यह पूछा जाता था कि उसको अधिक जगह क्यों चाहिए या जब उसको अधिक जगह की जरूरत थी तो उसने मकान किराये पर क्यों दिया। अब अगर किसी के परिवार के सदस्य बढ़ते हैं, मकान मालिक के परिवार के सदस्य बढ़ते हैं, तो यह मकान मालिक के लिए तो बड़ी प्रसन्नता की बात हो सकती है, मगर किरायेदार के लिए दुःख की, कष्ट की बात नहीं होनी चाहिये। और यदि परिवार के सदस्य बढ़ते हैं तो उनके लिए मकान मालिक अलग स्थान प्राप्त करे जैसे कि किरायेदार को करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि किरायेदार के परिवार के सदस्य बढ़ जाये तो क्या मकान मालिक उसको और जगह देगा। वह जगह नहीं देगा। लेकिन क्योंकि उसका मकान है और वह अपने परिवार के सदस्यों की संख्या अनाप शनाप बढ़ाता जा रहा है, सरकार के इस प्रचार के बाजवजूद कि परिवार नियोजन होना चाहिए, तो उसकी मुसीबत किरायेदार को क्यों झेलनी पड़े। मेरा निवेदन यह है कि इसमें सारा बोझ किरायेदार के ऊपर डाला गया है। इसकी शब्दावली में "रीज़नेबल सूटेबिल एकोमोंडेशन" शब्द आये हैं इसकी व्याख्या अनेक झगड़ों को जन्म देगी सवाल यह है कि मकानों को कमी है। तो तंगी में रहने के लिए मकान मालिक के जो परिवार के अधिक सदस्य हैं उनको भी तैयार रहना चाहिए। मगर दिखायी ऐसा देता है कि परिवार के सदस्य मकान मालिक के बढ़ेंगे और उनको उनकी इच्छा के अनुसार

"रीजनेबली सूटेबिल एकोमोडेशन" उपलब्ध नहीं होगी, और उसका परिणाम किरायेदार को भुगतना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि इस धारा के इस उपबन्ध के सम्बन्ध में भी सरकार को फिर से विचार करना चाहिए।

इस बारे में जिस बात की ओर सरकार का ध्यान मकान मालिकों और किरायेदारों ने भी आकृष्ट किया और जिसके सम्बन्ध में इस विधेयक में कोई पक्की व्यवस्था नहीं की गयी है, वह यह है कि मकान मालिक किरायेदार से अपना मकान खाली कराने के लिए झूठमूठ अपना मकान बेच देते हैं। बेचते नहीं हैं मगर कानूनी तौर पर ऐसा दिखायी देता है कि उन्होंने मकान बेच दिया और जिसको मकान बेचा जाता है वह उस मकान को खाली कराता है, और फिर वह उस मकान को दूसरे किरायेदार को देता है। जो इवीडेंस सिलेक्ट कमेटी के सामने रखी गयी उसमें एक ऐसा भी उदाहरण था कि एक मकान मालिक ने एक ही दिन अपना मकान, जिसका किराया पहले ४५ रुपया था उसको बेच दिया और बाद में जिसको बेचा उसने मकान मालिक के यहां उसको मारगेज कर दिया और किराया ५५ रुपया हो गया। ऐसा उदाहरण एवीडेंस के दूसरे पेज पर दिखायी देता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार की फिक्टीशस सेल्स को रोकने के लिए इस विधेयक में क्या व्यवस्था की गयी है। किरायेदारों को उजाड़ने के लिए, जिन किरायेदारों को मकान मालिक नहीं चाहता उन्हें बेघरबार करने के लिए इस तरह झूठमूठ मकान बेचे जायेंगे और इसका दुष्परिणाम किरायेदार को भुगतना पड़ेगा। इस बारे में इस विधेयक में उपयुक्त संशोधन की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

इस विधेयक के अन्तर्गत अगर कोई मकान मालिक किरायेदार की बिजली या पानी या जीवन की जो अन्य आवश्यकतायें हैं उनको बन्द कर दे या काट दे तो उसको दंड का भागी बनाया गया है, मगर वह दंड इतना नाम का है कि उससे किरायेदार की रक्षा हो सकेगी इसके सम्बन्ध में मुझे आशंका है। और जो किरायेदार हथकंडे अपनाते हैं उनका इसमें विचार नहीं किया गया है। उस सम्बन्ध में जो धारा में भाषा है उसके मुताबिक किरायेदार स्वयं या किसी के द्वारा अगर बिजली कटाये या नल का पानी बन्द कराये, तो वह दंड का भागी होता है लेकिन अगर वह समय पर किराया जमा न करे बिजली का या पानी का और किरायेदार का पानी बन्द हो जाये या बिजली कट जाये तो वह तो इस धारा की जो भाषा है उसके अन्तर्गत नहीं आता। अगर चार पांच किरायेदार हैं और उनमें एक किरायेदार बिजली का बिल नहीं चुकाता तो उसके कारण बाकी के चार किरायेदारों की बिजली भी कट सकती है। यद्यपि इस सम्बन्ध में भी कुछ सुधार किया गया है मगर मैं समझता हूं यह पर्याप्त नहीं है। और यदि पानी और बिजली बन्द कर दिये जायें जो ज्यादा से ज्यादा ५० रुपया जुरमाना रखा गया है जो कि बहुत थोड़ा है। प्रवर समिति के सामने यह कहा गया था और मैं इसको दुहराना चाहता हूं कि अगर मकान मालिक अकारण किरायेदार की बिजली या पानी बन्द करे तो यह कागनिजेबिल आफेंस होना चाहिए। पानी बन्द करना यह तो बड़ा अपराध है। जल तो जीवन है और अगर जीवन को कोई बन्द करना चाहता है तो वह कठोर दंड का भागी होना चाहिए, और वह दंड ५० रुपया जुरमाना इस विधेयक में रखा गया है। इस अपराध को पुलिस के हस्तक्षेप के योग्य बनाना चाहिये, और इस सम्बन्ध में प्रवर समिति के सामने कहा भी गया था लेकिन दुर्भाग्य से उसने इसे स्वीकार नहीं किया और मुझे लगता है कि हमारी सारी सदिच्छाओं के बावजूद कि किरायेदारों की बिजली बन्द न कर दी जाये और वे अंधेरे में न रहें, उनका पानी बन्द न हो, उनका नलका बन्द न हो, मकान मालिक जब चाहें उनको परेशान न कर सकें, यह

विधेयक किरायेदारों के अधिकारों को जो संरक्षण देने के लिए लाया गया है वह संरक्षण यह नहीं दे सकेगा, और इसमें यह सफल नहीं होगा।

एक बात मैं मकान मालिक की तरफ से भी कहना चाहता हूं।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली, रक्षित अनुसूचित जातियां) : क्या मैं माननीय सदस्य से एक सवाल पूछ सकता हूं। उन्होंने अभी कहा कि एक मकान में पांच किरायेदार रहते हैं और उनमें से दो अगर बिजली का बिल पे करने को तैयार नहीं हैं और तीन रुपया देने को तैयार हैं तो उस दशा में तो म्युनिसिपल कारपोरेशन कनेक्शन को काटेगा। मकान मालिक इसमें कहां आता है। इसके लिए आप किस व्यवस्था का सुझाव देते हैं।

श्री वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि व्यवस्था यह होनी चाहिए कि अगर एक किरायेदार नहीं देता तो दूसरे को उसकी सजा न मिले। इसकी कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गयी है। इस बारे में मैंने संशोधन दिया है। माननीय सदस्य संशोधनों की सूची पढ़ कर देख सकते हैं।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पुराने कानून में न्यूसेंस के लिए एक धारा थी। अगर कोई किरायेदार न्यूसेंस पैदा करे, केवल मकान मालिक ही नहीं तो उसके लिए प्रावीजन था। बहुत से किरायेदार किसी मकान में रहते हों, तो हो सकता है कि एक किरायेदार औरों के लिए न्यूसेंस हो जाये, वह शोरगुल करे, या ऐसी हरकतें करे जो औरों के लिए आपत्तिजनक हों तो उसको बेदखल किया जा सकता था।

एक माननीय सदस्य : और अगर मकान मालिक करे।

श्री वाजपेयी : मकान मालिक करे तो उसके लिए भी कानून है।

यह जो न्यूसेंस की बात है यह केवल मकान मालिक और किरायेदार इन दोनों के बीच की बात नहीं है। अगर कोई किरायेदार न्यूसेंस पैदा करता है तो वह और किरायेदारों के लिए भी संकट का कारण हो सकता है। इसलिए किरायेदारों के अधिकारों पर कोई छापा मारा जायेगा इस दृष्टि से इस सवाल की ओर नहीं देखना चाहिए। लेकिन इस विधेयक में वह न्यूसेंस वाली धारा निकाल दी गयी है।

अब हम दिल्ली में धीरे धीरे प्राहिविशन करने जा रहे हैं। वह कितना सफल होता है यह सवाल अलग है, और मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। हमारी सरकार धीरे धीरे नशाबन्दी की तरफ कदम बढ़ा रही है। और हमने तो सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रेफिक इन विमन भी यहां पर लागू किया है। अब इस कारण से यह आवश्यकता होती है कि इससे सम्बन्धित धारा का विधेयक में समावेश किया जाए। यदि यह कहा जाए कि अगर न्युसेंस की धारा लाई गई तो यह किरायेदारों के खिलाफ होगा क्योंकि मालिक मकान न्यूसेंस की बिना पर किरायेदारों को निकाल देंगे तो मेरा निवेदन है कि १९५२ से लेकर १९५७ तक जितनी बेदखलियों के केस हुए हैं अगर आप उनके आंकडों पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि कुल मिलाकर १९,७१४ केस दायर किये गये बेदखलियों के लिए और उनमें से किराया अदा न करने के ७,८११ मामले थे, सब-लैटिंग के ४,२३३ बोनाफाइड परसनल रिक्वायरमेंट के लिए, जो मालिक मकान अपने काम के लिए मकान खाली कराना

चाहते थे, उनकी संख्या ४,२७८ थी और दूसरे आधारों पर जो दावे दायर किये गये थे वे सिर्फ ३,३९२ थे और उनमें जो न्यूसेंस के लिए मकान मालिकों ने किरायेदारों के खिलाफ दावे दायर किये उनकी संख्या केवल २०० थी, दो सौ। यह १९५२ से लेकर १९५७ तक के आंकड़ों का हिसाब है।

मेरा निवेदन यह है कि इस न्यूसेंस की धारा का इसमें समावेश किया जाना चाहिये। यह आशंका ठीक नहीं है कि अगर इसका समावेश किया गया.....

श्री च० कृ० नायर (बाह्य दिल्ली) : ये जो आंकड़े आपने पेश किये हैं, ये कहां से लिये गये हैं ?

श्री वाजपेयी : यह नम्बर वही है जो कि प्रवर समिति के सामने आया था और जिस को टेनेंट्स एसोसिएशन नें चेलेंज नहीं किया। इसलिए मेरे सामने वही आंकड़ा है और वही मैंने सदन के सामने रख दिया है।

अब एक बात जो कि इवैक्वी प्रापर्टी (निष्क्रांत सम्पत्ति) से ताल्लुक रखती है, मैं कहना चाहता हूं। बहुत से मकान जो रिहैबिलिटेशन मिनिस्टरी ने सी०पी०डब्ल्यू०डी० से बनवाये और बाद में जिन्हें किराये पर दिया और फिर बेच दिया गया क्लेम्स के अगेंस्ट और वे मालिक मकानों को मिल गये उनमें भी बहुत से किरायेदार रहते हैं। किन्तु इस विधेयक के अन्तर्गत उन सारे मकानों को जो कि एक विशेष समय की सीमा के अन्तर्गत बने थे, स्टेंडर्ड रेंट लागू करने के नियम से मुक्त कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह जो उन मकानों में रहने वाले किरायेदार हैं उनके प्रति ठीक व्यवहार नहीं होगा। मकान किसी ने बनाये हों, भले ही उनका निर्माण करने वाली रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री हो लेकिन आज वे व्यक्तिगत मालिकों के कब्जे में हैं, उनमें किरायेदार रहते हैं और कोई कारण नहीं है कि उन मकानों पर स्टैंडर्ड रेंट लागू न किया जाए और किरायेदारों को मकान मालिकों की इच्छा पर छोड़ दिया जाए।

आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं यह है कि इस विधेयक के अन्तर्गत जो कंट्रोलर्स नियुक्त किये जा रहे हैं वे एग्जेक्टिव के द्वारा किये जायेंगे। पुराने विधेयक में यह व्यवस्था थी कि रेंट कंट्रोलर्स (किराया नियंत्रक) ज्यूडिशयरी (न्यायपालिका) के अधीन थे और उसी में से उनको लिया जाता था। इस विधेयक में उसको एग्जेक्टिव (कार्यपालिका) के अन्तर्गत कर दिया गया है। ज्यूडिशरी का अर्थ है सरकार और लोकतंत्र में पार्टी की सरकार जो प्रभावों से चलेगी जो जनता के दवाब से परिचालित होगी। यह शर्त तो लगाई गई है कि उनको कुछ समय तक न्यायदान का अनुभव होना चाहिये या उसको एडवोकेट होना चाहिए, प्लीडर होना चाहिये। मगर मैं समझता हूं कि कंट्रोलर्स की नियुक्ति और उनके दायित्व सीधे हाई कोर्ट के प्रति होने चाहियें, सैंट्रल गवर्नमेंट के प्रति नहीं। विधेयक में इस तरह के सुधार की भी बहुत गुंजाइश है।

इसके साथ ही एक बात जो मैं कहूंगा कि मकान मालिक जहां बहुत से कारणों से मकान नहीं देते और जिन का शायद इस बिल को बनाते समय विचार नहीं किया गया और न ही प्रवर समिति ने किया है, यह है कि जो गैर शादी शुदा लोग हैं उनको मकान मिलना बहुत मुश्किल है और उनको मकान इसलिए नहीं दिया जाता है कि उनकी शादी नहीं हुई है और शादी उनकी इसलिए नहीं होती है कि उनकी तनख्वाह कम है। यह एक विशेष

सा सर्किल चल रहा है। म निवेदन करूंगा कि जो बैचलर्स हैं उनका भी कुछ ख्याल किया जाना चाहिये और अगर बैचलर्स कालोनी बनाई जाए जिस में एक ही कमरे के मकान हों....

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : विडोअर्स कालोनी भी बननी चाहिये।

श्री वाजपेयी : विडोअर्स (विधुरों) का नम्बर बाद में आयेगा, पहले बैचलर्स के लिए मकान तो बनें, उनको मकान तो मिलें।

श्री नारायणन कुट्टि मेनन (मुकन्दपुरम) : शर्मा को इसका क्या पता है?

श्री वाजपेयी : मैं चाहता हूं कि सरकार स्वयं मकान बनाने की एक बड़ी योजना अपने हाथ में ले जिसमें कि छोटी आमदनी के लोगों के लिए मकान बनें। यह मेरा निवेदन है।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

†**श्री बर्मन** (कूचबिहार–रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति

तैंतीसवां प्रतिवेदन

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम––रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का तैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२३२१—४३
	तारांकित प्रश्न संख्या	
९३४	सीमा शुल्क प्रक्रिया तथा संगठन समिति . . .	२३२१–२२
९३५	परिनियम विधि पुनरीक्षण पर विधि आयोग की रिपोर्ट	२३२२—२४
९३६	संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवालयों की प्रशासन व्यवस्था	२३२४–२५
९३८	नया बिलासपुर नगर	२३२५–२६
९३९	कानपुर के आयुध कारखाने में इस्पात की बर्बादी	२३२६–२७
९४०	विज्ञान मन्दिर . . .	२३२७—२९
९४२	उच्चतर शिक्षा की ग्राम्य संस्थायें . . .	२३२९—३१
९४३	उड़ीसा में विज्ञान मन्दिर . . .	२३३१—३३
९४४	छावनी अधिनियम, १९२४ में संशोधन . . .	२३३३–३४
९४५	रूरकेला में क्रय संगठन . . .	२३३४—३७
९४६	दिल्ली में जल संभरण . .	२३३७–३८
९४७	नित्रेली तापीय बिजली घर	२३३८—४०
९५०	भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड . . .	२३४०—४३
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२३४३—२४०४
	तारांकित प्रश्न संख्या	
९३७	पदाधिकारियों का केन्द्रीय प्रशासनिक संग्रह	२३४३
९४१	कोयले का उत्पादन	२३४३
९४८	भारत में तेल की खोज	२३४३–४४
९४९	येम्मिगनूर में तेल के निक्षेप . . .	२३४४
९५१	तस्कर व्यापार . . .	२३४४
९५२	प्रादेशिक गवेषणा प्रयोगशाला, हैदराबाद . .	२३४४–४५
९५३	मनीपुर के आदिम जाति क्षेत्र	२३४५
९५४	पंजाब का क्षेत्रीय फार्मूला	२३४५
९५५	निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा .	२३४५–४६

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
	तारांकित	
	प्रश्न संख्या	
६५६	चुनाव चिह्नों का नियत किया जाना . . .	२३४६
६५७	बम्बई राज्य को अनुदान .	२३४६
६५८	दिल्ली के स्कूल	२३४७
६५६	सैनिक अफसरों के वेतन-क्रम	२३४७
६६०	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आदर्श गांव	२३४७
६६१	टैक्नीकल शिक्षा के लिये अखिल भारतीय परिषद् . .	२३४८
६६२	विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियम का उल्लंघन . .	२३४८
६६३	मैसूर में अनुसूचित जातियों की सूची . . .	२३४८
६६४	भारतीय विदेश सेवा	२३४६
६६५	पंजाब में ग्राम्य संस्था	२३४६
६६६	विदेशियों की नियुक्तियां . . .	२३४६
६६७	जामनगर के निकट विमान दुर्घटना . . .	२३४६–५०
६६८	ऋण सूचना ब्यूरो	२३५०
६६६	चाय की फसल पर सहकारी बैंकों की पेशगियां . .	२३५०
६७०	प्रत्यक्ष कर व्यवस्था जांच समिति . . .	२३५०–५१
६७१	विधि मंत्रालय का पुनर्गठन . . .	२३५१
६७२	विदेशों में शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां . . .	२३५१
६७३	शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन . . .	२३५२
६७४	पहाड़ी प्रदेशों में पवन शक्ति का प्रयोग . . .	२३५२
६७५	केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था, नागपुर	२३५२–५३
६७६	वृक्षों और छतों के गिरने की आकस्मिक घटना .	२३५३
६७७	जामिया मिलिया और गुरूकुल कांगड़ी के डिप्लोमे और डिग्रियां .	२३५३
६७८	दिल्ली और नई दिल्ली में इमारतों के लिये प्लौटों का आवंटन	२३५४
६७६	गस शोधन संयंत्र में आग	२३५४–५५
६८०	सनिकों के लिये शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधायें .	२३५५
६८१	दिल्ली पुलिस . .	२३५५
६८२	अनुसूचित जातियों के लिये मकानों के प्लौट	२३५५–५६
६८३	कृत्रिम नक्षत्र मण्डल . . .	२३५६
६८४	विदेशियों की मूर्तियां . . .	२३५६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखत उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

९८५	संघ राज्य-क्षेत्रों की कार्य व्यवस्था में सुधार	२३५६-५७
९८६	दिल्ली पालीटैक्निक .	२३५७
९८७	संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये अखिल भारतीय सेवा पदाली .	२३५७-५८
९८८	राष्ट्रीय युवक केन्द्र, दिल्ली .	२३५८
९८९	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी लोगों के लोक-गीत	२३५८
९९०	कोलार क्षेत्र में सोने की खानें	२३५९
९९१	नेपाल में भारतीय वस्तुओं पर सीमा शुल्क .	२३५९
९९२	"साउथ चाइना एथलेटिक एसोसियेशन फुटबाल टीम"	२३६०

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१४६४	छावनियों में झाड़ू लगाने वाले तथा सफाई आदि करने वाले मेहतर	२३६०
१४६५	मल ले जाना .	२३६१
१४६६	दुर्गाबाई समिति की रिपोर्ट	२३६१
१४६७	पंजाब में पुरातत्वीय सर्वेक्षण	२३६१-६२
१४६८	भूतपूर्व सैनिक कल्याण .	२३६२
१४६९	नशीली औषधियों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र आयोग का प्रतिवेदन	२३६२
१४७०	परीक्षा सुधार समिति .	२३६३
१४७१	टैगोर का पूर्वजीय घर .	२३६३
१४७२	पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदान	२३६३-६४
१४७३	सकंडरी स्टेज में तीन भाषाओं का अध्ययन .	२३६४
१४७४	विज्ञान को लोकप्रिय बनाना .	२३६४
१४७५	शिक्षा के लिए भावी योजना .	२३६५
१४७६	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा .	२३६५
१४७७	बाल अपराध . . .	२३६५
१४७८	भारतीय पुलिस सेवा के कर्मचारियों की संख्या	२३६५-६६
१४७९	हिन्दी विश्वकोष .	२३६६
१४८०	वैज्ञानिक असैनिक सेवा .	२३६६
१४८१	भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद्	२३६६-६७
१४८२	शस्त्र अधिनियम . . .	२३६७
१४८३	बिड़ला विज्ञान तथा उद्योग संग्राहलय, कलकत्ता .	२३६७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१४८४ भारतीय आर्थिक सेवा . २३६७
१४८५ छात्रवृत्तियां २३६७-६८
१४८६ युद्ध स्मारक . २३६८
१४८७ होस्टल . २३६८-६९
१४८८ बहु-प्रयोजनीय स्कूल . २३६९
१४८९ दक्षिण भारत की भाषायें २३६९
१४९० उड़ीसा में खनिज निक्षेप . २३६९-७०
१४९१ जीवन बीमा निगम २३७०
१४९२ विदेशी मुद्रा . २३७०-७१
१४९३ प्रतिरक्षा संस्थापनों में प्रशिक्षण २३७१
१४९४ बम्बई को कोयले का संभरण २३७१-७२
१४९५ सागर-वर्णना २३७२
१४९६ लोहे का कोटा २३७२
१४९७ गाजीपुर में हवाई अड्डे २३७२-७३
१४९८ अल्प बचत योजना . . . २३७३
१४९९ उत्तर प्रदेश के संगठनों को केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड के अनुदान २३७३
१५०० उत्तर प्रदेश में राइफल शूटिंग क्लब . २३७३
१५०१ राजस्थान में लिग्नाइट के खनन की 'ओपन कास्ट' प्रणाली २३७३-७४
१५०२ पश्चिमी बंगाल के मन्दिर २३७४
१५०३ वरकल्ली रचितियों की भूतत्वीय आयु २३७४
१५०४ वरकल्ली की सामुद्रिक जीवाश्मियां . २३७५
१५०५ वरकल्ली लिग्नाइट की अन्तर्वस्तुयें २३७५
१५०६ विदेशों की यात्रा के लिये विदेशी मुद्रायें २३७५-७६
१५०७ विदेशों की यात्रा के लिये विदेशी मुद्रा . २३७६
१५०८ विदेशों के दौरे . २३७६
१५०९ जम्मू तथा काश्मीर राज्य में शीतकालीन खेल-कूद . २३७६
१५१० पंजाब में पाकिस्तानी . २३७७
१५११ शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन २३७७
१५१२ भारत के राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम द्वारा पेटेंटों का विदोहन २३७८
१५१३ पंजाब-पाकिस्तान सीमा पर सोने का तस्कर व्यापार . २३७८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५१४	विदेशियों को दृष्टांक	२३७८
१५१५	आपात निधि . .	२३७८–७९
१५१६	हिमाचल प्रदेश का शिक्षा विभाग .	२३७९
१५१७	राजनीतिक पीड़ित . .	२३७९
१५१८	छोटी कोलयिरियों में उत्पादन .	२३७९
१५१९	भारत में पाकिस्तानियों का बसाया जाना	२३८०
१५२०	हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर .	२३८०
१५२१	पश्चिमी बंगाल में क्षेत्रीय पुस्तकालय	२३८०–८१
१५२२	विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक . .	२३८१
१५२३	भूतपूर्व रियासतों के पिछड़े क्षे . .	२३८१–८२
१५२४	रूरकेला के इस्पात के कारखाने में जर्मन का ीगर	२३८२–८३
१५२५	रूस भेजा गया भारतीय वैज्ञानिकों का प्रतिनिधिमण्डल	२३८३
१५२६	हिन्दी सिखाना	२३८३
१५२७	उपहारस्वरूप भेजी जाने वाली पुस्तकों पर सीमा शुल्क	२३८३–८४
१५२८	दिल्ली पौलीटैक्नीक . .	२३८४
१५२९	चोरी छिपे लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना .	२३८४–८५
१५३०	भारत में कैथोलिक चर्च द्वारा चलाई गई संस्थाएं	२३८५
१५३१	सेना मोटर गाड़ी डिपो, अवदी में छंटनी	२३८५–८६
१५३२	लोघल में खुदाई .	२३८६
१५३३	राजस्थान में तस्कर व्यापार	२३८६
१५३५	बैंक समवाय	२३८६
१५३६	सिपाही क्लर्क .	२३८६–८७
१५३७	विश्वभारती के उपकुलपति	२३८७
१५३८	दिल्ली स्कूलों में पंजाबी .	२३८७–८८
१५३९	ड्रिलिंग के लिये भारतीय कर्मचारी रखना .	२३८८
१५४०	सशस्त्र सेनाओं में पदोन्नति सम्बन्धी नियम .	२३८९
१५४१	आयकर के मामले	२३८९
१५४३	तस्कर व्यापार के मामलों में पुलिस अधिकारियों का हाथ .	२३८९
१५४४	दिल्ली में ग्राम्य स्कूल	२३९०
१५४५	उड़ीसा में खानें . .	२३९०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१५४६	चीनी (हिमाचल प्रदेश) के व्यापारी	२३६०
१५४७	भूवृत्तिकी तथा खनन निदेशालय, उत्तर प्रदेश	२३६०–६१
१५४८	राजस्थान में तांबे के निक्षेप .	२३६१
१५४६	मनीपुर में चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का पकड़ा जाना	२३६१
१५५०	इम्फाल में बाल पुस्तकालय-संग्रहालय	२३६१–६२
१५५१	आदिम जातियों की बोलियों में किताबें	२३६२
१५५२	मनीपुर में पशुओं की चोरी	२३६२
१५५३	कोणार्क . .	२३६२
१५५४	बिजनौर जिले में भूतपूर्व सैनिकों को पुनः बसाना	२३६३
१५५५	दिल्ली में राइफल ट्रेनिंग	२३६३–६४
१५५६	दिल्ली के स्कूलों में टैक्नीकल अध्यापक	२३६४
१५५७	दिल्ली के स्कूलों में दो पालियां	२३६४
१५५८	किश्तवाड़, जिला डोडा (जम्मू और काश्मीर) की भूमि का अर्जन	२३६५
१५५६	अस्पृश्यता . .	२३६५
१५६०	दिल्ली की अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता	२३६५
१५६१	हवाई जहाजों की खरीद	२३६६
१५६२	विदेशों में भारतीय विद्यार्थी	२३६६
१५६३	लौह अयस्क निक्षेप .	२३६६–६७
१५६४	चोरी छिपे लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना	२३६७
१५६५	अवैध शराब .	२३६७–६८
१५६६	सोने का तस्कर व्यापार .	२३६८
१५६७	लद्दाख में अभिलेखागार	२३६८
१५६८	प्राथमिक स्कूल	२३६८
१५६६	चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना .	२३६६
१५७०	नासिक में सैनिक प्रयोजनों के लिये भूमि	२३६६
१५७१	शिक्षा और रोजगार .	२३६६–२४००
१५७२	सिक्खों का इतिहास .	२४००
१५७३	संस्कृत शिक्षा . . .	२४००–०१
१५७४	बुनियादी प्रशिक्षण कालेज, अगरताला .	२४०१
१५७५	बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम . .	२४०१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१५७६ त्रिपुरा के लिये पम्पिंग सेट .. २४०१-०२

१५७७ त्रिपुरा में बुनियादी स्कूल २४०२

१५७८ त्रिपुरा में बुनियादी शिक्षा २४०२

१५८९ त्रिपुरा की आदिम जातियों का कल्याण २४०२-०३

१५८० त्रिपुरा में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक . २४०३

१५८३ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये तालिका २४०३

१५८४ राजनीतिक दलों का सम्मेलन २४०३-०४

१५८५ तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति . २४०४

सभा पटल पर रखे गये पत्र २४०४

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा साधन सामग्री (उत्पादन-शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ संशो न करने वाली दिनांक २९ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११९ की एक प्रति ।

याचिका समिति का कार्यवाही-सारांश---सभा पटल पर रखा गया . २४०५

याचिका समिति की छठे सत्र में हुई (इक्कीसवीं और बाईसवीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश पटल पर रखे गये ।

याचिका समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २४०५

पांचवा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

राज्य सभा से सन्देश २४०५

सचिव ने राज्य सभा से एक सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी कि राज्य सभा ने ९ दिसम्बर, १९५८ को अपनी बैठक में अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक को पारित कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा-पटल पर रखा गया . . २४०५

सचिव ने अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक को राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सभा-पटल पर रखा ।

याचिका की सूचना २४०५

सचिव ने दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ के सम्बन्ध में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्राप्त होने की सूचना दी ।

समितियों के लिये निर्वाचन २४०६-०७

श्री ब० गो० मेहता ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये लोक-सभा के सदस्यों में से एक सदस्य चुना जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विषय	पृष्ठ
समितियों के लिए निर्वाचन—(क्रमशः)	
परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करने के लिये चार सदस्य चुने जायें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।	
विधेयक—वापस लिया गया	२४०८
वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि जीवन बीमा निगम (वित्तीय संशोधन) विधेयक, १९५७ को वापस लेने की अनुमति दी जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।	
सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित	२४०८-१०
(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९५८।	
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९५८।	
(३) अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८।	
(४) उड़ीसा बाट तथा माप (दिल्ली निरसन) विधेयक, १९५८।	
वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . .	२४११—४९
वर्ष १९५८—५९ के लिये आयव्ययक (सामान्य) के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई और समाप्त हुई। मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।	
विधेयक—विचाराधीन	२४४९-५४
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १९५८ पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	२४५४
श्री बर्मन ने लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८ सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया।	
कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	२४५४
तैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।	
मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—	
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक और संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक पर विचार तथा उन्हें पारित करना।	